चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 17 जुलाई– 23 जुलाई 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

मुख्यमंत्री (पू.) का सुसाइड नोट

उपराष्ट्रपति ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया-क्यों?

कलिखो पुल

संतोष भारतीय

माननीय उपराष्ट्रपति जी ने अपने संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य का पालन नहीं किया. क्यों नहीं किया, ये सवाल हम उपराष्ट्रपति जी से विनम्रता से पूछना चाहते हैं. क्या हम उपराष्ट्रपति जी से ये पूछ सकते हैं कि उनके कर्तव्य पालन न करने के पीछे कहीं ये कारण तो नहीं है कि वे मुसलमान हैं और उन्हें लगा हो कि छद्म हिन्दूवादी उनके पीछे पागलों की तरह पड़ जाएंगे. या फिर ये कि जो पत्र उन्हें दिया गया है, उस पत्र में देश के वित्त मंत्री रहे हुए व्यक्ति का नाम है, जो इस समय उनसे ऊंचे पद पर आसीन है. या फिर ये कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है और आने वाले संभावित मुख्य न्यायाधीश का नाम है. या फिर ये कि उनके सभापतित्व में चलने वाली राज्यसभा के कुछ भूतपूर्व सदस्यों के नाम हैं और कुछ वर्तमान सदस्यों के भी नाम हैं.

उपराष्ट्रपति जी के कर्तव्य पालन में खरा न उतरने का परिणाम भविष्य में शायद ये निकले कि कभी कोई राष्ट्रपति, कभी कोई प्रधानमंत्री, कभी कोई मुख्य न्यायाधीश या कभी कोई

उपराष्ट्रपति अगर आत्महत्या करे और मृत्यु से पहले अपना आखिरी बयान छोड़ कर जाए, तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी. क्योंकि ईश्वर न करे, लेकिन व्यवस्था मिलकर उनके मृत्यु पूर्व बयान को दबा देगी. एक फिल्म अभिनेत्री जिया खान आत्महत्या करती है, पूरा सिस्टम नामजद लोगों के पीछे ईमानदारी से पड़ जाता है. लेकिन इस देश में पच्चीस साल तक विधानसभा का सदस्य रहने वाला व्यक्ति, जो वित्त मंत्री रहा और फिर बाद में मुख्यमंत्री बना, उसने मुख्यमंत्री निवास में आत्महत्या कर ली, आत्महत्या से पूर्व 60 पृष्ठ का खत लिखा, एक दस्तावेज लिखा, जिसे उसने 'मेरे विचार' का शीर्षक दिया, लेकिन उसकी जांच नहीं हुई. सारे कागज देखने पर पुलिस की रिपोर्ट में ये साफ संकेत है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री की आत्महत्या के पीछे के कारण उनके द्वारा छोड़े गए दस्तावेज में मौजूद हैं. लेकिन खुद पुलिस ने उसकी कोई जांच नहीं की. ये कैसा कमाल है कि राज्य सरकार ने केन्द्र को सिफारिश भेजी कि वो जैसी जांच चाहे वैसी जांच करवा ले, लेकिन केन्द्र ने सीबीआई की जांच का आदेश अबतक नहीं दिया है. देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मृत मुख्यमंत्री की विधवा मिलीं. उन्होंने कहा कि चार–पांच दिन के बाद मैं इसका अध्ययन करूंगा. लेकिन मार्च के बाद से अब तक उनके वो चार–पांच दिन पूरे नहीं हुए. मृत मुख्यमंत्री की विधवा प्रधानमंत्री से मिलने का आज तक समय मांग रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पास उनसे मिलने का समय नहीं है.

मैं अरुणाचल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की बात कर रहा हूं. पुल ने मुख्यमंत्री आवास में आत्महत्या की. उन्होंने 60 पृष्ठ का मौत पूर्व दस्तावेज लिखा. उस दस्तावेज में उन्होंने हर पृष्ठ पर अपने दस्तखत किए. फुट नोट पर कुछ लिखा और मरने से पहले उसके सारे पन्ने आसपास फैला दिए, ताकि वो अनदेखा न रह जाए. उन्होंने मृत्यु पूर्व बयान में ये आशा व्यक्त की कि इस पत्र में भ्रष्टाचार की जो कहानी लिखी है, उसके ऊपर जनता ध्यान देगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगी. भ्रष्टाचार की उस कहानी में उनकी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य, बड़े वकील और सुप्रीम कोर्ट के जजों के प्रतिनिधि शामिल हैं. उसमें इसका संपूर्ण विवरण शामिल है कि राज्य में जो पैसा आता है, वो पैसा कैसे जनता के पास नहीं पहुंचता और उस पैसे की कैसे लूट हुई है. लेकिन कलिखो पुल को क्या मालूम था कि उन्हीं के साथी, उन्हीं की बिरादरी के राजनीतिज्ञ उनके इस मृत्यु पूर्व बयान को उस जगह पहुंचा देंगे, जहां से इसकी कहीं झलक भी नहीं आ पाएगी. उन्हें क्या पता था कि इस देश का मीडिया इस तरह के सवालों पर ध्यान नहीं देगा. श्री पुल को शायद ये भी नहीं पता था कि जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कोई नामलेवा नहीं था और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उन्होंने जितनी मेहनत की, उसी सरकार और केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उनकी मौत पर आंसू तो नहीं ही गिराएंगे, बल्कि उनकी पत्नी को मिलने का समय भी नहीं देंगे.

उनकी पत्नी ने उपराष्ट्रपति महोदय को अपना विस्तृत विवरण दिया, क्योंकि वे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास नहीं जा सकतीं. कलिखो पुल के मृत्यु पूर्व बयान में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी जी का नाम है. उनके कोलकाता के घर का पता है, जहां उन्होंने उन्हें पैसे दिए. श्री प्रणब मुखर्जी आज देश के राष्ट्रपति हैं, उनकी पत्नी उनके पास नहीं जा सकती थीं, इसलिए वे उपराष्ट्रपति महोदय के पास गईं.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम कलिखो पुलो ने मृत्यु पूर्व वक्तव्य में लिखा है. सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को अप्राकृतिक मौत देने की तैयारी कर ली थी, जो उनकी पत्नी ने खत के रूप में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया था. उन्होंने ये अनुमति मांगी थी कि जिन लोगों के नाम पुल के मृत्यु पूर्व बयान में हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए. लेकिन जब उन्हें पता चला कि उस पत्र की हत्या हो जाएगी, क्योंकि उस पत्र को ज्यूडिशियल याचिका में बदल दिया गया

(शेष पृष्ठ 2 पर)

एक सुसाइड नोट की हत्या की यात्रा

- 17 फरवरी 2017 को कलिखो पुल की पत्नी दंगविम साई ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे एस खेहर को पत्र लिख कर मांग की कि कलिखो पुल के सुसाइड नोट में जिन न्यायाधीशों के नाम रिश्वत के आरोपों में दर्ज हैं, उनके विरुद्ध जांच कराई जाए.
- कलिखो पुल ने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया था कि जुलाई, 2016 में उनकी सरकार को अपदस्त करने का आदेश देने वाली संविधान पीठ के जजों ने अनैतिक/अवांछित प्रभाव में आकर ये आदेश पारित किए है.
- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दंगविम साई के पत्र पर सुनवाई की और इसे क्रिमिनल रिट पिटीशन के रूप में दर्ज़ करने के आदेश दिए.
- सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने रिट पिटीशन दर्ज़ करते हुए इसे जस्टिस ए. के गोयल और जस्टिस यू.यू. ललित की बेंच में सुनवाई हेतु भेजा.
- कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुनवाई होने के 1 दिन पूर्व श्रीमती पुल (दंगविम साई) को उनके मोबाइल नंबर पर रिट पिटीशन दर्ज़ होने की आधिकारिक सूचना दी.
- मामले की सुनवाई के दौरान श्रीमती कलिखो पुल के वकील दुष्यंत दवे ने इस मामले की न्यायिक सुनवाई के बारे में कई सवाल खड़े किए.
- श्री दवे ने कोर्ट में खुलासा किया कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने हाल ही में उनसे मुलाक़ात की और कई सनसनीखेज जानकारियां दी. लेकिन उन सब का खुलासा कोर्ट में किया जाना उचित नहीं है.
- उन्होंने कहा कि याची ने सुसाइड नोट में न्यायाधीशों पर लगाए गए करप्शन के आरोपों की प्रशासनिक जांच की याचना की है न कि इसके न्यायिक परीक्षण की.
- उन्होंने श्रीमती पुल के पत्र को रिट पिटीशन में तब्दील करने को लेकर भी सवाल खड़े किए.
- श्री दवे ने ये भी टिप्पणी की कि इस रिट पिटीशन को जस्टिस गोयल और जस्टिस ललित की बेंच में भेजा जाना भी संदेह पैदा करता है. उन्होंने बताया कि जस्टिस गोयल काफी जूनियर जज हैं तथा वे सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेहर के साथ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में बतौर जज काम कर चुके हैं.
- दवे ने कहा कि कलिखो पुल के सुसाइड नोट में जस्टिस खेहर पर भी करप्शन के आरोप हैं और ये भी कहा गया है कि उन्होंने 36 करोड़ की हुई डील में अपने बेटे का इस्तेमाल किया.
- श्री दवे ने के. वीरास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ़ इंडिया केस का हवाला दिया तथा इसी आधार पर सुसाइड नोट में न्यायाधीशों पर लगे करप्शन के आरोपों की प्रशासनिक जांच करने की मांग की.
- के. वीरास्वामी मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी. रामास्वामी के ससुर थे. वीरास्वामी पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पति अर्जित करने के आरोप लगाए गए थे. इन आरोपों के खिलाफ उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
- वे हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे, जिनके विरूद्ध महाभियोग चलने का आदेश दिया गया.
- वीरास्वामी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और अंततः वीरास्वामी को पदच्युत कर दिया गया.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

पढ़ें कलिखो पुल का सुसाइड नोट
एक्सक्लुसिव 'चौथी दुनिया' में

पेज 3 से 11 तक

उपराष्ट्रपति ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया-क्यों?

पृष्ठ 1 का शेष

था. जिस तरह से याचिका की सुनवाई से एक दिन पहले शाम को रजिस्ट्रार के ऑफिस से उनके पास दिल्ली पहुंचने की सूचना फोन से दी गई, उससे उन्हें लगा कि उनको उस याचिका को वापस ले लेना चाहिए. इसके बाद वे सबसे वरिष्ठ उपलब्ध अधिकारी उपराष्ट्रपति के पास गईं और उन्हें सारी बातें बताते हुए, सारे कागज लगाकर ये कहा कि वे इसकी जांच कराएं. लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय ने पता नहीं किन कारणों से, शायद ये वही कारण होंगे जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया, उस फाइल को किसी के पास नहीं भेजा, लेकिन ये हमारा अंदाजा है. हम चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति महोदय देश को ये बताएं कि उनके राज्यसभा के सदस्य जिनका नाम श्री पुल के मृत्युपूर्व नोट में है, क्या उन्होंने श्री पुल के उस नोट का खंडन किया है? क्या राज्यसभा भ्रष्टाचारी नेताओं को संरक्षण देने का अड्डा बन गई है? सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ कोई शिकायत है, तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर इसकी जांच कराई जा सकती है. लेकिन जब स्वयं राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति के नाते नहीं, लेकिन किसी समय देश के वित्त मंत्री रहते हुए अगर आया हो, तो फिर उपराष्ट्रपति के अलावा इस पत्र को देने की कोई जगह बचती नहीं है. उपराष्ट्रपति जी ने संविधान और नैतिकता के सवाल को दरकिनार कर इस फाइल का क्या किया, उस पत्र का क्या किया, किसी को कुछ नहीं पता? क्या उपराष्ट्रपति जी संवैधानिक प्रमुख होने के नाते और राज्य सभा के सभापति होने के नाते देश को इसका कारण बताएंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट की गतिविधियां, कुछ लोगों की वजह से सवालों के घेरे में आ गई हैं. खुद राज्यसभा सवालों के घेरे में आ गई है. क्या उपराष्ट्रपति जी इसकी जांच के लिए राज्यसभा की कोई समिति बनाएंगे या अपने संवैधानिक अधिकार के तहत एक एसआईटी गठित करने का आदेश गृहमंत्रालय को देंगे? ये सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है.

आखिर सवालों के दायरे से बाहर कौन है? क्या स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. जब 2014 में उन्होंने सरकार बनाई, तो भारत को दिए गए उनके सबसे पहले वचनों में एक वचन था कि वे भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलेंगे. उन्होंने शायद इसीलिए अपने मंत्रिमंडल के राजनीतिक सदस्यों की हैसियत कम की और नौकरशाहों की हैसियत ज्यादा बढ़ाई. यद्यपि भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला पहले का या उनके समय का, कानून के दायरे में अपने अंतिम परिणाम पर नहीं पहुंचा. लेकिन यहीं सवाल खड़ा होता है कि उनकी मदद करने वाले व्यक्ति, अरुणाचल के मुख्यमंत्री, जिन्होंने अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, उसकी सरकार बनवाई, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई. उन्होंने मरते

समय 60 पृष्ठ का एक लंबा नोट लिखा, जिसमें ये सब विस्तार से लिखा कि कहां-कहां भ्रष्टाचार होता है, कौन-कौन भ्रष्टाचार करता है. ये भी लिखा कि उनसे किसने पैसे मांगे, क्यों पैसे मांगे और सरकार की किन योजनाओं के लिए पैसे मांगे. वो खत, वो उनका मृत्यु स्वीकारोक्ति बयान, प्रधानमंत्री के पास जरूर पहुंचा होगा. प्रधानमंत्री ने क्यों उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. भ्रष्टाचार की परत-दर-परत खोलने वाला एक दस्तावेज, उसी राजनीतिक बिरादरी के मुख्यमंत्री ने लिखा था, जिस राजनीतिक बिरादरी से प्रधानमंत्री हैं. उस दस्तावेज का नोटिस प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं लिया. वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की कहानी नहीं कह रहा है, वो तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार की कहानी कह रहा है. उसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है. उसमें कांग्रेस से जुड़े सभी लोगों के नाम हैं. वो चाहे आज कितने भी बड़े पदों पर हों. राज्यसभा के जितने भी सदस्यों के नाम उसमें आए हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं. तब आखिर

प्रधानमंत्री मोदी ने उस मृत्यु पूर्व बयान का संज्ञान क्यों नहीं लिया. क्यों प्रधानमंत्री ने उस बयान के आधार पर जांच नहीं बैठाई. क्यों प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा की ऐसी छवि बनने की इजाजत दे दी, मानो संपूर्ण सुप्रीम कोर्ट और संपूर्ण राज्यसभा भ्रष्टाचार के कीचड़ में नाक तक सनी है. अगर वे जांच करा देते, अगर वे एसआईटी बनवा देते, अगर वे सीबीआई को जांच सौंप देते, जिसमें निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा के सदस्य बरी हो जाते, तो कम से कम एक लांछन धुल जाता. लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया. मैं आज भी मानता हूं कि प्रधानमंत्री साफ छवि के व्यक्तिगत रूप से ईमानदार व्यक्ति हैं. लेकिन उन्होंने क्या सोच कर स्वर्गीय पुल द्वारा लिखे गए उस 60 पृष्ठ के नोट को अनदेखा कर दिया और अनदेखा करने दिया.

मैं पूछता चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी क्या हमारा सवाल उठाना गलत है? मैं सर्वोच्च न्यायालय से भी पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा सवाल उठाना गलत है? मैं उपराष्ट्रपति जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा सवाल उठाना गलत है? मैं राज्यसभा से भी पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा सवाल उठाना गलत है? अगर आपको लगता है कि हमारा सवाल उठाना गलत है, तो क्या हम आपसे इन सवालों को उठाने के बदले सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगें. लेकिन मुझे लगता है कि इस भ्रष्ट व्यवस्था के जंगल में कुछ ऐसे लोग जरूर हैं, जो अन्याय, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना हाथ खड़ा करेंगे. मैं इसीलिए आखिर में संवैधानिक रूप से उपराष्ट्रपति जी से सवाल करता हूं और ये अपेक्षा भी जाहिर करता हूं कि आप जा रहे हैं, जाते-जाते अपने संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य का पालन करेंगे. आपको श्रीमती पुल द्वारा भेजे गए 60 पेज के नोट के साथ उनकी ये अपेक्षा कि इसकी जांच एसआईटी के द्वारा या सीबीआई के द्वारा कराई जाए, आप इसपर ध्यान देंगे और अपने ऊपर लगने वाला लांछन स्वत: समाप्त करेंगे. मैं इतना और बता दूं कि पुलिस की रिपोर्ट में ये माना गया है कि श्री पुल की मृत्यु के कारण, उनके द्वारा लिखे 60 पृष्ठ के नोट में हैं. पुलिस ने जांच नहीं की, किसी संस्था ने जांच नहीं की, अरुणाचल सरकार की जांच की विनती को गृह मंत्रालय ने दबा दिया, तब प्रधानमंत्री जी, हम कैसे मानें कि आपमें भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है. या फिर राजनैतिक सुविधा के लिहाज से, कुछ लोगों को धमकाने के लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, या कांग्रेस पार्टी हो, आपने इस जांच को फिलहाल निलंबित कर रखा है. जब इन दोनों, एक राजनीतिक पार्टी या सुप्रीम कोर्ट के जजों को दबाना होगा, तब आप इस जांच की कार्रवाई शुरू करेंगे. ईश्वर करे, ये सच न हो. क्योंकि प्रधानमंत्री को किसी भी प्रकार के अतिरिक्त दबाव पैदा करने की कम से कम भारत में आवश्यकता नहीं है. भ्रष्टाचार की परत-दर-परत खोलने वाला स्वर्गीय पुल का ये पत्र पूरा का पूरा हम इस अंक में छाप रहे हैं. सरकार से, राज्यसभा से और उपराष्ट्रपति जी से हम ये अपेक्षा करते हैं कि इस पत्र की सच्चाई और इसमें लिखी हुई बातों को जांच कर, दूध का दूध और पानी का पानी करने की जिम्मेवारी उनके ऊपर है. इस देश में लोकतंत्र के प्रति और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति इज्जत बनी रहे. इसके लिए आवश्यक है कि उपराष्ट्रपति जी अपने कर्तव्य का पालन करें. वरना वे लोकतंत्र को खत्म करने के षड्यंत्र के हिस्सेदार माने जाएंगे.

देश की जनता से हम पूछना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो पुलिस उसकी जांच करती है और अगर उसे ऐसे व्यक्तियों के नाम मिलते हैं, जो आत्महत्या के लिए उकसाने का काम करते हैं, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और अदालत उन्हें सजा देती है. इस केस में ऐसा क्यों नहीं किया गया, कारण तलाशें. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम और उनके बाद मुख्य न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति का नाम श्री पुल ने अपने पत्र में लिखा है. उनके ऊपर लगा आरोप यदि सही नहीं है, गलत है, तो इसकी जांच कौन कराएगा? पुलिस ने जांच नहीं की, प्रधानमंत्री ने अनदेखा कर दिया, उपराष्ट्रपति ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, राष्ट्रपति स्वयं इसमें शामिल बताए गए हैं. आखिर किसी ने खंडन क्यों नहीं किया? मरा हुआ व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, आम आदमी नहीं है. वो व्यक्ति जिसने आत्महत्या की, जिसने ये आरोप लगाए और मरने से पहले लगाए, उसके मृत्यु पूर्व दस्तावेज को क्यों अनदेखा कर दिया गया? ये माना जाता है कि 90 प्रतिशत वो बातें सही होती हैं, जो मरने वाला मरने से पहले लिखता है. ये सवाल, सवाल, सवाल, सवाल, सवाल... एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा हैं. इसका जवाब आज नहीं तो कल, इस व्यवस्था को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, प्रधानमंत्री को और उपराष्ट्रपति को देना ही होगा. ■

editor@chauthiduniya.com

एक सुसाइड नोट की हत्या की यात्रा

पृष्ठ 1 का शेष

- श्री दवे ने ये भी कहा कि इस मामले को सुनवाई हेतु कोर्ट नंबर 13 में भेजा जाना तथा इसकी सुनवाई का समय भोजनावकाश के दौरान 1.30 पीएम पर तय किया जाना भी संदेह पैदा करने वाला है, क्योंकि सुनवाई का वे अस्वाभाविक समय था.
- सुनवाई के दौरान जस्टिस यू. यू. ललित और ए. के. गोयल की बेंच ने कहा कि अगर श्री दवे या उनकी याचिकाकर्ता अभी पिटीशन को वापिस लेना चाहें, तो ले सकते हैं. लेकिन दुष्यंत दवे ने प्रशासनिक जांच को लेकर ज़ोर देना जारी रखा. बेंच द्वारा दवे की दलीलों पर जब विचार करने से इंकार कर दिया गया, तब वे मान कर कि पिटीशन खारिज हो जाने पर उनके लिए पैरवी के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे, श्रीमती पुल की सहमति से श्री दवे ने याचिका वापस ले ली. श्रीमती पुल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए हमने प्रशांत भूषण से सम्पर्क साधा था, लेकिन वे किसी अन्य केस में व्यस्त थे. इस बीच प्रशांत भूषण ने दुष्यंत दवे से कुछ बातचीत की और श्री दवे ने मेरिट के आधार पर ही इस मामले में पैरवी की. हमने ये याचिका भी प्रशांत भूषण की सलाह पर वापिस ली थी.
- मामले की सुनवाई करने के उपरांत बेंच ने रिट पिटीशन को ये कह कर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापिस ले ली है.
- बेंच ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या अन्य जजों के विरुद्ध यदि गंभीर आरोप हैं, तो सरकार राष्ट्रपति से अनुमति लेकर वरिष्ठ जजों की बेंच बनाकर जांच करा सकती है.
- लेकिन बाद में इसपर राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, विपक्ष और मीडिया सभी ने चुप्पी साध ली और एक मुख्यमंत्री की ख़ुदकुशी रहस्य बनकर रह गई.

उपराष्ट्रपति को पत्र

- 28 फरवरी 2017 को श्रीमती दंगविम साई ने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को पत्र लिख कर मांग की कि एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम) गठित कर श्री पुल के सुसाइड नोट में दर्ज जजों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए.
- श्रीमती पुल ने कहा कि श्री पुल के सुसाइड नोट को मृत्यु पूर्व बयान के रूप में देखा जाना चाहिए. चूंकि सुसाइड नोट में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस और एक दूसरे वरिष्ठ जज के नाम हैं, इसलिए इसकी जांच एक ऐसी एजेंसी से कराया जाना आवश्यक है, जो सरकार के नियंत्रण से बाहर हो, जिससे न्यायपालिका के सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा हो सके. उन्होंने मिसाल के तौर पर वीरास्वामी बनाम भारत सरकार केस का उद्धरण भी पेश किया.
- उन्होंने ये भी तर्क दिया कि सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत होने पर राष्ट्रपति के माध्यम से जांच कराने का प्रावधान है. लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक वरिष्ठ जज तथा राष्ट्रपति महोदय का भी नाम है, इसलिए मैं उपराष्ट्रपति महोदय को पत्र लिख कर जांच कराने की मांग कर रही हूं.
- श्रीमती पुल ने उपराष्ट्रपति से ये आग्रह भी किया कि वे इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने हेतु जस्टिस खेहर व जस्टिस दीपक मिश्रा के अतिरिक्त किन्ही अन्य 3 या 5 वरिष्ठ जजों की एक बेंच बनाने हेतु निर्देशित करें, जिससे मामले की सही ढंग से जांच हो सके. अन्यथा उन राजनेताओं और जजों की निष्ठा और ईमानदारी पर संदेह के बादल छाए ही रहेंगे, जिनके नाम श्री पुल ने अपने सुसाइड नोट में लिखे हैं. श्रीमती पुल के इस पत्र पर भी उपराष्ट्रपति ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की.

गृह मंत्री को पत्र

- श्रीमती पुल 22.03.2017 को देश के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मिलीं और उन्हें पत्र लिख कर एसआईटी के माध्यम से सारे मामले की जांच कराने की मांग की. उन्होंने आग्रह किया कि ये जांच सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में होना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों जजों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे होने के कारण इसमें न्यायपालिका की गरिमा भी दाव पर लगी है. उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी से सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की भी मांग की.
- श्रीमती दंगविम साई के साथ गृह मंत्री से मिलने वालों में उनका बेटा ओज़िंग-सो पुल तथा कालिखो पुल के सचिव रहे आर.एन. लोलूम शामिल थे. गृह मंत्री ने श्रीमती पुल को ये कह कर टरका दिया कि वे अभी 4-5 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, लौट कर आने के बाद मामले का अध्ययन करेंगे. बावजूद इसके, गृह मंत्री ने आज तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की.
- श्रीमती पुल ने बताया कि मार्च 2017 में ही अरुणाचल सरकार ने ये मामला गृह मंत्रालय को इस अनुशंसा के साथ भेज दिया था कि वे जांच के बारे में उचित फैसला लें, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसे दबा दिया.

जुएल ओरांव को पत्र

- श्रीमती पुल ने इसी तरह जनजाति मामलों के मंत्री जुएल ओरांव को 24.03.2017 को पत्र लिख कर न्याय दिलाने की मांग की. पत्र में उन्होंने ये भी कहा कि वे एक जनजातीय महिला हैं और सम्बंधित विभाग के मंत्री होने के नाते उनका ये दायित्व भी बनता है कि वे श्री कलिखो पुल की मृत्यु के कारणों तथा उनके सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों की जांच कराने में मदद करें. श्री ओरांव ने भी इस पर कार्यवाही नहीं की.
- 22.03.2017 को ही श्रीमती पुल ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को भी पत्र लिख कर इस मामले में हस्तक्षेप और सहायता करने की मांग की, लेकिन महिला आयोग ने भी चुप्पी साध ली.
- 03.04.2017 को श्रीमती पुल ने सुप्रीम कोर्ट के तीनो वरिष्ठ जजों जस्टिस जे.चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस मदन बी लोकुर को पत्र लिख कर सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों के बारे में एफआईआर दर्ज़ कराने और जांच कराने की मांग की. उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि श्री पुल के सुसाइड नोट में चीफ जस्टिस खेहर, वरिष्ठ जज दीपक मिश्रा और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी नाम है और इस कारण आप तीनो वरिष्ठ जज ही इस बारे में निर्णय लेने में सक्षम हैं, इसलिए वे ये अपील कर रही हैं.
- पत्र के साथ उन्होंने सुसाइड नोट तथा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न की. इन तीनो जजों ने भी आजतक कोई जवाब नहीं दिया.
- श्रीमती पुल इसी दौरान केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि से भी मिलीं और सारे प्रकरण की निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने की मांग की. श्री महर्षि ने कहा कि वे इस मामले में कानूनी राय ले रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई.
- श्रीमती पुल ने अपनी फरियाद लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की कई बार कोशिश की, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि पीएमओ द्वारा उन्हें आजतक मुलाक़ात का समय ही नहीं दिया गया. दिलचस्प ये है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ऐसा उपेक्षापूर्ण व्यवहार उस मुख्यमंत्री के परिजनों के साथ कर रहा है, जिसने भाजपा के सहयोग से ही अरुणाचल में सरकार बनाई थी.
- श्री कालिखो पुल की रहस्यमय मृत्यु और उनके द्वारा सुसाइड नोट में कई शीर्ष नेताओं और जजों के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराए जाने की मांग को लेकर अरुणाचल प्रदेश में अभी भी पुल समर्थक धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन न तो राज्य सरकार और न ही केंद्र की भाजपा सरकार इसका संज्ञान ले रही है. ये तब है, जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू संसद में उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते है.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 09 अंक 20
17 जुलाई- 23 जुलाई 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

मुख्यमंत्री (पू.) ने आत्महत्या से पहले आख़िरी बार लिखा

अरुणाचल के मुख्यमंत्री कलिखो पुल ने आत्महत्या के पहले खोल दी थी नेताओं और जजों की पोल

सुप्रीम कोर्ट, राजनीतिक दलों और मीडिया ने दबा दिया कालिखो पुल का सनसनीखेज सुसाइड नोट

सुसाइड नोट जैसा ठोस आखिरी सबूत पेश किए जाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की सुनवाई

पहली बार 'चौथी दुनिया' हूबहू छाप रहा मुख्यमंत्री कलिखो पुल का 60 पेज का सुसाइड नोट

'मैं ने एक बहुत ही गरीब और पिछड़े हुए घर में जन्म लिया. मैंने उम्र भर दुःख देखे हैं. दुःख सहा है और बहुत बार दुख पर विजय भी पाई है. लेकिन विधाता ने मेरे जन्म से ही हर एक कदम पर मेरी कठोर परीक्षा ली है. आम लोगों को मां–बाप से दुलार मिलता है, प्यार मिलता है, शिक्षा मिलती है, समझ मिलती है. वहीं मेरे जन्म के 13 महीने बाद ही मां का साया छीन गया और जब मैं छह साल का हुआ, तो पिता भी भगवान को प्यारे हो गए. मेरे अपने कोई नहीं हैं. मां पिता और परिवार के प्यार से मैं हमेशा वंचित रहा हूं.

खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं

मैं समझता हूं कि इस दुनिया में मैं अकेले ही आया हूं और अकेले ही जाऊंगा. मैं मानता हूं कि इस दुनिया में हर इंसान मां के पेट से नंगा ही आता है और नंगा ही जाता है (कोई भी यहां से कुछ भी लेकर नहीं जाता है). मतलब जन्म से हर कोई खाली हाथ ही आता है और एक दिन खाली हाथ ही चला जाता है. अगर हर इंसान इस बात को समझ ले तो कभी भी, कहीं भी, धर्म, जाति, ऊंच–नीच, अमीर–गरीब के नाम पर झगड़े नहीं होंगे और न ही धन–दौलत, जमीन, जायदाद, सत्ता, शक्ति और प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी.

मैं जानता हूं कि जब इंसान जन्म लेता है तो वह नाम, जाति, धर्म, समाज, भाषा, क्षेत्र, धन–दौलत, जमीन–जायदाद कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर आता है. लेकिन आज इंसान इन बातों को भूलता चला जा रहा है. वो इन चीजों के लिए मरने–मारने तक को तैयार हो जा रहा है. जबकि इस अटल सच को भूल जाता है कि मैं सिर्फ एक आत्मा हूं. मैंने जिंदगी को हमेशा से सच दिखाने वाले आईने की तरह देखा है.

मैं ये मानता हूं कि इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है. अपने शरीर के अलावा, हम जो भी चाहते हैं, घर में जो भी सामान है, रुपया–पैसा, धन–दौलत, गाड़ी–घोड़ा, जमीन–जायदाद, शक्ति–सत्ता और प्रतिष्ठा, जिनके ऊपर मैं–मैं–मैं और मेरा–मेरा–मेरा कह कर उसके लिए हम लड़ते हैं और हम मालिक बनते हैं, यह असल में मेरा है ही नहीं.

जो आज मेरा है, वह कल किसी और का था. परसों किसी और का हो जाएगा. परिवर्तन ही संसार का नियम है. लेकिन परिवर्तन को नियम के तहत और सही ढंग से होना चाहिए.

मैंने बचपन से ही जिंदगी से लड़ना सीख लिया था. फिर चाहे वह लड़ाई रोटी की हो या अपने हक की. बचपन में एक वक्त की रोटी के लिए मैं मीलों दूर रास्ता तय कर जंगल से लकड़ियां लाता था. गरीबी और लाचारी की मार झेलते हुए मैंने दिन में डेढ़ रुपए मजदूरी पर बढ़ई (carpenter) का काम किया है, जिससे मैं 45 रुपए महीने कमाता था. आज भी बढ़ईगीरी का सामान मेरे पास रखा है.

मैं बचपन में नियमित स्कूल नहीं जा पाया. लेकिन अपने बढ़ईगीरी के काम के साथ–साथ मैंने वयस्क शिक्षा केंद्र (Adult Education Centre, Walla) से पढ़ाई की. मेरी मेहनत और लगन देखकर स्कूल प्रशासन ने मेरी परीक्षा ली और मुझे सीधे कक्षा छह में दाखिला दे दिया गया. फिर मैंने जब दिन के स्कूल में दाखिला लिया, तब 6 से 8 कक्षा तक कैजुअल नौकरी भी की. दिन में पढ़ता और रात में चौकीदारी करता था, जिसमें सुबह पांच बजे राष्ट्रीय झंडा फहराता था और शाम को पांच बजे झंडा उतार लेता था. इसमें मुझे 212 रुपए महीने की आमदनी होती थी.

अपने जीवन में मैंने सबसे पहले 400 रुपए में एक ओवीटी घर बनाने का ठेका लिया था. जिसके बाद अपने जिले और राज्य में बहुत सी सड़कें, सरकारी मकानों और पुलों का निर्माण किया. 11–12 कक्षा तक पहुंचते–पहुंचते मेरे पास खुद की जिप्सी गाड़ी और चार ट्रक गाड़ी थी. जिसे मैं व्यापार के काम में लगाता था.

कॉलेज पहुंचने तक मेरा व्यापार काफी आगे बढ़ गया, मेरे पास गाड़ी–घोड़ा, नौकर–चाकर और खुद का एक छोटा सा पक्का मकान भी था, जिसमें 3 कमरे थे. आज 23 साल तक मंत्री पद पर रहते हुए भी मैंने उससे आगे एक भी कमरा नहीं बढ़ाया है. खूपा में एक छोटा सा घर है, जिसे मैंने 1990 में तीनसुकिया एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेकर बनाया था. हेडलियांग में एक घर हैं, जिसे मैंने भारतीय स्टेट बैंक तेजू से लोन लेकर बनाया था.

विधायक बनने से पहले मेरे पास आरा मशीन और काष्ठकला की फैक्ट्री भी थी, जिससे मुझे हर साल 46 लाख रुपए की आमदनी होती थी. मैं अपने छात्र जीवन में ही करोड़पति बन गया था. इसपर मैंने कभी घमंड नहीं किया. भगवान गवाह है कि मैंने कभी धन–दौलत, घर–बंगला, गाड़ी–घोड़ा, नौकर–चाकर, सत्ता और प्रतिष्ठा को अपनी जागीर नहीं समझा और न ही इन चीजों पर कभी गर्व व घमंड किया है. मैंने हमेशा से ही इंसानियत की सुरक्षा और गरीबों की सेवा को अपना कर्म समझा है और अब तक उन्हीं के हित के लिए काम कर रहा हूं.

मैं बड़े फक्र से कह सकता हूं कि मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं. लेकिन मैंने कभी इस बात पर गुमान नहीं किया. मैंने अपने रुपयों से हमेशा गरीब, लाचार, अनाथ और जरूरतमंद लोगों की सहायता की है. आज भी मैं 96 गरीब लड़के–लड़कियों को पढ़ाने के साथ उनका सालाना खर्च भी उठाता हूं.

26 दिसम्बर 1994 को जब मैं राजनीति से जुड़ा, उसके अगले ही दिन मैंने अपने दो बिजनेस ट्रेडिंग लाइसेंस को डीसी कार्यालय में वापस कर समर्पण कर दिया. क्योंकि जब मैं राजनीति में आ गया, तो इसे व्यापार के साथ मिलाना नहीं चाहता था. मैं कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहता था, लेकिन मुझे जनता ने जबरदस्ती राजनीति में उतारा है. लोग राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, लेकिन अगर कोई इसे ईमानदारी से अपनाए तो इससे अच्छा, सेवा और भलाई का काम कोई हो ही नहीं सकता. क्योंकि एक नेता के कह देने से, एक फोन कर देने से, एक सिफारिश कर देने से या किसी सभा में प्रस्ताव रख देने से समाज और जनता का काम हो जाता है, तो इससे बड़ा और अच्छा भलाई या खुशी का काम क्या हो सकता है.

वर्ष 2007 में भी मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन उस वक्त मैंने मना कर दिया था. वर्ष 2011 में भी मुझे फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी दी गई, जिसे मैंने फिर से ठुकरा दिया. मैं जानता था कि मेरे साथी विधायक और मंत्री मुझे सिस्टम से, नीति से, कानून से और संविधान के तहत चलने नहीं देंगे.

लोगों की सेवा के लिए सीएम बना

जब तीसरी बार मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो मैंने उसे स्वीकार किया. मेरी इच्छा, मेरा सपना और मेरी कोशिश थी कि मेरा पिछड़ा राज्य और गरीब जनता हर क्षेत्र में आगे बढ़ें. सड़क–यातायात ठीक हो, लोगों को शुद्ध–स्वच्छ और नियमित पानी मिले और अच्छी व उच्च शिक्षा मिले. मैं चाहता था कि लोगों को बेहतर और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मिले और बिना रुके 24 घंटे हर घर–हर परिवार को बिजली मिले, हर जाति और समाज को शांत और सुरक्षित माहौल मिले, लोगों के रहन सहन का स्तर व उनकी आमदनी बढ़े, सभी लोग उन्नत और विकासशील हों, राज्य के हर घर में खुशहाली हो और आम जन हर प्रकार से आगे बढ़े. इन बातों को ध्यान में रखते हुए और उन कामों को मुकाम देने के लिए मैंने अपने तन–मन, दिमागी–चिंतन, सोच–विचार, कठिन मेहनत और लगन से राज्य को ऊंचाई देने व जनता की भलाई, उन्नति और बेहतर कल के लिए हर घड़ी हर पल काम किया. लेकिन शायद मेरे साथी मंत्रियों और विधायकों को यह बात मंजूर नहीं थी. क्योंकि उनके लिए मंत्री व विधायक बनने का मतलब कुछ और ही होता होगा. यही कारण है कि मैं राजनीति से दूर रहना चाहता था.

मैंने अपने 23 सालों की राजनीति में अलग–अलग मंत्री पदों पर रहते हुए राज्य के विकास में हर संभव योगदान दिया है. अपने विधानसभा क्षेत्र और पूरे राज्य में काम किया है. लेकिन इन कामों पर हर किसी की नजर नहीं गई. अपने 23 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने बहुत से मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, लेकिन अपने अनुभव से मैंने देखा व समझा कि किसी भी मुख्यमंत्री व मंत्री की योजना स्पष्ट नहीं थी, वे किसी भी योजनाओं को सही से प्राथमिकता नहीं दे पाए. उन्होंने हमेशा राजनीति की नजरों से ही फैसला लिया, हमेशा जनता के हितों को नजरअंदाज किया. विधायक व मंत्री हमेशा आपस में हिसाब–किताब कर एक दूसरे को लाभ देने व खुश करने में ही लगे रहे.

जबकि मेरी परिभाषा ये है कि नेता बनने का मतलब केवल अपने घर–परिवार, सगे–संबंधी और दोस्तों को फायदा पहुंचाना नहीं होता. मंत्री, विधायक व बड़े अधिकारी एक–दूसरे की मदद के लिए नहीं आए हैं, बल्कि राज्य के पूर्ण विकास व गरीब जनता की सेवा के लिए उन्हें चुना जाता है. अपने 23 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने नेताओं को इसके बिल्कुल उल्टा ही काम करते देखा है. वे लोग सिर्फ एक–दूसरे को या बड़े नेता, बड़े अधिकारी और बड़े व्यापारियों को ही मदद व फायदा पहुंचाने का काम करते रहे हैं.

साढ़े चार महीने के अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में मैंने अपना सुख–चैन, घर–परिवार, नींद–आराम को त्यागकर 24 घंटे जनता के हित में काम किया. मैंने सही अर्थों में राजधर्म का पालन किया है. इतना ही नहीं मैंने राज्य में विभिन्न विभागों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और कानून में 11,000 से ज्यादा पदों की जगह निकाली थी, जिन्हें बिल्कुल पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाना था. मैंने प्लान, नॉन–प्लान फंड को सही और योजनाबद्ध तरीके से पेश किया था. मैंने राज्य में ट्रांसफर–पोस्टिंग, प्रमोशन और अपॉएंटमेंट के लिए मंत्रियों को पैसे लेने से मना किया था, जिसका शायद उन्हें बुरा लगा. प्लान फंड, नॉन–प्लान फंड, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, टेंडर वर्क और बिल पेमेंट में कमीशन लेने के लिए भी मनाही थी. शायद यह बात भी उन्हें बुरी लगी.

मैं केवल इतना जानता हूं कि 14–15 लाख की जनसंख्या वाले राज्य में 60 एमएलए को चुना जाता है. उनमें से 12 मंत्री बनते हैं. मैं सोचता हूं कि वे 60 एमएलए उच्च शिक्षा, सामाजिकता, बेहतर नेतृत्व और उदार सोच के साथ–साथ सभी तरह से अच्छे इंसान हों. वे जनता की सेवा और सुरक्षा को अपना धर्म मानते हों, इंसानियत को अपना ईमान और जनता की भलाई को अपना कर्म समझते हों. हमारे नेताओं को परिवार, समुदाय, जाति, धर्म और समाज से ऊपर उठकर काम करना चाहिए. लेकिन ऐसे नेताओं की आज जैसे कमी ही आ गई है. आज राज्य में हर एक

शेष पृष्ठ 4 पर

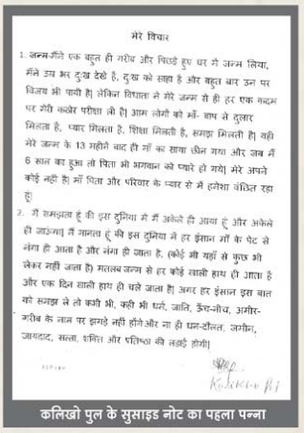

मेरे विचार

1. जन्म जीने एक बहुत ही गरीब और पिछड़े हुए घर में जन्म लिया, मैंने उम्र भर दुःख देखे है, दुःख को सहा है और बहुत बार उन पर विजय भी पायी है। लेकिन विधाता ने मेरे जन्म से ही हर एक कदम पर मेरी कठोर परीक्षा ली है। आम लोगों को मां– बाप से दुलार मिलता है, प्यार मिलता है, शिक्षा मिलती है, समझ मिलती है। वहीं मेरे जन्म के 13 महीने बाद ही मां का साया छीन गया और जब मैं 6 साल का हुआ तो पिता भी भगवान को प्यारे हो गये। मेरे अपने कोई नहीं है। मां पिता और परिवार के प्यार से मैं हमेशा वंचित रहा हूं।

2. मैं समझता हूं कि इस दुनिया में मैं अकेले ही आया हूं और अकेले ही जाऊंगा। मैं मानता हूं कि इस दुनिया में हर इंसान मां के पेट से नंगा ही आता है और नंगा ही जाता है. (कोई भी यहां से कुछ भी लेकर नहीं जाता है). मतलब जन्म से हर कोई खाली हाथ ही आता है और एक दिन खाली हाथ ही चला जाता है. अगर हर इंसान इस बात को समझ ले तो कभी भी, कहीं भी, धर्म, जाति, ऊंच–नीच, अमीर–गरीब के नाम पर झगड़े नहीं होंगे और न ही धन–दौलत, जमीन, जायदाद, सत्ता, शक्ति और प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी।

कलिखो पुल के सुसाइड नोट का पहला पन्ना

अपने 23 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने बहुत से मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, लेकिन अपने अनुभव से मैंने देखा व समझा कि किसी भी मुख्यमंत्री व मंत्री की योजना स्पष्ट नहीं थी, वे किसी भी योजनाओं को सही से प्राथमिकता नहीं दे पाए. उन्होंने हमेशा राजनीति की नजरों से ही फैसला लिया, हमेशा जनता के हितों को नजरअंदाज किया. विधायक व मंत्री हमेशा आपस में हिसाब–किताब कर एक दूसरे को लाभ देने व खुश करने में ही लगे रहे. जबकि मेरी परिभाषा ये है कि नेता बनने का मतलब केवल अपने घर–परिवार, सगे–संबंधी और दोस्तों को फायदा पहुंचाना नहीं होता.

मुख्यमंत्री (पू.) ने आत्महत्या से पहले आख़िरी बार लिखा

मुझसे 86 करोड़ मांगे गए

पृष्ठ 3 का शेष

नेता अपनी जेब भर रहा है. अपने स्वार्थ पूरे कर रहा है. जनहित से ज्यादा वह अपने लिए, अपने परिवार और रिश्तेदारों के बारे में ज्यादा सोच रहा है. मैंने ये महसूस ही नहीं किया, बल्कि अपनी आंखों से देखा भी है. इस बात से मैं बहुत ही आहत और दुखी हूं. इस राज्य के पिछड़ने का कारण भी यही है. राज्य में मंत्री-विधायक आपसी सहयोग से केवल खुद को ही आगे बढ़ाते हैं और गरीब जनता को नजरअंदाज करते हैं. वहीं, मुख्यमंत्री बड़े नेताओं, बड़े अधिकारियों, बड़े व्यापारी को खुश करने में लगा रहता है. ऐसी स्थिति में राज्य, समाज और जनता का क्या होगा?

नेताओं ने राजनीति को धंधा बना लिया है

राज्य में सड़क, पानी, बिजली, कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्थाओं को सुचारू करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता. जिससे आम जनता नेताओं को शक की नजरों से देखती है. यहां हर एक विधायक को मंत्री बनना है, वह भी वर्क्स डिपार्टमेंट में, जहां उन्हें ज्यादा और मोटी कमाई हो. सभी को ज्यादा से ज्यादा नगद पैसा चाहिए. नेताओं और विधायकों ने इसे अपना धंधा बना लिया है. यही सब कारण है कि राज्य में सरकार बार-बार बदलती है. जिसका नुकसान आम जनता और राज्य को उठाना पड़ता है. सरकार बदलने से बहुत सी योजनाएं और प्रोग्राम बदलते हैं, जिससे विकास की राह और गति रुक जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. इस बात से मैं बहुत ही आहत और दुखी हूं. मैं लोगों में जागरूकता लाना चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि वे विचार-विमर्श करें, इन बातों को समझें और अपनी सोच-समझ, कर्म-कार्य, हाव-भाव और नीतियों को बदलें. ताकि हम अपने राज्य और देश के सुनहरे भविष्य के सपने को साकार कर सकें.

आज जनता को मंत्रियों और विधायकों से पूछना चाहिए कि पांच साल में उनके पास धन-सम्पत्ति, जमीन-जायदाद, बंगला-गाड़ी कहां से आ गए? जनता को भ्रष्टाचार पहचानना चाहिए और सवाल करना

सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस का पूरा खर्च नबाम तुकी और पेमा खांडू ने मिलकर उठाया था. जिसका फैसला मेरे खिलाफ दिया गया था. ये रकम करीब 90 करोड़ रुपए थी. इस केस में मेरे हित में फैसला देने के लिए मुझे भी फोन किया गया और मुझसे भी 86 करोड़ रुपए की मांग की थी. लेकिन मुझे और मेरे जमीर को ये मंजूर नहीं था. मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैं कमाया नहीं और न ही राज्य को कुएं में गिराने की मेरी इच्छा थी. मैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए सरकार और जनता के पैसे का दुरुपयोग क्यों करूं? इसका नतीजा आप सबके सामने है.

चाहिए कि विधायक या मंत्री बनने से पैसा बनाने का क्या सर्टिफिकेट मिल जाता है? या पैसा छापने की फैक्ट्री और मशीन मिल जाती है? मैं मानता हूं कि जनता जनार्दन है और उन्हें सच को पहचानना चाहिए.

दोरजी खांडू सेना के आम सिपाही थे, विधायक बनने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं था. लेकिन जब वे रिलीफ मंत्री बने, तब उन्होंने सरकारी ठेकों को 50 प्रतिशत में बेचकर अपनी जेब में भरना शुरू कर दिया. जब वे पावर (ऊर्जा) मंत्री बने, तब उन्होंने पूरे अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट योजना में नदी नालों को बेचकर पैसे गबन किए. उन्होंने 30 लाख प्रति मेगावाट के हिसाब से कंपनी को प्रोजेक्ट बेचकर मोटी कमाई की थी.

उसके बाद उन्होंने **अपांग** की सरकार को गिरा दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए. आज उनके **(दोरजी खांडू)** तवांग, ईटानगर, गुवाहाटी, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु में बड़े-बड़े आलीशान मकान और बंगले हैं. बहुत से फार्म हाऊस, होटलें और कॉमर्शियल इस्टेट हैं. आज लोग कहते हैं कि **दोरजी खांडू** ने घोटाले कर 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा धन कमाया, सम्पत्ति बनाई. लेकिन आज वे तो इस दुनिया में नहीं हैं, फिर ये धन-दौलत क्या काम आया? इससे जिन्दगी तो नहीं खरीद सकते और न ही इस धन-दौलत को दूसरी दुनिया में ले जा सकते हैं. कहने का मतलब है, हर किसी को मेहनत-मजदूरी कर अपनी किस्मत में जो है और अपनी जरूरत तक ही कमाई करनी चाहिए. सोशल मीडिया, फेसबुक और वॉटसअप पर लोग कह रहे और पूछ भी रहे हैं कि **पेमा खांडू** के पास आज जो 1700 करोड़ नगद पैसा है, वो पैसा कहां से आया?

जनता ये खुद सोचे और विचार करे कि मंत्री बनने से पहले उनके पास क्या था और आज क्या है? उनके पास कोई पैसा बनाने की मशीन या फैक्ट्री तो नहीं थी और न ही कुबेर का कोई खजाना था. फिर इतना पैसा कहां से आया? ये जनता का पैसा है. मंत्री बने ये लोग इसी पैसों का रोब दिखाकर जनता को डराते-धमकाते हैं और लोग उसके पीछे भागते हैं. आज जनता को इसका जवाब मांगना चाहिए और इस मामले को पूरी छानबीन होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस का पूरा खर्च **नबाम तुकी** और **पेमा खांडू** ने मिलकर उठाया था. जिसका फैसला मेरे खिलाफ दिया गया था. ये रकम करीब 90 करोड़ रुपए थी. इस केस में मेरे हित में फैसला देने के लिए मुझे भी फोन किया गया और मुझसे भी 86 करोड़ रुपए की मांग की थी. लेकिन मुझे और मेरे जमीर को ये मंजूर नहीं था. मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैं कमाया नहीं और न ही राज्य को कुएं में गिराने की मेरी इच्छा थी. मैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए सरकार और जनता के पैसे का दुरुपयोग क्यों करूं? इसका नतीजा आप सबके सामने है.

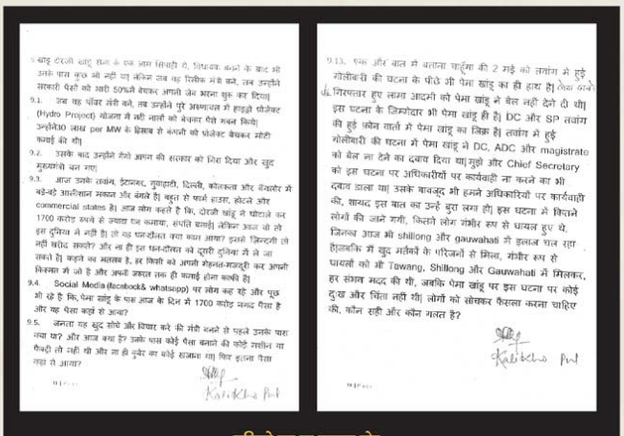

कलिखो पुल का सुसाइड नोट

राहत का पैसा नेताओं की जेब में

तवांग में आज से ही नहीं बल्कि वर्षों से विकास के नाम पर बहुत सा पैसा जा रहा है, लेकिन वहां पैसों का दुरुपयोग हुआ है और नेताओं ने अपनी जेबें भरी हैं. 2005 से रिलीफ फंड के नाम से वहां बहुत पैसा जा रहा है. जनता आरटीआई से इसकी जानकारी ले सकती है. प्रोजेक्ट का दौरा करने पर वहां जमीन पर कुछ भी नहीं मिलेगा. टूरिज्म के नाम पर बहुत पैसा जा रहा है. अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर बहुत पैसा जा रहा है. पावर के क्षेत्र में बहुत पैसा जा रहा है. किटपी हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम से वर्ष 2010-11 में बिना सैंक्शन और बिना काम के 27 करोड़ रुपए 'एलओसी' (लाइन ऑफ क्रेडिट) किया गया, बिना बिल के पैसे उठाए गए. उन पैसों का गबन किया गया. इसी प्रकार खान्तांग और मुकतो हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम से भी झूठा बिल बनाकर 70 करोड़ से भी ज्यादा पैसों का गबन किया गया.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हुए भीषण घोटाले (पीडीएस स्कैम) की असली जड़ **नबाम तुकी** और **दोरजी खांडू** हैं, उन्होंने ही इस घोटाले की शुरुआत की थी. **गेंगो अपांग** जब मुख्यमंत्री थे, तब राज्य में पीडीएस का साल भर का काम 61 लाख रुपए में ही हो जाता था. **गेंगो अपांग** इसे सुधारना चाहते थे, पर सभी ने मिलकर उन्हें फंसाया था. जब नई सरकार बनी तब **नबाम तुकी** फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे. **तुकी** ने ही राज्य में सिर पर अनाज ढो कर ले जाने की व्यवस्था (हेड लोड सिस्टम) की शुरुआत की थी. एक साल में ही पीडीएस का काम 68 करोड़ रुपए तक बढ़ गया था. वही, अगले ही साल इस काम की लागत 164 करोड़ रुपए तक बढ़ गई थी. इस पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार पर शक हो गया था और उन्होंने एफसीआई को जांच और ऑडिट करने का आदेश दिया, जिसमें राज्य सरकार को दोषी पाया गया था. इसके बाद केन्द्र सरकार ने पेमेंट रोक दिया था. पीडीएस घोटाला खुलने पर **गेंगो अपांग** ने 'हेड लोड' का काम बंद करवा दिया, जिससे ये पेमेंट वहीं रुक गया था.

पीडीएस भारत सरकार की योजना थी, जिसका पैसा एफसीआई के जरिए भारत सरकार से ही आता है. राज्य सरकार के पैसों से इसका पेमेंट नहीं होता था. जब 2007 में **दोरजी खांडू** मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने सार्वजनिक वितरण के काम से सम्बद्ध अपने ही ठेकेदारों को अपनी ही सरकार के खिलाफ केस करने के लिए उकसाया और इस काम के लिए उनकी मदद भी की. इस केस में राज्य सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार जान-बूझकर हारती गई. **दोरजी खांडू** के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कोर्ट में जान-बूझकर सही रिकॉर्ड और जानकारी नहीं दी थी और बहुत सी फाइल और रिकॉर्ड को मिटा दिया गया. 50 प्रतिशत हिस्सा लेकर **दोरजी खांडू** ने ही प्राइवेट पार्टियों को राज्य सरकार के खिलाफ अदालती आदेश (कोर्ट डिक्री) लेने में मदद की थी और पहला पीडीएस पेमेंट उन्हीं के समय में हुआ था.

30 नवम्बर 2011 तक जब मैं राज्य का वित्त मंत्री था, तब अदालती आदेश होने पर भी, मैंने और कृषि मंत्री **सेतांग सेना** ने पेमेंट नहीं दिया था. केवल पीडीएस पेमेंट देने के के कारण ही **नबाम तुकी** ने मुझे वित्त मंत्री के पद से हटाया था. मेरे वित्त मंत्री के पद से हटते ही **चोउना मीन** वित्त मंत्री बने और चार दिनों के अंतर ही 4/12/2011 को **नबाम तुकी** और **चोउना मीन** ने पीडीएस कॉन्ट्रैक्टर से पैसों में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी लेकर 'हेड लोड' का भुगतान कर दिया.

अपने 23 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने पीडीएस बिल की फोटो-कॉपी पर पेमेंट होते पहली बार देखा था. ऐसा किसी और राज्य में नहीं होता है. 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसों का पीडीएस पेमेंट हुआ. इन पैसों को राज्य के डेवलपमेंट फंड से दिया गया था. जबकि ये भारत सरकार की स्कीम थी और भारत सरकार ने इसमें घोटाला देखकर एक भी पैसा राज्य सरकार को नहीं दिया था. पीडीएस घोटाले के मुख्य दोषी **दोरजी खांडू, पेमा खांडू, नबाम तुकी** और **चोउना मीन** ही हैं.

पूर्व मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने फाइल और तथ्यों को गायब कर दिया

जब मैं मुख्यमंत्री बना, तब मैंने इस केस की जांच की और राज्य सरकार को बचाने की कोशिश की थी. हमारी सरकार ने एफसीआई के खिलाफ केस किया, भारत सरकार के खिलाफ केस किया और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी. मुझे इस बात का बहुत ही दुख है कि राज्य के पूर्व मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने मिलकर सभी फाइल, डॉक्युमेंट्स और जरूरी तथ्यों को गायब कर दिया और मिटा दिया. जिसकी वजह से मैं राज्य सरकार को

शेष पृष्ठ 5 पर

मुख्यमंत्री (पू.) ने आत्महत्या से पहले आख़िरी बार लिखा

पीडीएस घोटाला

पृष्ठ 4 का शेष

इस केस में बचा नहीं सका. इस केस में मुख्य सचिव, सचिव, निदेशकों और अफसरों को जेल तक होने वाली है.

आज इस पीडीएस केस में वास्तविक ठेकेदारों को पैसा नहीं मिला, जबकि उन्होंने सही टेंडर भरा और सही काम भी किया, उचित मूल्य की दुकानों (फेयर प्राइस शॉप्स) तक चावल भी पहुंचाया था. वहीं, दूसरी ओर पीडीएस स्कैम में **पेमा खांडू** का नाम शामिल है, जिसका आज भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के चावल घोटाले में भी **दोरजी खांडू** और **पेमा खांडू** खुद फंसे हुए हैं. आज इसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. अगर **दोरजी खांडू** जिंदा होते, तो अभी जेल में होते. **पेमा खांडू** आज मुख्यमंत्री हैं, फिर भी इस केस में बहुत जल्द जेल में जाएंगे. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ही गलत थी, क्योंकि इस योजना में एक भी दाना चावल गांवों तक नहीं पहुंचा और न लोगों को चावल मिला. ये सारा चावल असम में बेचा गया, वो एक घोटाला है. जो चावल गया ही नहीं, उसके लिए झूठा ट्रांसपोर्टेशन बिल बनाया गया, ये दूसरा घोटाला है. इन बाप-बेटों ने घोटालों पर

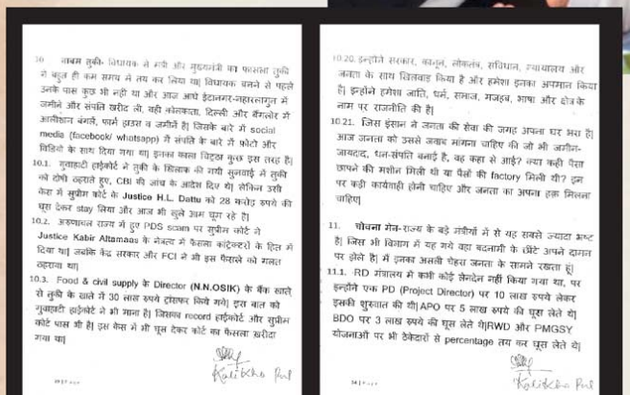

कलिखो पुल का सुसाइड नोट

घोटाले किए हैं. इस घोटाले पर कोई भी साधारण व्यक्ति या जनता **पेमा खांडू** से आज पूछे कि इस योजना में केंद्र से कितना चावल आया था? किसके लिए आया था? कब आया था? और किसको चावल मिला? और इस चावल घोटाले में कितने पैसों की कमाई हुई? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन सवालों के जवाब **पेमा खांडू** के पास नहीं हैं. उनका सिर्फ एक ही जवाब है, उनके पास आज ढेर सारा नगद पैसा है, जिनके पीछे जनता भागती है. लेकिन ये बात जनता को जानना और समझना चाहिए की ये इन सब घोटालों का पैसा है.

कमजोर, भ्रष्ट, बदमाश और लुटेरों को ही प्राथमिकता देना कांग्रेस पार्टी की नीति है. ऐसे ही लोगों को कांग्रेस नेता बनाती है, ताकि वो सरकार और जनता के पैसों को मिलकर लूटे और कांग्रेस आला कमान को पहुंचाता रहे, जिससे लगातार उनकी कमाई होती रहे.

घोटालों और भ्रष्टाचार का पता होते हुए भी नेताओं और विधायकों ने आज तक कुछ नहीं किया. क्योंकि विधायकों और मंत्रियों को भी **पीके थुंगन, गेगांग अपांग, दोरजी खांडू, नबाम तुकी** और **पेमा खांडू** जैसे ही भ्रष्ट मुख्यमंत्री चाहिए. जिनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं. लेकिन यही लोग अधिकारियों, न्यायालयों और जजों को पैसा दे सकते हैं.

अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान मैंने हर जिले को सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड (एसआईडीएफ), ग्रामीण अभियंत्रण (रूरल इंजीनियरिंग) और 'नॉन प्लान' में बराबर फंड दिया था. इसके बाद भी **पेमा खांडू** और उनके दोनों भाईयों ने एक प्रोजेक्ट में मुझसे तत्काल 6 करोड़ रुपए हाईड्रो प्रोजेक्ट मैंन्टेनेंस के लिए मांगे थे, जिसे मैंने पूरा दिया. इन पैसों को अभी काम में ही नहीं लिया गया था कि उन्होंने फूड रिलीफ में मुझसे पैसे मांगे. उन्होंने 10 करोड़ की और मांग की थी. उस समय राज्य में फ्लड रिलीफ के लिए कुल 14 करोड़ रुपए ही थे, फिर भी मैंने सबसे ज्यादा 6 करोड़ रुपए तवांग में दिए थे.

अरुणाचल जैसे छोटे राज्य में हमारे पास एनडीआरएफ में केवल 51 करोड़ रुपए ही थे, जिसे 20 जिलों और 60 विधायकों को जरूरत होने पर देना था और उस समय में बहुत से जिले बाढ़ से पीड़ित थे. मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे हर जिले और 60 विधायकों को बराबर देखना था. लेकिन **पेमा खांडू** और उनके दोनों भाईयों ने मुझसे 100.88 करोड़ रुपए की मांग की थी. मैंने उन्हें राज्य की स्थिति के बारे में बताया और समझाया. लेकिन इस बात से वे मुझसे नाराज हो गए और उन्होंने मेरे खिलाफ चाल चल दी थी.

तवांग गोलीबारी के पीछे भी पेमा खांडू

एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि 2 मई को तवांग में हुई गोलीबारी की घटना के पीछे भी **पेमा खांडू** का ही हाथ है. गिरफ्तार हुए लामा आदमी को **पेमा खांडू** ने बेल नहीं देने दी थी. इस घटना के जिम्मेदार भी **पेमा खांडू** ही हैं. डीसी और एसपी तवांग की हुई फोन वार्ता में **पेमा खांडू** का जिक्र है. तवांग में हुई गोलीबारी की घटना में **पेमा खांडू** ने डीसी, एडीसी और मजिस्ट्रेट पर बेल न देने का दबाव बनाया था. मुझे और चीफ सेक्रेटरी को इस घटना के मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का भी दबाव डाला था. उसके बावजूद हमने अधिकारियों पर कार्रवाई की, शायद इस बात का उन्हें बुरा लगा हो. इस घटना में कितने लोगों की जाने गईं, कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनका आज भी शिलांग और गुवाहाटी में इलाज चल रहा है. जबकि मैं खुद मृतकों के परिजनों से मिला, गंभीर रूप से घायल हुए लोगों से भी तवांग, शिलांग और गुवाहाटी में मिलकर हर संभव मदद की थी. जबकि **पेमा खांडू** को इस घटना पर कोई दुख और चिंता नहीं थी. लोगों को सोचकर फैसला करना चाहिए कि कौन सही और कौन गलत है?

विधायक से मंत्री और मुख्यमंत्री का फासला **नबाम तुकी** ने बहुत ही कम समय में तय कर लिया. विधायक बनने से पहले उनके पास कुछ भी नहीं था और आज आधे ईटानगर-नहारलागुन में उनकी जमीनें और सम्पत्ति हैं. वहीं कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में भी उनके आलीशान बंगले, फार्म हाउस व जमीनें हैं. सोशल मीडिया, फेसबुक-व्हाट्सएप पर फोटो और वीडियो के साथ उनकी सम्पत्ति का ब्यौरा उपलब्ध है. इनका काला चिट्ठा कुछ इस तरह है:

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने **नबाम तुकी** के खिलाफ की गई सुनवाई में उन्हें दोषी ठहराते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. लेकिन उसी केस में **तुकी** ने सुप्रीम कोर्ट के **जस्टिस एच. एल. दत्तू** को 28 करोड़ रुपए घूस देकर स्टे ले लिया और आज भी खुलेआम घूम रहे हैं.

अरुणाचल प्रदेश में हुए पीडीएस स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट के **जस्टिस अल्तमस कबीर** ने कांट्रैक्टरों के हित में फैसला दिया था. जबकि केंद्र सरकार और एफसीआई ने भी इस फैसले को गलत ठहराया था.

फूड एंड सिविल सप्लाई के डायरेक्टर **एन.एन. ओसीक** के बैंक खाते से **नबाम तुकी** के खाते में 30 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे. इस बात को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी माना है. जिसका रिकॉर्ड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है. इस केस में भी घूस देकर कोर्ट का फैसला खरीदा गया था.

कमजोर, भ्रष्ट, बदमाश और लुटेरों को ही प्राथमिकता देना कांग्रेस पार्टी की नीति है. ऐसे ही लोगों को कांग्रेस नेता बनाती है, ताकि वो सरकार और जनता के पैसों को मिलकर लूटे और कांग्रेस आला कमान को पहुंचाता रहे, जिससे लगातार उनकी कमाई होती रहे. घोटालों और भ्रष्टाचार का पता होते हुए भी नेताओं और विधायकों ने आज तक कुछ नहीं किया. क्योंकि विधायकों और मंत्रियों को भी पीके थुंगन, गेगांग अपांग, दोरजी खांडू, नबाम तुकी और पेमा खांडू जैसे ही भ्रष्ट मुख्यमंत्री चाहिए. जिनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं.

नबाम तुकी ने पीडीएस घोटाले की शुरुआत की थी

फूड एंड सिविल सप्लाई के मंत्री रहते समय **नबाम तुकी** ने ही पीडीएस घोटाले की शुरुआत की थी. सड़क रास्ता होने पर भी 'हेड लोड' का झूठा फार्मूला आविष्कार किया. 20 किलोमीटर को 46 किलोमीटर का रास्ता बताया और 40 किलोमीटर को 90 किलोमीटर का रास्ता बताकर पैसों का गबन किया था. जहां जनसंख्या ही नहीं थी, वहां चावल का कोटा बढ़ाया गया. चावल पर लोन दिखाकर कोटा बढ़ाया गया और भारी मात्रा में पैसों का गबन किया. जहां चावल, चीनी और गेहूं गया ही नहीं, वहां झूठा बिल बनाकर घोटाला किया गया. कुरुंग कुमे और सुबानसीरी के चावल के कोटे को एफसीआई बेस डिपो से निकालकर लखीमपुर (असम) में बेचा गया था. तवांग, पूर्वी कामेंग और पश्चिमी कामेंग के चावल के कोटे को तेजपुर (असम) में बेचा गया था. पूर्वी-पश्चिमी सियांग के चावल के कोटे को धेमाजी (असम) में बेचा गया. एक ही बिल से बार-बार झूठा बिल बनाकर 6-7 बार पैसे निकाले गए. राज्य में जिस समय 61 लाख रुपए में साल भर के पीडीएस चावल की सप्लाई होती थी, वहीं **नबाम तुकी** के मंत्री रहते हुए, ये रकम 168 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गई थी.

पुराने कामों और फोटो दिखाकर **नबाम तुकी** ने 70 प्रतिशत तक रिलीफ फंड का घोटाला किया था. उन पैसों का नबाम तुकी ने दुरुपयोग किया और जनता और केंद्र सरकार को गुमराह किया. इसकी पीआईएल आज गुवाहाटी हाईकोर्ट में चल रही है. राज्य में ऐसे घोटाले कर वे अपनी सम्पत्ति बढ़ाते हैं. उससे न्यायालय में न्याय खरीदते हैं. कांग्रेस आलाकमान को खरीदते हैं और मीडिया को भी खरीदते हैं. जिसे जनता चुपचाप देखती रहती है.

राज्य में नॉन प्लान फंड आंवटित कर 60 प्रतिशत पैसे वापस लेकर दुरुपयोग किया गया, जिसकी वजह से राज्य में केंद्र की बहुत सी योजनाएं आज भी बंद पड़ी हैं. जिसके कारण राज्य में वर्ष 2013, 2014 और 2015 तक लगातार ओवरड्राफ्ट की समस्या होती रही. जिसके चलते सरकारी अधिकारियों की तनख्वाह, भत्ते, चिकित्सा बिल, गवर्नमेंट प्रॉविडेंट फंड/न्यू पेंशन स्कीम, छात्रों के भत्ते और ठेकेदारों के भुगतान समय पर नहीं हो पाते थे. इस पर भी सरकारी अधिकारी, छात्र, ठेकेदार और जनता इन्हें सहती गई, कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया और न ही इसका विरोध करने की कभी हिम्मत दिखाई. जिससे भ्रष्ट लोगों के हौसले बुलंद होते गए और वे राज्य में ज्यादा भ्रष्टाचार करते गए.

13वें वित्त आयोग (टीएफसी) के सारे पैसों का दुरुपयोग हुआ है. स्पेशल प्लान असिस्टेंस (एसपीए) के पैसों का दुरुपयोग हुआ है, जिसका काम आज भी बंद पड़ा है. स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट (एससीए) फंड का भी दुरुपयोग हुआ है. राज्य के पास फंड नहीं है, फिर भी भोली जनता को गुमराह करने के लिए कहा गया कि सिविल डिपॉजिट में फंड है. जब मैं मुख्यमंत्री बना, तो सबसे पहले छानबीन कर पता लगाया, लेकिन वहां कोई पैसा नहीं था.

दोरजी खांडू जहां रिलीफ फंड और नॉन प्लान फंड में 60 प्रतिशत दलाली/घूस लेते थे, वहीं

शेष पृष्ठ 6 पर

मुख्यमंत्री (पू.) ने आत्महत्या से पहले आख़िरी बार लिखा

कांग्रेस के बड़े नेताओं को मैंने पैसे दिए

पृष्ठ 5 का शेष

नबाम तुकी ने इसमें 10 प्रतिशत इजाफा किया और 70 प्रतिशत दलाली लेकर राज्य के फंड को लूटा.

यही सब कारण है कि पिछले तीन सालों से राज्य में ओवरड्राफ्ट की समस्या चल रही थी और राज्य बजट भी घाटे में चल रहा था.

नबाम तुकी ने अपनी पत्नी नबाम न्यामी के नाम पर राज्य के सभी शहरों मसलन, ज़ीरो, पासीघाट, तेजू, इटानगर, हवाईसमेत सभी जिलों में सरकारी ठेकेदारी के काम किए. वहीं उनके भाई और परिवारजन **नबाम तगाम, नबाम आका, नबाम हारी** और **नबाम मारी** ने भी बहुत सी सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में अलग-अलग काम कर राज्य के खजाने को लूटा था. राज्य में इन सभी घाटे और घोटालों के जिम्मेदार **नबाम तुकी** ही हैं, जिन्होंने राज्य को कुएं में धकेल दिया और भोली जनता को बेवकूफ बनाया.

नबाम तुकी की हरकतों का मैंने विरोध किया

सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप पर लोग पूछ रहे है कि ये पैसे कहां से आए? लेकिन अगर इनसे सच पूछा गया, तो ये आपसे नजर मिलाकर ये बात भी नहीं कर सकेंगे. **नबाम तुकी** की इन्हीं हरकतों से तंग आकर मैंने और राज्य के ज्यादातर विधायकों ने एक सुर में उनका विरोध किया. उनकी सरकार अल्पमत में होने पर भी उन्होंने अपने स्पीकर भाई **नबाम रेबिया** के साथ मिलकर और उनकी मदद से दो विधायकों को निष्कासित कर दिया और अपनी सरकार चलाते रहे.

विधानसभा अध्यक्ष पर महाभियोग (इम्पीचमेंट) का मामला होने पर भी **नबाम रेबिया** अपने पद पर बने रहे, जबकि 14 दिनों के अंदर ही इस पर कार्यवाही होनी चाहिए थी. वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने पर भी **नबाम तुकी** सीएम पद पर बने रहे, जबकि राज्यपाल ने उन्हें बहुमत सिद्ध करने को कहा था. 13 जनवरी 2016 को गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद भी वे अपनी सरकार चलाते रहे और राज्य को लूटते रहे. ऐसे में **नबाम तुकी** को अपना त्याग पत्र पेश करना चाहिए था. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

एक राज्य में राज्यपाल ही सबसे बड़े होते हैं. राज्यपाल की ही इजाजत से मुख्यमंत्री व मंत्री तय होते हैं. ट्रांसफर, पोस्टिंग और अपॉएंटमेंट भी राज्यपाल के दिशा-निर्देश में किए जाते हैं. लेकिन **नबाम तुकी** ने हमेशा कानून, न्याय और जनता का मजाक उड़ाया. मैंने अपने 23 साल के राजनीतिक जीवन में पांच मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, लेकिन **नबाम तुकी** जैसा भ्रष्ट और खराब तंत्र (सिस्टम) कहीं नहीं देखा. इनकी सरकार ने राज्य में बंद, हड़ताल और दंगे करवाए. जनता को जाति, धर्म व क्षेत्र के नाम पर बांटा और उनमें लड़ाईयां करवाईं. उन्होंने सरकार, कानून, लोकतंत्र, संविधान, न्यायालय और जनता के साथ खिलवाड़ किया है और हमेशा इनका अपमान किया है. इन्होंने हमेशा जाति, धर्म, समाज, मजहब, भाषा और क्षेत्र के नाम पर राजनीति की है.

जिस इंसान ने जनता की सेवा के बजाय अपना घर भरा है, आज जनता को उससे जवाब मांगना चाहिए कि जो भी जमीन जायदाद, धन-सम्पत्ति उन्होंने बनाई है, वो कहां से आई? क्या कहीं पैसा छापने की मशीन मिली थी या पैसों की फैक्ट्री मिली थी? इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जनता को उसका हक मिलना चाहिए.

चोउना मीन सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं

चोउना मीन राज्य के बड़े मंत्रियों में से सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं. **मीन** जिस भी विभाग में गए, वहां बदनामी के छींटे अपने दामन पर झेले हैं. मैं इनका असली चेहरा जनता के सामने रखता हूं. अरुणाचल के ग्रामीण विकास मंत्रालय में कभी कोई लेनदेन नहीं किया गया था, पर **चोउना मीन** ने एक पीडी (प्रोजेक्ट डाइरेक्टर) से 10 लाख रुपए लेकर इसकी शुरुआत की थी. एपीओ की पोस्टिंग के लिए 5 लाख रुपए घूस लेते थे. बीडीओ के लिए 3 लाख रुपए घूस लेते थे. रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट (आरडब्लूडी) और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में भी ठेकेदारों से पर्सेंटेज तय कर घूस लेते थे. **चोउना मीन** ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए भी घूस लेते थे. इसके लिए उनका रेट ही तय था- एक्जेक्यूटिव इंजीनियर के लिए 15 लाख रुपए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 5 लाख रुपए, जूनियर इंजीनियर के लिए 3 लाख रुपए.

शिक्षा मंत्री बनने पर **चोउना मीन** ने 3 से 4 लाख रुपए लेकर लोगों को बिना इंटरव्यू के शिक्षक की नौकरी दी थी. पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) में भी ट्रांसफर और पोस्टिंग पर 10-15 लाख रुपए घूस लेकर ढेर सारा पैसा कमाया था. लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए भी **चोउना मीन** ने पैसों की मांग की थी, जिसके कारण बहुत से अधिकारियों ने डिवीजन में जाने से मना कर दिया था और नाराज भी हो गए थे. पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में मंत्री रहते समय जारहाम गामलिन सरकार में रिलीफ फंड के 46 करोड़ रुपए की दलाली कर 15 ही दिनों में **मीन** ने उल्फा और अंडरग्राउंड ताकतों की मदद से गामलिन सरकार को गिरा दिया था.

चोउना मीन के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में मंत्री रहते समय, केंद्र सरकार ने वाटर सप्लाई के लिए 67 करोड़ रुपए दिए थे, बिना काम किए ही इन पैसों का दुरुपयोग किया गया. जिसका रिकॉर्डे आरटीआई से लिया गया है और ये आज भी आरटीआई कार्यकर्ता के पास मौजूद है. फिर **नबाम तुकी** सरकार में वित्त मंत्री बनने पर इन्होंने राज्य को भारी वित्तीय संकट की सौगात दे दी. डेवलपमेंट प्लान फंड को नॉन प्लान में डाल कर फंड का दुरुपयोग किया गया. जिसकी बदौलत **मीन** के कार्यकाल में राज्य में ओवरड्राफ्ट की भारी समस्या थी.

चोउना मीन के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में मंत्री रहते समय, केंद्र सरकार ने वाटर सप्लाई के लिए 67 करोड़ रुपए दिए थे, बिना काम किए ही इन पैसों का दुरुपयोग किया गया. जिसका रिकॉर्डे आरटीआई से लिया गया है और ये आज भी आरटीआई कार्यकर्ता के पास मौजूद है. फिर नबाम तुकी सरकार में वित्त मंत्री बनने पर इन्होंने राज्य को भारी वित्तीय संकट की सौगात दे दी. डेवलपमेंट प्लान फंड को बॉन प्लान में डाल कर फंड का दुरुपयोग किया गया. जिसकी बदौलत मीन के कार्यकाल में राज्य में ओवरड्राफ्ट की भारी समस्या थी. इन्होंने हमेशा ऐसे विभाग चुने जिनमें ज्यादा ट्रांसफर-पोस्टिंग होती हो. ज्यादातर वे प्लानिंग, फाइनेंस और पीडब्लूडी में रहने की मांग ही करते रहे, ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके. क्या ऐसे नेताओं के हाथ में राज्य सुरक्षित है?

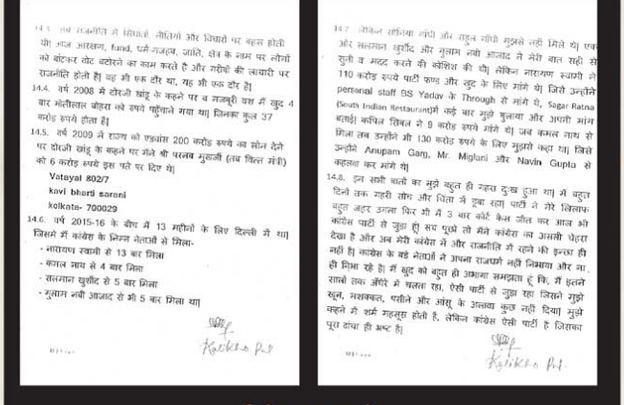

कलिखो पुल का सुसाइड नोट

इन्होंने राज्य में हमेशा ही ऐसे विभाग चुने जिनमें ज्यादा ट्रांसफर-पोस्टिंग होती हो. ज्यादातर वे प्लानिंग, फाइनेंस और पीडब्लूडी में रहने की मांग ही करते रहे, ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके. क्या ऐसे नेताओं के हाथ में राज्य सुरक्षित है?

आज हर कहीं जमीनें, सम्पत्ति, चाय बगान, संतरा बगान और रबड़ बगान खरीदकर नमसाई जिले की आधी सम्पत्ति इन्होंने अपने नाम कर रखी है. **चोउना मीन** ने दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु और गुवाहाटी में आलीशान बंगले कमिशयल स्टेट और सम्पत्ति बना रखी है.

जनता जवाब मांगे कि राज्य और जनता को इस तरह क्यों गुमराह किया गया? विधायक या मंत्री बनना पैसों की फैक्ट्री चलाना तो नहीं है, फिर इतना पैसा कहां से आया? क्या यही हैं कांग्रेस के असली नेता? जनता को क्यों धोखे में रखा गया और जनता की जिंदगी से क्यों खेला गया?

अरबों के मालिक कारिखो कीरी का अपना घर भी नहीं था

कारिखो कीरी महाशय कभी तेजू से विधायक थे. विधायक बनने से पहले इनके पास अपना घर भी नहीं था. अपने बड़े भाई, जो कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में इंजीनियर थे, उन्हीं के साथ रहते थे. अपने पहले विधानसभा चुनाव में एक पुराने स्कूटर से कैंपेन शुरू किया था और विधायक बनने के 3-4 सालों में ही हर कहीं जमीन और सम्पत्ति खरीद कर आधे तेजू के मालिक हो गए. अब उनके पास आलीशान बंगले, शानदार गाड़ियां और नवाबों के ठाट-बाट हैं. आज ईटानगर, दिल्ली, कोलकाता बेंगलुरु में कारिखो कीरी के आलीशान बंगले और सम्पत्ति है. आज उनसे कोई नहीं पूछता की ये पैसे कैसे और कहां से आए? लोग उनके पैसों के पीछे-पीछे भागते हैं. राज्य में विधायक बनना किसी लॉटरी लगने जैसा है. जहां हर कोई रातो-रात करोड़पति बन जाता है. राज्य में ऐसे और भी बहुत से विधायक हैं, जो विधायक बनने पर राज्य को लूटते हैं.

जैसे कि जब इस बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तब मुझसे कई विधायकों ने 15 करोड़ रुपए नगद मांगे थे. उनका कहना था कि अगर अपनी सरकार बचानी है, तो हमें इतने पैसे दें. लेकिन मैं यहां पैसा बनाने या पैसा बांटने के लिए नहीं आया, बल्कि जनता के सरकारी खजाने को बचाने व रक्षा करने आया था. सही समय और सही ढंग से जरूरतमंद योजनाओं को आगे बढ़ाने और जनता की सेवा और उनके हित में विकास करने के लिए आया था. जब भी कभी राज्य में राजनीतिक संकट की स्थिति होती है, तो ये विधायक दोनों तरफ से 10-15 करोड़ रुपए लूटते हैं. ऐसा कर ये अपने आपको नीलाम करते हैं, बेचते हैं. राज्य में ऐसा कब तक चलता रहेगा? जनता को विधायकों से सवाल करना चाहिए, उनके खिलाफ जन आंदोलन करना चाहिए. आज के सभी विधायक भ्रष्ट हैं, इन्हें विधानसभा में जाने का कोई हक नहीं है. जनता को इनसे त्याग पत्र मांगना चाहिए, ताकि वे एक नई और बेहतर सरकार चुन सकें, जिससे राज्य का हित हो सके. (ख़ास कर मुझे दुख है, अपने अच्छे दोस्त **पीडी सोनाजी** का काम मैं पूरा नहीं कर पाया, उनकी मांग थी 10 करोड़ नगद, लेकिन 11/07/2016 को मैं उन्हें 4 करोड़ ही दे पाया).

राज्य में सही सोच-विचार के साथ, मजबूत इच्छा शक्ति, स्पष्ट उद्देश्य के साथ स्पष्ट नीति केंद्रित योजनाओं के साथ अगर हम सिर्फ विकास के मकसद से और गरीब जनता के सेवा भाव से काम करें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. मैंने अपने साढ़े चार महीने के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में जो करके दिखाया, वो एक उदाहरण है कि हम कैसे एक राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं और उसे विकास दे सकते हैं. लेकिन मेरे विधायक साथियों ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया और ये किसी को भी करने नहीं देंगे. क्योंकि अपने 25-30 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने विधायकों को ऐसा ही करते देखा है. राज्य के ऐसे भ्रष्ट व बदमाश विधायकों और नेताओं के साथ काम कर पाना मुश्किल है. ये लोग कभी नहीं बदल सकते हैं और न ही कभी सुधर सकते हैं. इन लोगों को समझाने, सबक सिखाने और एहसास दिलाने का वक्त आ गया है, ताकि ये फिर कभी जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकें. मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर राज्य में 4 महीनों में 3-4 बार सरकार बदलेगी तो राज्य को बहुत नुकसान होता है, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा. वहीं जनता बिना समझे हर बार नए मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की जय-जयकार करती है, जबकि मैं समझता हूं कि ये उनके साथ धोखा है.

इसलिए मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि वो इस संदेश और बलिदान को गंभीरता से ले, अपने नेताओं से हिसाब-किताब मांगे, उनका कड़ा विरोध करे. गांव, कस्बों, शहर और जिलों में इन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ बड़े जन आंदोलन हों और राज्यपाल व केंद्र सरकार से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो और राज्य में पहले जैसी केंद्र शासित सरकार बने. ताकि राज्य में विकास हो, जनता को उनका बराबर हक मिल सके और राज्य में अमन, सुख और शांति बहाल हो सके. राज्य में सही समय पर फिर से चुनाव हो, जिसमें नए चेहरों, अच्छे पढ़े-लिखे, नेक इंसान, अच्छी सोच-विचार वाले और अपनी जिंदगी में जिन्होंने संघर्ष किया हो, उन्हें मौका मिले, जिससे राज्य की गरीब जनता का हित और विकास हो सके.

मैंने कांग्रेस के बड़े नेताओं को पैसे दिए

जहां तक कांग्रेस पार्टी का संदर्भ है, मैं एक छात्र रहते हुए कांग्रेस से जुड़ा था और आज कांग्रेस में रहते हुए मुझे 33 साल हो गए हैं. कांग्रेस से जुड़ने के पीछे एक कारण था. वो मान मार्यादाओं, विचारों, आदर्शों और देशभक्ति का दौर था. 7 मार्च 1986 को **श्री राजीव गांधी** तेजू आए थे, उनका स्वागत करने के लिए मैं

शेष पृष्ठ 7 पर

मुख्यमंत्री (पू.) ने आत्महत्या से पहले आख़िरी बार लिखा

न्याय को बिकते हुए देखा है

पृष्ठ 6 का शेष

भी हाथ में तिरंगा झंडा लिए खड़ा था. मैंने तिरंगा झंडा **राजीव जी** को भेंट किया और उन्होंने मुझे कहा था कि अच्छे से पढ़ो और अच्छे आदमी बनो. उस दिन उन्होंने अपने भाषण में 3 बातें कही थी:

अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है.
दिल्ली दूर है, पर मेरे दिल से दूर नहीं हो.

हम केंद्र से सौ रुपए भेजते हैं, लेकिन यहां सिर्फ 25 रुपए ही पहुंचते हैं. हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे.

श्री राजीव गांधी की इन सब बातों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा और मैं कांग्रेस से जुड़ गया. आज मैं 1995 से लगातार हेउलियांग से चुना जा रहा हूं और राज्य में सबसे ज्यादा वोटों से जीतता आ रहा हूं. लेकिन आज दुख होता है कि इतने बड़े कांग्रेस परिवार को जनता की सेवा करने वाले नहीं, बल्कि भ्रष्ट और बदमाश लोग चाहिए. आज नेता सेवक नहीं दलाल बन गए हैं, बिजनेस कर सिर्फ अपना स्वार्थ ही देख रहे हैं. तब की बात और थी, जब राजनीति में सिद्धांतों, नीतियों और विचारों पर बहस होती थी. आज नेता आरक्षण, फंड, धर्म-मजहब, जाति, क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटकर वोट बटोरने का काम करते हैं और गरीबों की लाचारी पर राजनीति होती है. वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है.

वर्ष 2008 में **दोरजी खांडू** के कहने पर और मजबूरीवश मैं खुद चार बार **मोतीलाल बोहरा** को रुपए पहुंचाने गया था. जो कुल 37 करोड़ रुपए थे.

वर्ष 2009 में राज्य को एडवांस 200 करोड़ रुपए का लोन देने के लिए **दोरजी खांडू** के कहने पर मैंने श्री **प्रणव मुखर्जी** (तब वित्त मंत्री) को 6 करोड़ रुपए 'वातायल' 802/7, कवि भारती सरणी, कोलकाता-700029 के पते पर दिए थे.

वर्ष 2015-16 के बीच मैं 13 महीनों के लिए दिल्ली में था. जिसमें मैं कांग्रेस के निम्न नेताओं से मिला- **नारायण सामी** से 13 बार, कमल नाथ से 4 बार, **सलमान खुर्शीद** से 5 बार और **गुलाम नबी आजाद** से भी 5 बार मिला था. लेकिन **सोनिया गांधी** और **राहुल गांधी** मुझसे नहीं मिले. एक ओर **सलमान खुर्शीद** और **गुलाम नबी आजाद** ने मेरी बात सही से सुनी और मदद करने की कोशिश की थी. लेकिन **नारायण सामी** ने 110 करोड़ रुपए पार्टी फंड और खुद के लिए मांगे थे. जिसे उन्होंने अपने निजी स्टाफ **बीएस यादव** के माध्यम से मांगे थे. सागर रत्ना (साउथ इंडियन रेस्टोरेंट) में कई बार मुझे बुलाया और अपनी मांग बताई. **कपिल सिब्बल** ने मुझसे 9 करोड़ रुपए मांगे थे. जब **कमलनाथ** से मिला तब उन्होंने भी 130 करोड़ रुपए देने के लिए मुझसे कहा था. जिसे उन्होंने **अनुपम गर्ग, मि. मिगलानी** और **नवीन गुप्ता** से कहलवा कर मांगे थे.

इन सभी बातों का मुझे बहुत ही गहरा दुख हुआ

15. कानून- एक लोकतंत्र में कानून और न्याय का महत्व सबसे ऊपर रहता है। अगर कानून और न्यायालय ना हो तो लोकतंत्र का चलना मुमकिन नहीं है। न्यायालय का काम है, आम जनता, गरीब और असहायक लोगों को उसका हक़ दिलाना, उसकी मदद करना और बचाव करना है।

15.1. जबकि मैंने इसके बिलकुल उलटा होते देखा है। न्याय के दलालों को देखा और न्याय को बिकते देखा है। आज कानून खुद न्याय का दलाल बन बैठा है।

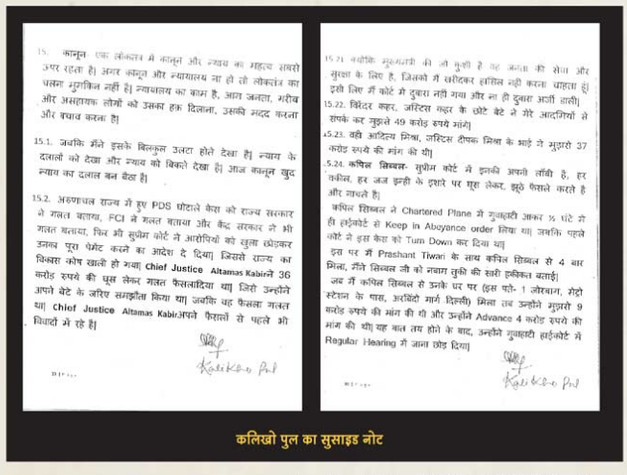

15.2. अरुणाचल राज्य में हुए PDS घोटाले केस को राज्य सरकार ने गलत बताया, FCI ने गलत बताया और केंद्र सरकार ने भी गलत बताया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को खुला छोड़कर उनका पूरा पेमेंट करने का आदेश दे दिया। जिससे राज्य का विकास कोष खाली हो गया। Chief Justice Altamas Kabirने 36 करोड़ रुपये की घूस लेकर गलत फैसलादिया था। जिसे उन्होंने अपने बेटे के जरिए समझौता किया था। जबकि वह फैसला गलत था। Chief Justice Altamas Kabirअपने फैसलों से पहले भी विवादों में रहे है।

Kalikho Pul

15.21. क्योंकि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वह जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए है, जिसको मैं खरीदकर हासिल नहीं करना चाहता हूं। इसी लिए मैं कोर्ट मे दुबारा नहीं गया और ना ही दुबारा अर्जी डाली।

15.22. विरेंदर कहर, जस्टिस कहर के छोटे बेटे ने मेरे आदमियों से संपर्क कर मुझसे 49 करोड़ रुपये मांगे।

15.23. वही आदित्य मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा के भाई ने मुझसे 37 करोड़ रुपये की मांग की थी।

15.24. कपिल सिब्बल- सुप्रीम कोर्ट मे इनकी अपनी लॉबी है, हर वकील, हर जज इन्ही के इशारे पर घूस लेकर, झूठे फैसले करते है और नाचते है।

कपिल सिब्बल ने Chartered Plane में गुवाहाटी आकर ½ घंटे मे ही हाईकोर्ट से Keep in Abeyance order लिया था। जबकि पहले कोर्ट ने इस केस को Turn Down कर दिया था।

इस पर मैं Prashant Tiwari के साथ कपिल सिब्बल से 4 बार मिला, मैंने सिब्बल जी को नबाम तुकी की सारी हकीकत बताई।

जब मैं कपिल सिब्बल से उनके घर पर (इस पते- 1 जोरबाग, मेट्रो स्टेशन के पास, अरबिंदो मार्ग दिल्ली) मिला तब उन्होंने मुझसे 9 करोड़ रुपये की मांग की थी और उन्होंने Advance 4 करोड़ रुपये की मांग की थी। यह बात तय होने के बाद, उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट में Regular Hearing में जाना छोड़ दिया।

Kalikho Pul

कलिखो पुल का सुसाइड नोट

अरुणाचल राज्य में हुए पीडीएस घोटाला मामले को राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि गलत हुआ, एफसीआई ने माना कि गलत हुआ, केंद्र सरकार ने भी कहा कि गलत हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को खुला छोड़ दिया और उनका पूरा पेमेंट करने का आदेश दे दिया. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने 36 करोड़ रुपए घूस लेकर गलत फैसला दिया था. उन्होंने अपने बेटे के जरिए समझौता किया था. जबकि वो फैसला गलत था. अल्तमस कबीर अपने फैसलों के कारण पहले भी विवादों में रहे हैं.

था. मैं बहुत दिनों तक गहरी सोच और चिंता में डूबा रहा. पार्टी ने मेरे खिलाफ बहुत जहर उगला फिर भी मैं 3 बार कोर्ट केस जीत कर आज भी कांग्रेस से जुड़ा हूं. सच पूछो तो मैंने कांग्रेस का असली चेहरा देखा है और अब कांग्रेस में और राजनीति में रहने की मेरी इच्छा ही नहीं है. कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपना राजधर्म नहीं निभाया और न ही निभा रहे हैं. मैं खुद को बहुत ही अभागा समझता हूं कि मैं इतने सालों तक अंधेरे में चलता रहा, ऐसी पार्टी से जुड़ा रहा, जिसने मुझे खून, मशक्कत, पसीने और आंसू के अलावा कुछ नहीं दिया. मुझे कहने में शर्म महसूस होती है, लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका पूरा ढांचा ही भ्रष्ट है.

न्याय के दलालों को देखा है और न्याय को बिकते हुए देखा है

न्याय और कानून के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में कानून और न्याय का महत्व सबसे ऊपर रहता है. अगर कानून और न्यायालय न हो, तो लोकतंत्र का चलना मुमकिन नहीं है. न्यायालय का काम है, आम जनता, गरीब और असहाय लोगों को उसका हक दिलाना, उनकी मदद करना और बचाव करना. लेकिन मैंने इसके बिल्कुल उल्टा होता देखा है. न्याय के दलालों को देखा है और न्याय को बिकते हुए देखा है. आज कानून खुद न्याय का दलाल बन बैठा है.

अरुणाचल राज्य में हुए पीडीएस घोटाला मामले को राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि गलत हुआ, एफसीआई ने माना कि गलत हुआ, केंद्र सरकार ने भी कहा कि गलत हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को खुला छोड़ दिया और उनका पूरा पेमेंट करने का आदेश दे दिया. सुप्रीम कोर्ट के **मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर** ने 36 करोड़ रुपए घूस लेकर गलत फैसला दिया था. उन्होंने अपने बेटे के जरिए समझौता किया था. जबकि वो फैसला गलत था. **अल्तमस कबीर** अपने फैसलों के कारण पहले भी विवादों में रहे हैं.

वर्तमान अदालती मामले

16-17 दिसंबर को हुए विधानसभा सत्र में **नबाम तुकी** सरकार को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से हटाया गया. इस पर **नबाम तुकी** कोर्ट से स्टे लेकर आ गए और उनकी सरकार चलती रही. इसके साथ स्पीकर **नबाम रिबिया** भी अपने पद पर बने रहे. इतना कुछ होने पर भी हमने सरकार नहीं बनाई. 13 जनवरी को गुवाहाटी होईकोर्ट ने इस स्टे को खारिज कर दिया और पेटिशन भी खारिज कर दी. इस पर **नबाम तुकी** ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसके बाद भी उनकी सरकार चलती रही. गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर भी हमने सरकार नहीं बनाई. इसके बाद राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती गई. राज्य के हर कोने में घटनाएं बढ़ने लगीं. यहां तक कि गवर्नर से भी बदसलूकी की गई. राज्य में शांति व्यवस्था नहीं रही. हर दिन हड़तालें होने लगीं. फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और राज्य की हालत दिन-ब-दिन खराब होती गई. 16-17 दिसंबर के विधानसभा सत्र को मान्य नहीं माना गया, जिसके कारण पिछले 6 महीने से विधानसभा का सत्र नहीं हुआ. इसके चलते राज्य में संवैधानिक संकट भी पैदा हो गया. राज्य में बढ़ती वारदातों और घटनाओं को देखकर 26 जनवरी को राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया. जिसके कारण **नबाम तुकी** सरकार हटी. 19 फरवरी को राज्य से प्रेसिडेंट रूल हटाया गया. राज्य में प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद हमने 33 विधायकों के साथ नई सरकार बनाने की पेशकश की, इस पर राज्यपाल ने हमें सरकार बनाने का न्यौता दिया और 10 दिनों में बहुमत सिद्ध करने को कहा गया. सात दिनों में ही यानि 25 फरवरी को हमने सदन में अपना बहुमत सिद्ध किया. हमारी सरकार कहीं भी गलत कारणों से नहीं बनी थी, हमने हमेशा संविधान, कानून, न्याय और नीति को मानते हुए काम किया और सरकार बनाई.

जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला इस प्रकार है- सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान बेंच ने राज्यपाल के पूर्वाहूत आदेश और विधायकों को भेजे गए उनके संदेश को खारिज कर दिया. पहले और दूसरे (1 और 2) को ध्यान में रखते हुए (16-17) को हुए सत्र को खारिज कर दिया.पहले, दूसरे और तीसरे को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के फैसले को खारिज किया. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में मेरी सरकार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में लागू प्रेसिडेंट रूल के बारे में भी कुछ नहीं कहा. 25 फरवरी को विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट, जो कि छठी विधानसभा का सातवां सत्र था, के बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं की. इसके बाद विधानसभा का बजट सत्र हुआ, बजट पारित हुआ, जो छठी विधानसभा का आठवां सत्र था, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा.

इस केस में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत था, हमारे संविधान में दिए गए ये कानून बहुत ही आम हैं और बच्चे-बच्चे इन कानूनों से वाकिफ हैं.

Article 174 - The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the state to meet at such time and place as he thinks fit- राज्यपाल को ये शक्ति है कि वे विधानसभा को नियमित अंतराल से चलाएं. राज्यपाल विधानसभा में कोई बाधा होने पर अपने हिसाब से समय और जगह तय कर सत्र बुला सकते हैं.

Article 175- The Governor may sent messages to the House or House of the legislative of the state, whether with respect to a bill then pending in the legislature or otherwise, and a House to which any message is so sent shall with all convenient dispatch consider any matter required by the message to be taken into consideration- राज्यपाल विधानसभा के दोनों हाउस को अपना मैसेज भेज सकते हैं, सत्र में भेजे गए मैसेज को हर हाल में अमल में लाना होगा.

आर्टिकल 163- मुख्यमंत्री या उनके परिषद राज्यपाल से सलाह ले सकते हैं. अगर किसी भी तरह का कोई विवाद खड़ा होता है, तो राज्यपाल का फैसला ही अटल व मान्य होगा. इसके लिए राज्यपाल के फैसले को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती.

हमारे देश के संविधान में बताए गए इन कानूनों के अनुसार, किसी राज्य में सरकार गिरने या माइनॉरटी में होने और राज्य में किसी तरह का संकट आने पर राज्यपाल को ये अधिकार रहता है कि वे राज्य में विधानसभा के सत्र को बुलाकर, मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने का आदेश दे सकते हैं.

इस केस में सिर्फ **नबाम तुकी** को ही हटाने की बात नहीं थी, बल्कि स्पीकर **नबाम रिबिया** को भी हटाने का प्रस्ताव था. ये जानकर **नबाम रिबिया** ने एक महीने की जगह दो महीनों से भी ज्यादा समय देकर विधानसभा सत्र बुलाया, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. ऐसा कर वे विधायकों का खरीद-फरोख्त करने में अपने भाई **नबाम तुकी** की मदद कर रहे थे. जबकि स्पीकर को हटाने का नोटिस और प्रस्ताव आने के सिर्फ 14 दिन बाद ही कार्यवाई की जानी चाहिए. इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल ने विधानसभा सत्र को पूर्व आहूत किया. राज्यपाल ने हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम किया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी.

सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला मिलने पर मेरा न्यायालय से विश्वास उठ गया है. मुझे दुख तो इस बात का है कि अरुणाचल राज्य के विधायक तो बिके हुए हैं और बिकते हैं, कांग्रेस भी बिकी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज भी बिके हुए होंगे मैंने कभी नहीं सोचा था. उन्होंने फैसला मेरे हक में देने के लिए मुझसे और मेरे करीबियों से कई बार सम्पर्क किया. उन्होंने मुझसे 86 करोड़ रुपए की घूस मांगी थी. जबकि मैं एक आम और गरीब आदमी हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जिससे मैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज और उसके फैसले को खरीद सकूं और न ही खरीदना चाहता हूं. क्योंकि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, वो जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए है, जिसको मैं खरीदकर हासिल नहीं करना चाहता हूं. इसीलिए मैं कोर्ट में दुबारा नहीं गया और न ही दुबारा अर्जी डाली.

वीरेंद्र केहर ने मेरे आदमियों से सम्पर्क कर मुझसे 49 करोड़ रुपए मांगे

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश **जस्टिस जगदीश सिंह केहर** के छोटे बेटे **वीरेंद्र केहर** ने मेरे आदमियों से सम्पर्क कर मुझसे 49 करोड़ रुपए मांगे. वहीं **जस्टिस दीपक मिश्रा** के भाई **आदित्य मिश्रा** ने मुझसे 37 करोड़ रुपए की मांग की थी. **कपिल सिब्बल** की भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी लॉबी है. हर वकील, हर जज इन्हीं के इशारे पर घूस लेकर, झूठे फैसले करते हैं और नाचते हैं. **कपिल सिब्बल** ने चार्टर्ड विमान से गुवाहाटी आकर आधे घंटे में ही हाईकोर्ट से स्थगन आदेश ले लिया था. जबकि पहले कोर्ट ने उसी केस को खारिज कर दिया था.

इस पर मैं **प्रशांत तिवारी** के साथ **कपिल सिब्बल** से चार बार मिला. मैंने **सिब्बल** जी को **नबाम तुकी** की सारी हकीकत बताई. जब मैं **कपिल सिब्बल** से उनके घर पर (1-जोरबाग, मेट्रो स्टशेन के पास, अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली) मिला तब उन्होंने मुझसे 9 करोड़ रुपए की मांग की थी और उन्होंने शेष पृष्ठ 10 पर

दिल तोड़ कर देश नहीं जीत सकते

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

भारत-इजराइल सम्बंध के मामले में लोगों को यह ज़रूर समझना चाहिए कि इजराइल द्वारा निर्मित कुल हथियारों का 41 प्रतिशत भारत खरीदता है. ऐसा नहीं है कि वे हमें मुफ्त में हथियार दे रहे हैं या कोई बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं. हम उनके सबसे बड़े हथियारों के खरीदार हैं. बहरहाल जिन दूसरे मुद्दों को नरेन्द्र मोदी ने उठाया, वे बिल्कुल सही हैं. इजराइल में बहुत सारी तकनीकें हैं, खास तौर पर मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए ड्रिप सिंचाई, जिसमें कम से कम पानी का इस्तेमाल कर अधिक से अधिक उपज हासिल की जाती है. यह तकनीक पहले से ही भारत में आ चुकी है. भारत इजराइल के बीच व्यापार के क्षेत्र में बहुत अधिक सहयोग हो रहा है. इसे स्वीकार करने और इसका लाभ उठाने में कोई नुकसान नहीं है. इजराइल से दो क्षेत्रों में फायदा उठाया जा सकता है. पहला कृषि शोध और दूसरा सुरक्षा का माहौल. इजराइल चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, इसके बावजूद वह ताक़तवर है.

पिछले दिनों के अख़बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इजराइल दौरे की रिपोर्टों से भरे हुए थे. इजराइल का दौरा करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं. इस सरकार ने अपनी पसंद के मुताबिक सूचना जारी करने की विधा में महारत हासिल कर ली है. हालांकि उनका यह कहना सही है कि मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इजराइल का दौरा किया है. वे यह भी कहते हैं कि 25 वर्ष पूर्व दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हुए थे. लेकिन वे इस तथ्य को छुपाना चाहते हैं कि उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उनका सम्बन्ध कांग्रेस पार्टी से था. यह श्रेय सरकार उन्हें नहीं देना चाहती है. ज़ाहिर है, ये ऐसा खेल है जिसे राजनैतिक दल खेलते रहते हैं. लेकिन इससे केवल तात्कालिक लाभ उठाया जा सकता है, उससे अधिक कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता.

दूसरी बात यह कि भारत-इजराइल सम्बंध के मामले में लोगों को यह ज़रूर समझना चाहिए कि इजराइल द्वारा निर्मित कुल हथियारों का 41 प्रतिशत भारत खरीदता है. ऐसा नहीं है कि वे हमें मुफ्त में हथियार दे रहे हैं या कोई बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं. हम उनके सबसे बड़े हथियारों के खरीदार हैं. बहरहाल जिन दूसरे मुद्दों को नरेन्द्र मोदी ने उठाया, वे बिल्कुल सही हैं. इजराइल में बहुत सारी तकनीकें हैं, खास तौर पर मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए ड्रिप सिंचाई, जिसमें कम से कम पानी का इस्तेमाल कर अधिक से अधिक उपज हासिल की जाती है. यह तकनीक पहले से ही भारत में आ चुकी है. भारत इजराइल के बीच व्यापार के क्षेत्र में बहुत अधिक सहयोग हो रहा है. इसे स्वीकार करने और इसका लाभ उठाने में कोई नुकसान नहीं है. इजराइल से दो क्षेत्रों में फायदा उठाया जा सकता है. पहला कृषि शोध और दूसरा सुरक्षा का माहौल. इजराइल चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, इसके बावजूद वह ताक़तवर है. उनकी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सुरक्षा का बहाना लेकर पड़ोसियों को धमकाया जाए. भारत में हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, धमकी भी देते हैं, लेकिन हमारी अपनी सुरक्षा व्यवस्था लचर है.

आईएसआई के स्लीपर सेल पूरे देश में मौजूद हैं. पाकिस्तान के आईएसआई की तरफ से कोई भी देश के किसी भी हिस्से में बम धमाका कर सकता है. हमारी सुरक्षा व्यवस्था कहां है? हम उन्हें पकड़ कर कठोर सजा क्यों नहीं देते? राजनाथ सिंह ने बयान दिया था, हमें गर्व है कि भारत का एक भी मुसलमान आईएसआईएस में शामिल नहीं हुआ. बिल्कुल सही! लेकिन क्यों? क्योंकि भारत में मुसलमानों के साथ अच्छा सुलूक हुआ है. बेशक वे गरीब हैं, गरीब तो सारा देश है. यदि किसी मुसलमान के साथ कुछ होता है और वो पुलिस थाना या कलेक्टर के पास जाता है, तो उसे पता है कि उसके साथ भेदभाव नहीं होगा. बेशक जो मोदी ने कहा उस पर मैं आपत्ति नहीं कर सकता. इजराइल में उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताक़त इसकी विविधता है. हम दुनिया के हर भाग के लोगों को स्वीकार करते हैं. हमारी सबसे ज्यादा शक्ति लोगों को स्वीकार करने की है. जब वे ये बातें कहते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन दुर्भाग्यवश आरएसएस, वीएचपी आदि में ऐसे लोग हैं, जो गाएं बचाने के लिए इंसानों की हत्या कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि भारत की जनता इसे पसंद करेगी. आप अपना प्रोपगंडा जारी रख सकते हैं, लेकिन जब चुनाव होंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी लोकप्रियता खो रहे हैं. आप संसद में आधी रात के जश्न से लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकते हैं. आपको न्यायसंगत तरीके से आगे चलना चाहिए. हरेक नागरिक को यह समझ में आना चाहिए कि उसके साथ उचित व्यवहार हो रहा है.

वास्तविकता यह है कि गरीब आदमी गरीब है. अमीरों की दुनिया में वे क्या कर सकते हैं? मध्य वर्ग का व्यक्ति भी मर्सिडीज कार खरीद रहा है, जबकि गरीब आदमी के पास साइकिल भी नहीं है. इस ना-बराबरी को मोदी एक दिन में दुरुस्त नहीं कर सकते हैं. लेकिन यह एहसास कि उनके साथ न्याय होगा, कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, महत्वपूर्ण एहसास हैं. लेकिन दुर्भाग्य से पिछले तीन वर्षों में इस एहसास में बढ़ोतरी नहीं हुई है. देश में हिन्दू बहुमत में

हैं, इसलिए हम जो चाहेंगे कहेंगे. लेकिन नहीं, आप यहां एक तथ्य भूल रहे हैं. इमर्जेंसी के दौरान श्रीमती गांधी ने यह सोचा कि सब कुछ ठीक चल रहा है. हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है. लेकिन सब कुछ ठीक होने होने के बावजूद जनता ने 1977 में उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया. भारत के लोग बहुत होशियार हैं. यदि मोदी प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें अपना स्वर थोड़ा नीचे करना पड़ेगा. बेशक हिन्दू बहुमत में हैं, लेकिन मुसलमानों की कीमत पर, अल्पसंख्यकों की कीमत पर, आप जो चाहे नहीं कर सकते हैं. आप लोगों का दिल तोड़कर देश नहीं जीत सकते हैं. यह संभव नहीं है. बहरहाल प्रधानमंत्री के दौरे की वजह से भारत-इजराइल सम्बन्ध थोड़े बेहतर हो जाएंगे.

एक और छोटी घटना सामने आई है. पश्चिम बंगाल के गवर्नर ममता बनर्जी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं. पुडुचेरी की उपराज्यपाल नारायण सामी को परेशान कर रही हैं. दुर्भाग्यवश ये लोग दिल्ली से आदेश लेते हैं, शायद भाजपा से या पार्टी के किसी व्यक्ति से. राजनैतिक लड़ाई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर नहीं जीती जा सकती है. यदि आपको सत्ता में रहना है या सत्ता में वापस आना है तो आपको लोगों के बीच काम करना होगा. केसरीनाथ त्रिपाठी की हरकतों से भाजपा पश्चिम बंगाल नहीं जीत सकती और न ही किरण बेदी की हरकतों से पुडुचेरी. रामनाथ कोविंद ने हर तरह के उकसावे के बावजूद नीतीश कुमार को परेशान नहीं किया. उन्होंने एक सज्जन पुरुष की तरह राज्यपाल का किरदार अदा दिया. मुझे ख़ुशी है कि उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया है. हमें ऐसे राज्यपाल की ज़रूरत है, हमें ऐसे राष्ट्रपति की ज़रूरत है, जो अपनी पार्टी के हितों से प्रभावित नहीं होता. मैं आशा करता हूं जो भी पिछले दरवाज़े से ये खेल, खेल रहा है, भले ही वो खुद मोदी हों, अमित शाह हों या कोई अन्य, उन्हें यह समझना चाहिए कि अब तक जो भी उन्होंने हासिल किया है, यदि यही नीति जारी रही तो वे उसे खो देंगे.

कश्मीर पर कोई साफ नीति नहीं है. यहां तक कि कांग्रेस ने भी कश्मीर समस्या के समाधान के लिए बहुत कुछ नहीं किया. अभी पुलिस और अधिकारियों द्वारा मुसलमानों को उनकी जगह दिखाने के व्यवहार की वजह से ईरान से आवाजें उठने लगी हैं. यदि कश्मीर के मुसलमान खतरे में हैं तो दुनिया के मुसलमानों को उनकी सहायता करनी चाहिए. यह खतरनाक बात है, अस्वीकार्य बात है. बेशक नवाज़ शरीफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस में जाने की बात कर रहे हैं. वे जहां जाना चाहे जा सकते हैं. कश्मीर मसला ज़मीन का मसला नहीं है. यह जनमत संग्रह आदि का मामला है. महाराजा हरि सिंह द्वारा कश्मीर का भारत में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत विलय हुआ था. यह मुद्दा नहीं है. यह मुद्दा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है. यह ज़मीन का झगड़ा बिल्कुल नहीं है. सवाल यह है कि इस मसले को कैसे हल किया जाए? कश्मीर के बहुत सारे परस्पर विरोधी दावेदार हैं. इसके लिए बहुत समझदारी की ज़रूरत है.

भारत और पाकिस्तान ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया था. परवेज़ मुशर्रफ ने इस मसले को हल करने में काफी उत्सुकता दिखाई थी. वे आगरा आए थे. एक बार फिर आरएसएस ने खेल ख़राब कर दिया और समझौता नहीं होने दिया था. आज हम दूसरे तरह का कश्मीर देख रहे होते, यदि वो समझौता हो गया होता और आरएसएस ने खेल नहीं ख़राब किया होता. बहरहाल इतिहास इतिहास होता है. आप इतिहास को सही नहीं कर सकते लेकिन आप गलतियां करना बंद कर सकते हैं. देखते हैं क्या होता है?■

feedback@chauthiduniya.com

ख़ून में डूबा हुआ जून

शुजात बुख़ारी

जून का महीना, जो इतेफाक से रमजान का पवित्र महीना भी था, अपने पीछे समूचे कश्मीर में खून खराबे के निशान छोड़ गया. इस महीने मिलिटेंट्स ने सुरक्षा बलों, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर पुलिस पर हमले तेज़ कर दिए थे. सुरक्षा बलों ने भी अपने अभियान तेज कर दिए, जिसके परिणामस्वरूप कोलैटरल डैमेज में कई नागरिक मारे गए. इस बढ़ते तनाव का प्रभाव साफ़ दिखाई दे रहा था, जिसका साया ईद-उल-फितर पर भी रहा. इसमें कोई शक नहीं है कि कत्ल चाहे जैसा भी हो, असहाय होने की भावना पैदा करता है. लेकिन जिस तरह से आम लोगों ने लगातार मिलिटेंट्स का समर्थन किया है और सेना की घेराबंदी तोड़कर उन्हें भागने में मदद की है, वो एक खतरनाक स्थिति को दर्शाता है. राजनीतिक संघर्ष ने अपना स्वरूप बदल लिया है. ये जिस तरीके से हिंसा की ताजा लहर में समाहित हुआ है, वो कुछ और ही कहानी बयान करता है. कश्मीर में 1987 में मिलिटेंसी की शुरुआत हुई थी, जो हताशा की स्थिति का प्रत्यक्ष परिणाम थी. उसके बाद निरंतर कश्मीर को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया. किसी भी समाज में राजनीतिक उद्देश्य के लिए हिंसा को उचित नहीं ठहराया जा सकता है. बहरहाल, जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ नई दिल्ली के विश्वासघात ने एक रिक्ति पैदा की और नई पीढ़ी को हथियार उठाने का मौक़ा दिया. ए. एम. वाटाली, जो अस्सी के दशक के उत्तरार्ध में सशस्त्र विद्रोह के समय कश्मीर के पुलिस प्रमुख थे, ने अपने अभी के संस्मरण कश्मीर इंतिफाडा में विस्तार से बताया है कि कैसे कश्मीरियों को पीछे धकेलने के लिए साजिशें की गईं. इसमें इस बात की चर्चा है कि दिल्ली की नीति ने कैसे लगातार कश्मीरी लोगों को कमजोर बनाया. ये ऐसा लक्ष्य था, जिसे 1947 और 1965 में पाकिस्तान भी हासिल करने में असफल रहा.

90 के मध्य में जब जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) ने एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की, तब कश्मीर हिंसा से अहिंसा की ओर बढ़ा. लेकिन एक सार्थक वार्ता के लिए नींव रखने का मौका नहीं मिला, बल्कि इसका इस्तेमाल शांति के लिए लोगों के आग्रह को कमजोर करने के लिए किया गया. जेकेएलएफ के नेताओं के मुताबिक, युद्धविराम के बावजूद उनके संगठन के 600 से ज्यादा सदस्य मारे गए. जाहिर है, इस प्रकार से सामंजस्य की भावना को नकारने की कोशिश की गई. 2003 से 2007 के बीच की अवधि में भारत और पाकिस्तान को और अवसर मिला था. इस दौरान जम्मू और कश्मीर का मुद्दा फोकस में रहा. लेकिन दुख की बात ये है कि इस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया. फिर से लड़कों को आतंकवाद की तरफ धकेल दिया गया. अफजल गुरु की फांसी इस स्थिति में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने स्थानीय लोगों के लिए वो रास्ते खोल दिए, जिसे वे छोड़ चुके थे. इससे न केवल राजनीतिक संदर्भ को नुकसान हुआ, बल्कि इसने आतंकवाद की सामाजिक मंजूरी के लिए जगह बनाई. नतीजतन, हिज्बुल मुजाहिद्दीन फिर से सेंटर स्टेज में आ गया. हिज्ब की वापसी का श्रेय उसके पोस्टर बॉय बुरहान वानी को भी जाता है, जो एक साल पहले मारा गया था.

हालांकि सुरक्षा अधिकारी इस बात से असहमत हैं कि ये स्थिति 1990 के दशक के समान है. फिर भी, दक्षिण कश्मीर में जो हो रहा है, वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है. सशस्त्र प्रतिरोध में आम जनता की भागीदारी कुछ ऐसी चीज है, जो 1990 से ज्यादा महत्वपूर्ण है. आंकड़े बताते हैं कि जून एक खूनी महीना था, जिसमें आतंकवाद सम्बंधी घटनाएं बहुत ज्यादा प्रभाव के साथ बढ़ गई थीं. 13 घटनाओं में 27 आतंकी, 8 पुलिसकर्मी, 6 नागरिकों और एक सेना के जवान के मारे जाने के कारण ये एक खूनी महीना रहा. जिस तरह से कुछ टॉप आतंकियों को मारा गया, अबावाल के एक स्टेशन हाउस ऑफिसर की हत्या उसके पांच सहयोगियों के साथ कर दी गई और एक पुलिस उपाधीक्षक को भीड़ ने मारा, उससे इस मुसीबत की गहराई को समझा जा सकता है. जनवरी 2016 से जून 2016 तक हुई हिंसा के आंकड़ों की बात करें और इसकी तुलना जनवरी 2017 से जून 2017 की इसी अवधि के साथ करें, तो 2017 में जहां नागरिक मौतों की संख्या 21 रही, वहीं 2016 में ये 7 थी. इसी अवधि में पिछले वर्ष जहां 29 सुरक्षा बलों के जवानों की मौत हुई, वहीं 2017 में ये संख्या 38 है. इसी प्रकार, 2016 में जहां 79 आतंकी मारे गए, वहीं 2017 में ये संख्या कुछ बढ़कर 90 हो गई. सेना के ऑपरेशन के विरोध में नागरिकों की भागीदारी के कारण 2016 के मुकाबले नागरिकों की मौत में चार गुना बढ़ोतरी हुई है.

एक तरफ जहां आतंकवाद का ग्राफ बढ़ रहा है, वहीं कुछ नई घटनाएं भी फ़ोकस में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी यात्रा में एक उपहार मिला. उनके अमेरिका पहुंचने से एक दिन पहले अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने हिज्बुल मुजाहिद्दीन के टॉप लीडर सलाहुद्दीन को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया. 1987 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाला सलाहुद्दीन तब मोहम्मद यूसुफ शाह हुआ करता था. सलाहुद्दीन पहला आतंकवादी है, जिसे अमेरिका से इस तरह का टैग मिला है. वैसे ये घोषणा प्रतीकात्मक है, क्योंकि इससे सलाहुद्दीन अमेरिका नहीं जा पाएगा और न ही उस देश में संपत्ति रख पाएगा. हालांकि, आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में नई दिल्ली के लिए ये एक नैतिक समर्थन या कहें प्रोत्साहन है. इससे भारत आंतकवाद के खिलाफ चल रही अंतरराष्ट्रीय मुहिम में शामिल हो जाता है. पाकिस्तान ने इस घोषणा को खारिज कर दिया है और चीन उसे एक स्वतंत्रता सेनानी कह कर एक कदम आगे चला गया है. अब ये स्पष्ट हो गया है कि कश्मीर, भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ एक द्विपक्षीय विवाद नहीं है, बल्कि ये एक बड़े खेल का हिस्सा बन गया है, जिसमें चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) के बाद एक नया बदलाव आया है. इस लाइन में रूस भी है. इसके साथ ही चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की उम्मीदवारी को अवरुद्ध कर रहा है. जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने का भी चीन विरोध करता है. ये समझने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता नहीं है कि क्या चीन वास्तव में ऐसा कर हिंसा का समर्थन करता है? ये निश्चित रूप से चीन द्वारा भारत को काउंटर करने की नीति है. कश्मीर पहले से ही अंतरराष्ट्रीय फोकस में है. पाकिस्तान के प्रसिद्ध पत्रकार हामिद मीर ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख में सही तरीके से निष्कर्ष निकाला है कि सलाहुद्दीन के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई कश्मीर पर उसकी मध्यस्थता का संकेत देती है. सलाहुद्दीन को वैश्विक आतंकवादी घोषित करके, वाशिंगटन, भारत और पाकिस्तान दोनों को वार्ता मेज पर लाने की अपनी लंबे समय से चली आ रही नीति के खिलाफ चला गया है. पहले से वो मानता आ रहा था कि कश्मीर एक वास्तविक राजनीतिक आंदोलन है.

आज की भाजपा सरकार कह सकती है कि वे उन लोगों के साथ जुड़ने में विश्वास नहीं करते हैं, जो कश्मीर में भारत के शासन को चुनौती देते हैं. लेकिन ये तथ्य है कि सरकारें, सरकारें होती हैं और सरकार में बदलाव के साथ वास्तविकता में बदलाव नहीं किया जा सकता है.

इस घोषणापत्र के परिणाम जो भी हों, उसका कश्मीर में जमीन पर शायद ही असर पड़ेगा. लेकिन आतंकवाद के लिए स्थानीय समर्थन में वृद्धि हुई है. जब तक कोई राजनीतिक दृष्टिकोण सरकार द्वारा अपनाया नहीं जाता है, तब तक हिंसा सुर्खियां बनती रहेंगी. दिल्ली में सरकार की तरफ से किए जाने वाले उकसावे और टीवी चैनलों द्वारा इसे समर्थन दिए जाने से शायद ही बदलाव की कोई उम्मीद दिखे. सशस्त्र बल भले आतंकवादियों को मार दें, लेकिन हाल के रुझानों से पता चला है कि अधिक से अधिक युवा मिलिटेंसी की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं. राजनैतिक प्रयासों के अलावा, बेहतर प्रशासन, अत्याचार समाप्त करना और लगातार गिरफ्तारी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है.■

-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

हमारी विदेश नीति कहां जा रही है

2014 के बाद, यानि जबसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, भारत सरकार की कार्यप्रणाली में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है. विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री कौन है? वैसे तो हर मंत्री प्रधानमंत्री में समाहित होता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे मंत्री का जिम्मा इतने मनोयोग से नहीं उठाया, जितना उन्होंने विदेश मंत्री का उठाया है. प्रधानमंत्री सारी दुनिया में घूमे, लेकिन उनके साथ विदेश मंत्रालय का कोई भी नीति निर्धारक नहीं होता था. वो वहां की सरकारों से बातचीत करते थे, समझौते करते थे, उनके या अपने हित में जितने कार्यक्रम हो सकते थे, उसे पूरा करने की कोशिश करते थे. हमारे यहां एक माहौल बना कि हमने सारी दुनिया से इन्वेस्टमेंट का रास्ता भारत की तरफ मोड़ दिया है.

जहां एक तरफ इतने बड़े काम हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय सोया पड़ा था. विदेश नीति कहां जा रही थी, इसका किसी को पता नहीं था. पिछले 3 साल में हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, वो सब हमारे विरुद्ध हो गए. पाकिस्तान परंपरागत रूप से हमारा विरोधी था. वहां हमारे सामने चुनौती थी कि हम पाकिस्तान की जनता को अपने साथ लें और वहां की सरकार तथा सेना में अपना समर्थन बढ़ाएं. हम दोनों ही मोर्चों पर बुरी तरह असफल रहे. नेपाल के साथ हमारे परंपरागत रिश्ते रहे हैं. नेपाल एक ऐसा देश था, जहां जाने के लिए किसी भारतीय को वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती थी, आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनने के रास्ते पर पहुंच गया है. श्रीलंका की मदद के लिए हमने अपनी सेना के सर्वोच्च कमांडोज खोए, हमारे सैनिकों की जान गई, जिसकी वजह से हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई, आज वही श्रीलंका हमारे खिलाफ खड़ा है. बांग्लादेश, जिसके साथ हमने सीमा समझौता किया और वहां की सरकार हमारे साथ सहानुभूति का रवैया रखती है, लेकिन हमारी अपनी नीतियों की वजह से वहां की जनता हमारे खिलाफ है. इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत का समर्थन करने की वजह से अगले चुनाव में शेख हसीना चुनाव हार जाएं. बच गया चीन, जिसके साथ हमारे खट्टे–मीठे रिश्ते चलते रहते थे, लेकिन सीमा पर कभी भी इतना तनाव नहीं हुआ कि युद्ध की नौबत आ जाए. आज चीन के साथ हमारे संबंध कटु हैं. चीन की सेना सिक्किम के दरवाजे पर खड़ी है. लेह में तो वो जब चाहते हैं, टहलते हुए आ जाते हैं. अरुणाचल को वो अपना ही हिस्सा मानते हैं, वहां के लोग बिना वीजा के चीन जा सकते हैं. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारी और चीन की भाषा इतनी कटु हो गई है कि अब चीन ने सिक्किम से जुड़े उस स्थान को छोड़ने से मना कर दिया है, जिसे वो अपना बता रहा है. वो भारत पर दबाव डाल रहा है कि वो डोकोलम में, जिसके कई नाम हैं, वहां से अपनी सेनाएं हटा ले. हम चीन की सीमा पर पहुंचने में तीन दिन लगा देते हैं. सेनाओं के लिए सड़कें नहीं हैं, दूसरी तरफ चीन का सीमावर्ती इलाका अच्छी सड़कों से लबरेज है. हमने तीन–चार साल पहले सीमावर्ती इलाकों पर ध्यान देना शुरू किया. इसका कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि हमने चीन को न्यूट्रलाइज करने की कोई कोशिश नहीं की. हम यह भूल गए कि चीन सारी दुनिया में विश्व शक्ति बनना चाहता है और वह अमेरिका के मुकाबले हर तरह के पैंतरे का इस्तेमाल कर रहा है. उसने अमेरिका में इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि वो अगले तीन से पांच साल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को दाएं–बाएं करने की स्थिति में पहुंच सकता है.

दूसरी तरफ चीन ने पाकिस्तान में शुरू से अपना आर्थिक साम्राज्य कायम कर रखा है. अब पाक अधिकृत कश्मीर से होकर उसने जो सड़क निकाली है, जिसे सी पैक का नाम दिया है, उसने भारत के होश उड़ा रखे हैं. पाकिस्तान से उसने ग्वादर बंदरगाह अपने कब्जे में ले लिया है, जो एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान है. नेपाल में चीन ने सड़कें बना ली हैं. नेपाल की अर्थव्यवस्था में चीन का बड़ा योगदान है और नेपाल इन दिनों हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है. श्रीलंका में चीन का भरपूर निवेश है. वहां के सारे बंदरगाह और वहां की नौसेना के रास्ते चीन के दरवाजे से होकर निकल रहे हैं. एक छोटा सा देश बचता है बर्मा, वहां भी चीन पहुंच चुका है. दूसरे शब्दों में अगर आज स्थिति को देखें, तो भारत अपने चारों ओर तनावपूर्ण रिश्तों के भंवर में खड़ा है. उसके पास उसका कोई भी मित्र नहीं है.

चीन की भाषा भारत के प्रति सख्त और अपमानजनक है. दूसरी तरफ हमारा मीडिया समस्या को सही ढंग से भारतीयों को बताने के बजाय ऐसे सुर में बात कर रहा है, मानो हम कल चीन पर हमला कर देंगे और उसे सबक सिखा देंगे. हमारा मीडिया और खासकर टेलीविजन चैनल, जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के पैरोकार बने थे, आज वो चीन के खिलाफ युद्ध के पैरोकार बने हैं. अगर हमारा चीन से युद्ध होता है, छोटा युद्ध, जिसे लिमिटेड वार कहते हैं, तो हमें कहां से सहायता मिलेगी. सिर्फ समंदर का रास्ता बचता है, जहां से हमारे पक्ष में अमेरिका या रूस की मदद आ सकती है. लेकिन इस समय रूस और चीन का जितना रिश्ता है, उससे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि रूस हमारी मदद करेगा और अमेरिका की मदद पर इंदिरा गांधी के जमाने तक किसी को भरोसा नहीं था. 71 की लड़ाई के समय अमेरिका का सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी तक आ चुका था.

चीन की भाषा भारत के प्रति सख्त और अपमानजनक है. दूसरी तरफ हमारा मीडिया समस्या को सही ढंग से भारतीयों को बताने के बजाय ऐसे सुर में बात कर रहा है, मानो हम कल चीन पर हमला कर देंगे और उसे सबक सिखा देंगे. हमारा मीडिया और खासकर टेलीविजन चैनल, जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के पैरोकार बने थे, आज वो चीन के खिलाफ युद्ध के पैरोकार बने हैं. अगर हमारा चीन से युद्ध होता है, छोटा युद्ध, जिसे लिमिटेड वार कहते हैं, तो हमें कहां से सहायता मिलेगी. सिर्फ समंदर का रास्ता बचता है, जहां से हमारे पक्ष में अमेरिका या रूस की मदद आ सकती है. लेकिन इस समय रूस और चीन का जितना रिश्ता है, उससे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि रूस हमारी मदद करेगा और अमेरिका की मदद पर इंदिरा गांधी के जमाने तक किसी को भरोसा नहीं था. 71 की लड़ाई के समय अमेरिका का सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी तक आ चुका था.

विदेश मंत्रालय को अपनी विदेश नीति पर तत्काल सोचने की आवश्यकता है. विदेश मंत्रालय अगर प्रधानमंत्री के दिशानिर्देश में काम कर रहा है, तो फिर ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाएं. फिर ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वे विदेश मंत्रालय के लोगों से एक ऐसी योजना बनाने के लिए कहें, जिससे हमारे रिश्ते अपने पड़ोसियों के साथ थोड़े मुलायम हों, थोड़े नर्म पड़ें. अगर ये जानकारी सही है कि प्रधानमंत्री, विदेश नीति के मामले में भी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर निर्भर हैं, तो फिर अजीत डोभाल को बहुत जिम्मेदारी के साथ इस स्थिति पर विचार करना चाहिए कि वो कैसे चीन को हमारे उन पड़ोसी देशों से दूर करे, जिनसे हमारे रिश्ते अब तक मधुर रहे हैं. क्योंकि कोई भी देश अपने पड़ोसियों से तनावपूर्ण स्थिति रखकर अपने देश में शांति की अपेक्षा नहीं रख सकता.

हमारे देश में नकली नोट, हथियार, हथियारों की तस्करी और आतंकवादी हमारे पड़ोसी देशों से होकर ही आते हैं. कोई भी हवाई जहाज से नहीं आता, इसलिए समय आ गया है कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करें लेकिन उससे ज्यादा ध्यान पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने में दें, ताकि देश में विकास का अगर कोई माहौल है, तो वो सचमुच बने और विकास हो.■

editor@chauthiduniya.com

आर या पार

संवाद से ही गोरखालैंड संकट का हल संभव

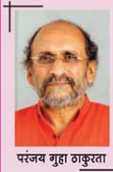

परंजय गुहा ठाकुरता

किसी भी लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि लोग राजनीति में भाग लें, लेकिन हिस्टीरिया से लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है. लोकतांत्रिक राजनीति के लिए यह जरूरी है कि लोगों को जानकारी हो, लेकिन हिस्टीरिया विचार शून्यता को दर्शाता है. अभी भारतीय राजनीति में गौ हत्या, लव जिहाद, काला धन और अलगाववाद जैसे मुद्दे अहम हो गए हैं, जिसमें लोग असंयमित ढंग से प्रतिक्रियावादी हो गए हैं. अलगाववाद में खुले दिमाग से बातचीत का कोई मतलब नहीं समझ आता और राजनीतिक स्वायत्तता की मांग की जाती है. पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के मौजूदा संकट को लोकतांत्रिक संवाद के लिए कम होती जगह के तौर पर देखा जा सकता है.

8 जून को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की अगुवाई में दार्जिलिंग में भारी विरोध–प्रदर्शन हुआ. इस दिन 45 साल में पहली बार पश्चिम बंगाल कैबिनेट की बैठक हुई. राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बंगाली को राज्य के सभी स्कूलों में अनिवार्य किए जाने की घोषणा के बाद इस विरोध ने और ज्यादा जोर पकड़ा. हालांकि, दार्जिलिंग में कैबिनेट बैठक के पहले ही ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया था कि यह निर्णय नेपाली बोलने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा. लेकिन तब तक भाषा के सवाल ने अलग गोरखालैंड की मांग को जिंदा कर दिया था. सरकार ने अपनी पूरी ताकत से इसका जवाब देने की कोशिश की. राज्य में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सरकार ने पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों और यहां तक कि सेना की भी तैनाती कर दी.

तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की भौगोलिक अखंडता के लिए बल प्रयोग जरूरी है. इससे हिस्टीरिया का पता चलता है. बंगाल के उतावले लोगों ने दार्जिलिंग की तुलना कश्मीर से करनी शुरू कर दी. दोनों को अलगाववाद के उदाहरण के तौर पर देखा जाने लगा. इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया कि कश्मीर में अलग राष्ट्र की मांग हो रही है और यहां भारत गणराज्य के अंदर ही एक अलग राज्य की मांग की जा रही है. कोलकाता स्थित मीडिया घरानों ने भी केंद्र सरकार पर यह कहकर निशाना साधना शुरू कर दिया कि कश्मीर समस्या से निपटने के लिए तो वह अटल दिखती है, लेकिन वही चुस्ती यहां नहीं दिखा रही है. जाहिर है कि ऐसे में मूल मुद्दे का ही नुकसान होना था. इस तरह के माहौल में तात्कालिक तौर पर तो स्थितियां काबू में आ जाती हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता.

राज्य सरकार द्वारा बल प्रयोग की सबसे बड़ी वजह यह दिख रही है कि बंगाल की अखंडता के नाम पर तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में पूरे राज्य में गोलबंदी हो जाएगी. गोरखालैंड आंदोलन बंगाल के 1905 और 1947 के राज्य बंटवारे की तरह यहां के लोगों को डराता है. तृणमूल कांग्रेस खुद को बंगाली संस्कृति के रक्षक के तौर पर पेश करना चाहती है और यह दिखाना चाहती है कि वह बंगाल की अखंडता को लेकर प्रतिबद्ध है.

जाहिर है कि राज्य सरकार को मांग को मानने से पहले इसका मूल्यांकन करना चाहिए. जिस आधार पर नए राज्य की मांग की जा रही है, उस पर सवाल उठाने में कोई हर्ज नहीं है. इतिहासकार लियोनल कैप्लन कहते हैं कि गोरखा शब्द की उत्पति ऐसे हुई कि अंग्रेजों ने लड़ने के लिए इस नाम से सेना के अंदर एक समूह बना दिया. इसमें कई भाषा और नस्ल के लोगों को शामिल किया गया था, लेकिन क्या सिर्फ इस आधार पर उनकी मांग को गलत ठहराया जा सकता है? अंग्रेजों के जमाने की कई चीजें कई वर्गों के पहचान से जुड़ी हुई हैं. बंगाली भद्रलोक की पहचान भी ब्रिटेन के मध्य वर्ग से जुड़ी हुई है. अगर वह सही है तो फिर गोरखा के पहचान में क्या दिक्कत है?

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह किसकी नुमाइंदगी करती है और किसकी नहीं करती है. उत्तरी बंगाल में गोरखा अकेले नस्ली समूह नहीं हैं. यह सवाल उठाया जाना चाहिए कि मोर्चा दूसरे अल्पसंख्यकों की कितनी नुमाइंदगी करता है? गोरखा लोगों की बहुतायत वाले दार्जिलिंग के अलावा मोर्चा सिलीगुड़ी जैसे मैदानी इलाकों को भी अलग गोरखालैंड का हिस्सा मानता है, जबकि इन जगहों पर गोरखा अल्पसंख्यक हैं. मोर्चा से यह भी पूछा जाना चाहिए कि वह प्रस्तावित राज्य में गैर–गोरखा को कैसे रखेगी, लेकिन यह सब तभी होगा जब खुले दिमाग से इस मसले पर बातचीत की जाए न कि बल प्रयोग के जरिए दमन किया जाए.

राज्य सरकार द्वारा बल प्रयोग की सबसे बड़ी वजह यह दिख रही है कि बंगाल की अखंडता के नाम पर तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में पूरे राज्य में गोलबंदी हो जाएगी. गोरखालैंड आंदोलन बंगाल के 1905 और 1947 के राज्य बंटवारे की तरह यहां के लोगों को डराता है. तृणमूल कांग्रेस खुद को बंगाली संस्कृति के रक्षक के तौर पर पेश करना चाहती है और यह दिखाना चाहती है कि वह बंगाल की अखंडता को लेकर प्रतिबद्ध है. तृणमूल को लगता है कि ऐसा कर वह पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोक पाएगी.

राजनीतिक अशांति से उत्तरी बंगाल में जनजीवन थम गया है. इसके बावजूद संभव है कि तृणमूल को इसका चुनावी लाभ मिल जाए. वाम मोर्चा की पहले की सरकारों ने भी गोरखलैंड के मसले पर ऐसा ही रुख अपनाया था. भाजपा भी यहां अनिर्णय की स्थिति में दिख रही है. पहले उसने अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर संवेदनशीलता दिखाई थी. लेकिन बंगाल में उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षा ने उसके लिए मुश्किल पैदा कर दी है. भाजपा की दार्जिलिंग इकाई ने अलग गोरखालैंड की मांग का समर्थन किया है, वहीं पश्चिम बंगाल की इकाई ने इसका विरोध किया है. इससे अलग केंद्र सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य सहायता भेज दी. इस मामले को और जटिल बनाते हुए सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने अलग गोरखालैंड की मांग का समर्थन कर दिया.

दोनों पक्षों द्वारा हिंसा का इस्तेमाल बातचीत से बचने के लिए किया जाता है. इस मामले को शांत करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है. ममता बनर्जी दावा करती हैं कि उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से पूरे पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री चुना गया है. उन्हें राजनीतिक संवाद शुरू करना चाहिए, न कि हिस्टीरिया की राजनीति को बढ़ावा देना चाहिए.■

(लेखक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

मुख्यमंत्री (पू.) ने आत्महत्या से पहले आख़िरी बार लिखा

फ़ैसला टालने के लिए 9 करोड़ मांगे

पृष्ठ 7 का शेष

एडवांस में चार करोड़ रुपए देने की मांग की. ये बात तय होने के बाद, उन्होंने गुवाहाटी होईकोर्ट में नियमित सुनवाई में जाना ही छोड़ दिया.

गुवाहाटी हाईकोर्ट में जहां कांग्रेस का वकीलों और जजों पर दबाव नहीं था, वहां हमने ये केस जीता था. बाद में हमें यह पता चला कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने **कपिल सिब्बल** को राज्यसभा भेजने का लालच देकर **नबाम तुकी** का केस दुबारा लड़ने को कहा था. **कपिल सिब्बल** ने ही सुप्रीम कोर्ट में जजों को पैसे देकर सारा खेल रचा और **नबाम तुकी** को झूठी जीत दिलाई. बदले में आज वे राज्यसभा के सांसद बन गए हैं. मैंने अपने 31 साल के राजनीतिक जीवन में देखा है कि न्यायालय में कांग्रेस के ही वकील और जज हैं, जो आपस में मिले हुए हैं.

फैसला टालने के लिए 9 करोड़ मांगे गए

मुझसे 12 जुलाई की रात 9 बजे तक सम्पर्क किया गया कि अगर मैं एडवांस 9 करोड़ रुपए दे दूं, तो फैसले को एक महीने तक टाला जा सकता है और मेरे पक्ष में फैसला देने पर बाकी 77 करोड़ रुपए देने की बात कही गई. लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और न ही पैसे देने के लिए राजी हुआ. न्याय को डगमगाता देखकर ही मैंने फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और न ही फैसले की वापसी पर विचार करने की कोई अर्जी दाखिल की, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि न्याय और जज बिक चुके हैं.

आज 25 जुलाई तक **जस्टिस केहर** की तरफ से **राम अवतार शर्मा** मुझसे सम्पर्क कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की बात कर रहे हैं. इस पर कब और कैसे पेटिशन डालना है, इसका काम भी उन्होंने खुद ही अपने जिम्मे लिया है. इसके लिए उन्होंने मुझसे 31 करोड़ रुपए मांगे हैं.

देश और जनता कानून के इन दलालों, सौदागरों और भ्रष्ट गद्दारों को पहचाने और अपनी अंतरात्मा से न्याय के तराजू पर सच-झूठ, सही-गलत का फैसला करे. सरकार को जज के फैसले पर भी निगरानी रखनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए कोई कानून बनाना चाहिए. ताकि इस कानून की मदद से न्यायालय में हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जा सके. जल्द से जल्द इस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे देश और जनता के हित में न्याय हो सके.

आज देश में वकील और जज भ्रष्ट हैं. जज का काम संविधान का सही अर्थ बताना है, न कि उसे झूठ बता कर पेश करना और न उस पर झूठा फैसला करना है. सच कड़वा होता है, लेकिन सच मुझे इस हालत में मिलेगा मुझे नहीं पता था. इस सच का सामना कर मेरी रूह अंदर तक कांप गई है. मेरा न्याय से भरोसा उठ गया है. इस देश के बारे में चिंता होती है कि यहां की भोली जनता का क्या होगा? दोस्तों मैंने जो भी बातें यहां बताई है, वो शत-प्रतिशत सही हैं. मैंने ये बातें अपनी अंतरात्मा से कही है. मैंने इन्हें कहीं भी बढ़ा-चढ़ाकर, मिर्च-मसाला मिलाकर पेश नहीं किया है और न ही तथ्यों से कोई छेड़छाड़ की है.

आज जो बातें हम फिल्मों में देखते और कहानियों में पढ़ते सुनते आ रहे हैं, उन्हें हम हकीकत में देख रहे हैं, जिससे ये बात सिद्ध हो गई कि पैसा बोलता है. जहां कहीं भी घटना होती है, वो एक बार ही होती है, जैसे-जैसे कम्प्लेंट, इन्क्वायरी, कोर्ट केस हियरिंग होती है, वैसे-वैसे स्थिति और हालत नहीं बदलते, फिर जजों के मत और फैसले क्यों बदलते हैं? इस देश में संविधान के कानून की एक ही किताब है जो लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रखी है और उसके बाहर भी देश-दुनिया में उपलब्ध है. जिसे वकीलों और जजों के अलावा और भी लोग पढ़ते हैं, समझते हैं.

जब कानून की किताब नहीं बदलती, तो जजों के फैसले कैसे बदल जाते हैं? केस में हार-जीत का फैसला बार-बार क्यों बदलता है? किसी भी केस में बदलता हुआ फैसला हमें ये बताता है कि कानून के जज बिके हुए हैं. लेकिन इन फैसलों से सच नहीं बदलता है, सच तो अटल और अजर-अमर है, जिसे भगवान भी नकार नहीं सकते हैं.

मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में, बचपन से ही गांव का प्यार और विश्वास जीता है, छात्र जीवन से ही सभी चुनाव जीते हैं और अपने राजनीतिक जीवन में मैंने कभी हार का चेहरा नहीं देखा. 1995 में अपने पहले विधानसभा चुनाव से ही मैं मंत्री बनाया गया. हर पद पर काम करते हुए, मैंने बिना बदनामी के कठिनता और मेहनत से कार्य किया है. जिससे मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में समाज, समुदाय, क्षेत्र और राज्य के विकास में और लोगों की सेवा में बहुत सा योगदान दिया है.

इसलिए मुझे अपने जिंदगी से, कर्मों से कोई गिला शिकवा, पछतावा, कोई दुःख कोई गम नहीं है. इसलिए

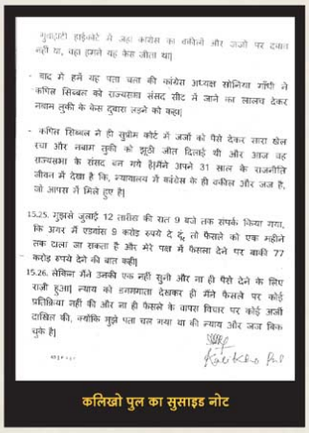

कलिखो पुल का सुसाइड नोट

सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को मैं अपनी हार नहीं मानता हूं. क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अगर कोई क्लैरिफिकेशन, रीव्यू पेटिशन या एसएलपी दायर करूं, तो मैं पक्का जीतूंगा, जहां जजों की फिर से कम से कम 80-90 करोड़ रुपए का कमाई होगी, वो भी दोनों तरफ से. इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं.

मेरा संदेश

इस राज्य और देश की नादान व भोली जनता को मेरा संदेश सरल और साफ है.

मैं मेरी प्यारी जनता से अपील और विनम्र निवेदन करता हूं कि हमेशा राज्य और समाज के हित में ही अपना अमूल्य वोट दें. कभी किसी के दबाव में अपने आने वाले कल को मत मारें और न ही किसी बाहुबली को अपने ऊपर हावी होने दें. चुनाव के समय में बांटे गए शराब और पैसों के लिए अपने भविष्य और आने वाली पीढ़ी को दलदल में न धकेलें और न ही अपने हक के लिए किसी से कोई समझौता करें. अपना वोट देने से पहले एक बार अपने बच्चों को देख लें और उनके भविष्य के बारे में सोच लें, मैं पक्का दावा करता हूं कि आपका वोट सही उम्मीदवार को ही जाएगा. जनता को उम्मीदवारों के खोखले और चुनावी जुमलों को पहचानना चाहिए. वोट मांगने पर उनसे सच-गलत पर सवाल करना चाहिए और जहां तक हो सके उनकी बीती जिंदगी, उनके आचार-विचार और उनके रवैये को देखकर ही वोट देना चाहिए.

मैंने काफी बार ये देखा है कि समाज के बहुत से ईमानदार लोग वोट देने से कतराते हैं. वे सोचते हैं कि उनके एक वोट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि ये सोच गलत है. जनता का एक-एक वोट हीरे जितना कीमती और बहुमूल्य होता है, क्योंकि उस वोट में लोकतंत्र की वो ताकत होती है, जो हर बाहुबली और तानाशाह को उखाड़ फेंकने में सक्षम होती है.

जनता ये तय करे और उनका ये फर्ज है कि वो सोच-समझकर अपने हित में आने वाले उम्मीदवार को ही वोट देकर विजयी बनाएं, फिर चाहे वो किसी भी कौम, मजहब या समाज का हो. जनता को एक पढ़े-लिखे, संस्कारी, उच्च विचारों से ओतप्रोत, राष्ट्रीय चिंतन, अपने जीवन में जिसने कड़ा संघर्ष किया हो, अपने जीवन में दुख देखा और सहा हो ऐसे देशभक्त उम्मीदवार को चुनना चाहिए. जिससे समाज के हर वर्ग का फायदा हो सके और राज्य व देश सही दिशा में आगे बढ़ सके.

विद्यार्थियों को मेरा संदेश इतना है कि वे अपनी पढ़ाई पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ करें. आप अपनी पढ़ाई को ही पूजा समझें और पूरी श्रद्धा व शक्ति के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करें. आप विद्यार्थी जीवन में जो ज्ञान और समझ हासिल करते हैं वही ज्ञान और विवेक जीवनभर आपके साथ रहता है. हर वक्त ज्ञान लेना, ज्ञान बांटना और ज्ञान में ही डूबे रहने की आपकी कोशिश होनी चाहिए. इस समय आप मिट्टी के एक कच्चे घड़े की तरह होते हो, जिसे कैसे भी घुमाकर आकार दिया जा सकता है, लेकिन अगर पकने पर आकार दिया गया, तो घड़ा फूट सकता है. इसलिए इस वक्त को पहचान कर आप अपने जीवन को महान बना सकते हैं. अगर हम किसी भी महान इंसान की जिंदगी में झांकें, तो हम पाएंगे कि वे अपने विद्यार्थी जीवन में ही सबसे ज्यादा संघर्ष कर आगे बढ़े. आज आपको सिर्फ अपने करियर और लक्ष्य के बारे में ही सोचना चाहिए और उसे हासिल करने के लिए जी-तोड़ मेहनत करनी चाहिए. यहां आपको राजनीति और व्यापार से दूर रहना चाहिए. यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपका दिमाग पढ़ाई से हट सकता है और आप शिक्षा में पिछड़ सकते हैं.

आज देश में वकील और जज भ्रष्ट हैं. जज का काम संविधान का सही अर्थ बताना है, न कि उसे झूठ बता कर पेश करना और न उस पर झूठा फैसला करना है. सच कड़वा होता है, लेकिन सच मुझे इस हालत में मिलेगा मुझे नहीं पता था. इस सच का सामना कर मेरी रूह अंदर तक कांप गई है. मेरा न्याय से भरोसा उठा गया है. इस देश के बारे में चिंता होती है कि यहां की भोली जनता का क्या होगा?

हमारे देश में काफी पहले से विद्याश्रम की परम्परा चली हुई है, जिसमें छात्र अपना घर-परिवार, ऐशो आराम छोड़कर आश्रम में पढ़ने जाते थे. जहां वे शास्त्र, शस्त्र और राजनीति की शिक्षा लेते थे. आज हमें भी कुछ ऐसी ही शिक्षा नीति की जरूरत है, जहां हम अपने बच्चों को उनके हिसाब से खेल, संगीत, शास्त्र, विज्ञान, गणित और राजनीति की समझ दे सकें और उनके सुनहरे भविष्य की मंगल कामना कर सकें. मेरा आपसे यही कहना है कि अपने कीमती समय और जीवन को एक दिशा व लक्ष्य देकर एक महान पीढ़ी बनाने में अपना योगदान दें. अपने इस समय में राजनीति में न आएं और न ही इसकी बुरी चालों में फंसें, ऐसा कर आप अपने करियर को बर्बाद कर सकते हैं.

मेरा मानना है कि छात्र एक नॉन पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप है, जिसका काम हमेशा सरकार, नेता और अधिकारियों पर ध्यान व निगरानी रखना है और उन्हें गलत काम करने से रोकना है और जनता व समाज के हित में आवाज उठाना है. राज्य और सरकार में हो रहे गलत कामों के खिलाफ और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ अगर छात्र संघ आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? जनता और समाज को कौन सही दिशा देगा? एक बार अपनी पढ़ाई पूरी कर आप किसी भी क्षेत्र या पेशे में जा सकते हैं.

गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि एक एनजीओ चलाने का सही मतलब राष्ट्र का चिंतन करना होता है. लोगों में जागरूकता पैदा करना, लोगों के हित में सोचना और देश में सही गलत पर अपने विचार रखना होता है. समाज, राज्य और राष्ट्रीय हित में एक सरकार से ज्यादा एनजीओ की भूमिका होती है. एनजीओ को एक सरकार से ज्यादा सेवा भाव रखना चाहिए. एक विश्वास, लगन, मेहनत, ईमानदारी और जज्बे के साथ काम करना चाहिए. लेकिन मैंने राज्य में ज्यादातर एनजीओ को पैसे कमाते, अधिकारियों को ब्लैकमेल करते और जन हित के पैसों को गबन करते देखा है. सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपना काम छोड़ दूसरों के काम में टांग अड़ाते ज्यादा देखा है. सरकार और अधिकारियों की दलाली में वे बुरी तरह से लिप्त हैं या यूं कहूं कि इनकी अपनी अलग ही लॉबी है, जिससे वे लोगों से पैसे लूटने में लगे रहते हैं. यही कारण है कि आज राज्य में सामाजिक कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं की जाती और न ही उनकी आवाज सुनी जाती है. अपनी खोई हुई छवि को वापस पाने के लिए आप सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना चाहिए. आपका मुख्य उद्देश्य इंसानियत की रक्षा करना, भ्रष्टाचार, गलत नीतियों, भेदभाव, ऊंच-नीच, सही-गलत, बदमाशों, गरीबों व पिछड़ी जाति को सताने और दंडित करने वालों के खिलाफ लड़ना है. मैं प्रार्थना करता हूं कि भलाई की इस राह में आपके कदम कभी नहीं डगमगाएंगे.

मैं नेताओं को समझाना नहीं चाहता, लेकिन अपने सिद्धांतों के चलते जो कुछ देखा और अनुभव किया है, उस पर मन में उठ रहे विचारों को जरूर बताना चाहूंगा. नेताओं और मंत्रियों को मेरा ये कहना है कि अगर आप राजनीति में आने की सोचते हैं, तो जनता को अपने परिवार की तरह समझें और उनके दुख को अपना दुख समझकर उन्हें हर तरह से मदद करने की कोशिश करें. कहने का मतलब है कि बिना जनता के प्यार, सहयोग और आशीर्वाद के कोई नेता नहीं बन सकता. क्योंकि चुनावी माहौल और चुनावी रैलियों के दौरान उम्मीदवारों से भी ज्यादा उनके कार्यकर्ता और वोट देने वाले मतदाता बड़ी ही आशा और उम्मीद के साथ काम करते हैं, ज्यादा दौड़-धूप करते हैं, घर परिवार तक बंट जाते हैं, आपस में लड़ते-झगड़ते हैं, खून-खराबों तक बात पहुंचने पर भी वे उम्मीदवारों का साथ नहीं छोड़ते. केवल इसलिए कि उनका उम्मीदवार चुनाव में जीत कर उनके हित के लिए काम करेगा. अच्छी सड़कें, साफ-सुथरा और निरंतर पीने का पानी, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, युवाओं को नौकरी, अच्छे रहन-सहन, खान-पान, क्षेत्र के आर्थिक विकास, समाज में कानून और शांत माहौल पैदा करने और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए लिए कार्य करेगा.

राजनीति में आने का मतलब कमाई करना नहीं है, बल्कि ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम

शेष पृष्ठ 11 पर

मुख्यमंत्री (पू.) ने आत्महत्या से पहले आख़िरी बार लिखा

मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री और विधायक भ्रष्ट हैं

पृष्ठ 10 का शेष

लोगों की सेवा के लिए आए हैं. अगर हमें कमाई ही करनी है, तो हमें नेता बनने की जरूरत नहीं है. कमाई करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे खेती, व्यापार, नौकरी, ठेकेदारी, खेल–कूद और नाच–गाने से भी पैसा कमाया जा सकता है. इन सबके बारे में तो हर कोई आम आदमी भी सोच सकता है और कर सकता है. लेकिन असल राजनीति तो उस सामाजिक धर्म का नाम है, जिसमें आप अपना सुख–चैन, धन–दौलत, नींद–आराम सब कुछ त्यागकर समाज के हर वर्ग, हर तबके को अपनाकर जनता की भलाई करने आते हैं. हमें राजनीति में धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए, बांटना नहीं चाहिए, लड़ना–लड़ाना भी नहीं चाहिए. बल्कि हमें राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सद्भावना और संप्रभुता के हित में सुख–शांति बनाए रखनी चाहिए.

लेकिन मैं इस बात से दुखी हूं कि अरुणाचल राज्य में नेता बनने के बाद वो जनता को भूलकर खुद की ही सेवा करने में लग जाते हैं. नौकरी की कहीं पोस्ट निकलने पर वे अपने ही परिवार, रिश्तेदारों और जाति को ही चुनते हैं. कुछ पोस्ट बचने पर वे उन्हें दूसरों को देते हैं, वो भी पैसे लेकर. ऐसी नौकरी तो किसी जरूरतमंद, गरीब और हर तरह से पिछड़े हुए लोगों को ही मिलनी चाहिए. अगर ये गरीब इंसान को नौकरी दे भी देते हैं, तो उनसे घूस मांगते हैं. इतना ही नहीं, घूस लेकर वे अधिकारियों का ट्रांसफर भी कर देते हैं, जिससे अच्छे और काबिल लोगों को काम कर अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है. किसी का प्रमोशन करने पर भी वे घूस मांगते हैं.

राज्य में ठेका निकलने पर विधायक और मंत्री अपनी बीवी और बच्चों के नाम पर ठेका लेते हैं. किसी और को ठेका देने पर भी उसमें अपनी हिस्सेदारी रखते हैं. ऐसे में अच्छे और नेक कॉन्ट्रैक्टरों का क्या होगा? काम समय पर पूरा नहीं होगा और न ही काम में कोई गुणवत्ता रहेगी.

राज्य में स्कीम जनता की जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि मंत्रियों और विधायकों के पैसा कमाने के मतलब से बनाई जाती है. नेता लोग टेंडर पहले ही तय कर, पैसों का हिस्सा भी तय कर लेते हैं कि किसको कितना पर्सेंट मिलेगा. राज्य में स्कीम सैंक्शन होने पर काम में प्रगति नहीं आती, बल्कि मंत्रियों और विधायकों के खजाने में वृद्धि होती है. जिसे वे मिलजुल कर हजम कर लेते हैं. प्रोजेक्ट खत्म होने से पहले ही नेताओं की बिल्डिंगें बन जाती हैं. असल में स्कीम सैंक्शन होने के बाद ठेका का काम एक साल में पूरा हो जाना चाहिए और प्रोजेक्ट बड़ा होने पर ज्यादा से ज्यादा दो साल के अंदर काम पूरा हो जाना चाहिए. लेकिन अरुणाचल में एक प्रोजेक्ट को 8–9 साल तक लंबा खींचा जाता है, ताकि विधायक और मंत्री ज्यादा से ज्यादा अपनी जेब भर सकें. उदाहरण के तौर पर, आप राज्य में सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, एसेम्बली बिल्डिंग और स्टेट हॉस्पीटल, एमएलए कॉटेज, कनवेंशन हॉल को देख सकते हैं. इन योजनाओं को चलते हुए आज 11 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है. सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ने राज्य में चार मुख्यमंत्रियों को देखा है. जिनमें **गेंगांग अपांग, दोरजी खांडू, जोर्बम गामलिन** और **नबाम तुकी** शामिल हैं. लेकिन एक भी मुख्यमंत्री इस काम को पूरा कराने में सक्षम नहीं थे. इन सभी के कार्यकाल में घोटाले हुए. उसी योजना के फंड को 3–4 बार बढ़ाया गया, फिर भी ये काम अब तक पूरा नहीं हुआ है.

अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल के अंदर मैंने जरूरी फंड और अल्टिमेटम देकर चार महीनों में ही सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के काम को पूरा करवाया, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों के दफ्तर शिफ्टिंग को तैयार हैं. इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ असेंबली बिल्डिंग और स्टेट हॉस्पीटल और अन्य काम को भी मैंने पूरा करवाने के लिए जरूरी फंड देकर अल्टिमेटम दिया था, जिसे अगस्त महीने में शिफ्ट किया जाना था. मैंने अपनी पूरी मेहनत, जोश और हौसले के साथ काम किया था और वही मेरा कर्तव्य था. मैंने इस राज्य में काम करने की एक मिसाल पेश की है और मैं चाहता हूं कि आगे भी प्रोजेक्ट और योजनाओं को ऐसे ही पूरा किया जाए.

मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के अनजॉ जिले में 11 माइक्रो हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण सही समय पर और सही फंड से करवाया. पहाड़ी और बॉर्डर क्षेत्र होने के बावजूद हमने विकास किया. जिसके कारण जिले के डीसी मुख्यालय और सीओ मुख्यालय में आज 24 घंटे बिजली व्यवस्था उपलब्ध है. जबकि राज्य की राजधानी ईटानगर और सबसे पुराने शहरों, पासीघाट, जीरो, आलो व तेजू में आज भी बिजली की कमी है.

मैंने हवाई जिला मुख्यालय में शहरी जल आपूर्ति योजना मंजूर कराई थी. 14 करोड़ की इस योजना को पूरा करना आसान नहीं था. पहाड़ी क्षेत्र की वजह से हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. लेकिन फिर भी इस काम को दो सालों में ही पूरा करवा दिया था. आज क्षेत्र के दो शहर और पांच बस्तियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है. तेजू में भी पानी की ऐसी ही योजना को मैंने और योजना सचिव **प्रशांत लोखंडे** ने मंजूर करवाया था. समतल क्षेत्र होने के बाद भी 24 करोड़ रुपए के फंड को खत्म कर इसे आज तक पूरा नहीं किया गया है. उस फंड का अपव्यय हुआ. पूर्व विधायक **कारिखो कीरी** और उसके इंजीनियर भाई ने पैसों का अपव्यय किया था. तेजू में आज भी पानी सप्लाई में लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ रही है.

इसी तरह तेजू शहर में सड़क सुधारने की बहुत सी योजनाएं थी, जिसे अलग–अलग स्रोत मसलन, एसपीए, टीएफसी, नाबार्ड और नॉन प्लान फंड से 4 सालों में 29 करोड़ रुपए का फंड दिया गया था. जबकि इस ओर कुछ भी काम नहीं किया गया और पैसों का अपव्यय हुआ. सड़क का बनना और मरम्मत करना अभी भी बाकी है. राज्य के ऐसे ही और भी बहुत से जिलों में, विधानसभा क्षेत्रों और कस्बों में योजनाएं बनीं, प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया. पैसा खर्च भी हो गया, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ.

मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री और विधायक भ्रष्ट हैं

इस राज्य में कहीं कोई हिसाब–किताब नहीं है. विधायक और मंत्री मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं. जिसके कारण राज्य में बहुत सी योजनाएं आगे नहीं बढ़ पातीं और बीच में ही लटक जाती हैं. जिनका खामयाजा जनता को भुगतना पड़ता है और राज्य विकास नहीं कर पाता है. यहां मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री और विधायक भ्रष्ट हैं. जिनके चलते राज्य की दुर्गति होती है. आज के समय में जनता देश में हो रहे भ्रष्टाचार का खुद शिकार है, उसे देखती है, सहती है, लेकिन आवाज नहीं उठाती है. जबकि सरकार को वही चुनती है. ऐसी स्थिति में सच्चाई का मरना तो तय है. आज जनता को एकजुट होकर, एक स्वर में भ्रष्ट तंत्र का विरोध करना चाहिए.

आज अधिकारियों के लिए नियम–कानून, योजना और तंत्र बना हुआ है, जिसके हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए. उन्हें जनता की सेवा–सुविधा के लिए नियुक्त किया जाता है. लेकिन ये नेताओं और बड़े अधिकारियों को अपना सहयोग देते हैं, उनके और अपने हित में काम करते हैं और उनके दबाव में काम करते हैं. ऐसी हालत में राज्य और जनता के बारे में कौन सोचेगा? कौन उनके हितों को आगे बढ़ाएगा? आम लोग जाएं तो कहा जाएं?

पुलिस और प्रशासन का काम लोगों के जान–माल की रक्षा–सुरक्षा करना है, उनके सही–गलत को पहचानना है और उनकी हर संभव सहायता करना है. लेकिन आज ये नेताओं की चापलूसी करते हैं, उनके साथ मिलकर राजनीति करते हैं और सिर्फ उन्हीं के लिए काम करते हैं. ऐसे में जनता का क्या होगा और उन्हें कौन बचाएगा?

आज न्यायालय का काम सच का फैसला करना, झूठे और भ्रष्ट लोगों को सजा देना है, फिर चाहे वो अधिकारी, नेता और मंत्री ही क्यों न हो. लेकिन आज लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील और जज तक बिके हुए हैं. ऐसे में सच्चे, भोले, निर्दोष, मेहनती और अच्छे व्यवहार वाले लोगों का क्या होगा? कौन उनकी सुनेगा? कौन उन्हें सच्चा फैसला देगा? और कौन उनकी रक्षा करेगा? ये सबसे ज्यादा दुख की बात है कि न्याय और न्यायालय बिके हुए हैं. ऐसे में सिर्फ भगवान ही लोगों की रक्षा कर सकते हैं. लेकिन भगवान वोट देने तो नहीं आएंगे, भ्रष्ट तंत्र को सही करने खुद तो नहीं आएंगे. हे भगवान आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस भोली जनता को बुद्धि–ज्ञान दें, सोच–समझ दें, हिम्मत ताकत दें, ताकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकें, लड़ सकें और भ्रष्ट दिमाग और विचार वाले नेताओं को उखाड़ सकें.

अगर ऊपर बैठे लोग ही सही नहीं हैं, तो कैसे हम किसी को इसका दोष दे सकते हैं. राज्य के बड़े मंत्री **दोरजी खांडू, नबाम तुकी, चोउना मीन, पेमा खांडू** और बहुत से मंत्री और विधायकों ने हमेशा अपना स्वार्थ देखा है और अपना घर भरा है. मैं राज्य में हो रहे इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता था, सरकारी योजनाओं और जनता के पैसों को विकास के कामों में उपयोग करना चाहता था. अपने राज्य और जनता को देश के अन्य राज्यों व दुनिया के बराबर और उससे भी आगे बढ़ाना चाहता था. लेकिन शायद ये बात मेरे साथी विधायकों को अच्छी नहीं लगी.

मैं पूछता हूं कि जनता कब जागेगी और कब इसे होश आएगा. कब तक जनता चुनावों में नेताओं की महंगी कारों को देखकर, शराब व थोड़े से पैसे लेकर और उनके झूठे वादों को सच मानकर वोट देती रहेगी. सच तो ये है कि जनता खुद ही बेवकूफ बने रहना चाहती है, वो सच से दूर भागती है. जनता अपने आप तय करे कि उन्हें क्या करना है. मेरा काम तो जनता को सच बताना था, लेकिन फैसला जनता के हाथ में ही है.

अपने 23 सालों के राजनीतिक सफर में अलग–अलग मंत्री पद पर रहते हुए, मैंने राज्य और जनता के हित में जो काम किया, जिस भी विभाग में काम किया या अपने विधानसभा क्षेत्र में काम किया, वो शायद आपको नहीं दिखा. लेकिन अपने साढ़े चार महीने के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में जो मैंने कार्य किया, वो राज्य और जनता के हित में किया गया था. जिसे आप सभी ने देखा, सुना, समझा और सराहा है. मैं अरुणाचल प्रदेश और देश की जनता को खासकर युवा पीढ़ी को धन्यवाद देता हूं कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और ट्वीटर पर 17 लाख से भी ज्यादा लोगों ने हमारी सरकार के काम, नीतियों, योजनाओं और फैसलों का समर्थन किया और सराहा है.

इन बातों को बताने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, न ही मुझे किसी से कोई भय है, न मैं कमजोर हूं और न मैं इसको अपना समर्पण मानता हूं. इन बातों को कहने के पीछे मेरा इरादा जनता को जगाना है, उन्हें सरकार, समाज, राज्य और देश में हो रहे इन गंदे नाटकों, लूटपाट और भ्रष्ट तंत्र के सच के बारे में बताना है. लेकिन लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है, वे कोई भी बात जल्द ही भूल जाते हैं. इसलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने जनता को याद दिलाने, जगाने, विश्वास दिलाने, समझाने और विचार करने के लिए ये कदम उठाया है. मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में सबकुछ सहा है, देखा है, अनुभव किया है, बहुत संघर्ष किया और कई बार औरों की खुशी व समाज के हित के लिए बलिदान भी दिया है. लेकिन मैं कभी हारा नहीं और न ही मैंने कभी हार मानी है.

मैंने हमेशा ही राज्य और जनता के हित में फैसला लिया है. मैंने अपना सुख–चैन, समय–स्वास्थ्य, धन–दौलत, नींद–आराम, घर–परिवार और अपने आपको त्यागकर जनता को समर्पित किया है. मैंने अपनी हर सांस, हर लम्हा, हर वक्त और सब कुछ जनता के हितों के लिए त्यागा है. मेरे इस संदेश, त्याग और बलिदान को अगर थोड़े से लोग भी अहसास कर, विचारकर और समझकर अपने में कुछ भी सुधारते हैं, अपने कर्म और सोच विचार में पवित्रता लाते हैं, लूट–लालच को, मांगने–छीनने को, लड़ने–झगड़ने को छोड़ते हैं और समाज, राज्य और देश के हित में थोड़ा योगदान देते हैं और कुछ अच्छा काम करते हैं तो ये सार्थक बात होगी. मैं चाहता हूं कि मेरे दिल की ये बात, सोच–विचार, अनुभव और संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि मैं आपको समझा सकूं, जगा सकूं और सच्चाई की लड़ाई में आपको हिम्मत और ताकत दे सकूं.'

कलिखो पुल
08.08.2016

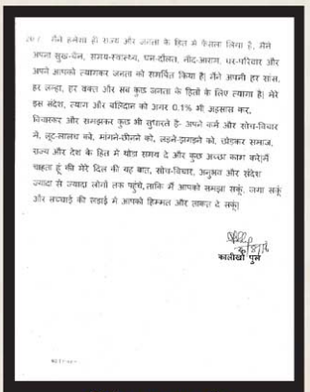

कलिखो पुल का सुसाइड नोट

अपने 23 सालों के राजनीतिक सफर में अलग–अलग मंत्री पद पर रहते हुए, मैंने राज्य और जनता के हित में जो काम किया, जिस भी विभाग में काम किया या अपने विधानसभा क्षेत्र में काम किया, वो शायद आपको नहीं दिखा. लेकिन अपने साढ़े चार महीने के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में जो मैंने कार्य किया, वो राज्य और जनता के हित में किया गया था. जिसे आप सभी ने देखा, सुना, समझा और सराहा है. मैं अरुणाचल प्रदेश और देश की जनता को खासकर युवा पीढ़ी को धन्यवाद देता हूं कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और ट्वीटर पर 17 लाख से भी ज्यादा लोगों ने हमारी सरकार के काम, नीतियों, योजनाओं और फैसलों का समर्थन किया और सराहा है.

नीतीश का नया अवतार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस लिहाज से देश के विरले राजनेताओं में हैं, जो न केवल सफल सियासी पारी खेल रहे हैं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी जंग छेड़े हैं. पिछले साल जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी का ऐलान किया था, तब लोग इसे उनका सियासी कदम बता रहे थे. हद तो तब हो गई, जब शासन-प्रशासन में बैठे कई सूरमा भी अंदरखाने नीतीश कुमार के इस फैसले का मजाक उड़ाने लगे. लेकिन अपने फैसले पर अडिग नीतीश कुमार को जब आमलोगों खासकर महिलाओं का जोरदार समर्थन मिला, तब उनके विरोधी भी दंग रह गए. नीतीश कुमार ने इसके बाद साफ कर दिया कि उनकी सरकार रहे या जाए, वे किसी भी हाल में शराबबंदी वापस नहीं लेंगे. सियासी व कानूनी सभी मोर्चों पर नीतीश कुमार अपनी जंग जीतते चले गए. आज हाल यह है कि देश के दूसरे सूबे भी बिहार के शराबबंदी को एक मॉडल के तौर पर पेश कर रहे हैं.

सरोज सिंह

एक राजनेता सफलता की बुलंदियों को छूने के बाद अगर अपने एजेंडे में समाज सुधार को प्राथमिकता दे, तो आज के परिदृश्य में यह एक अनोखी घटना मानी जा सकती है. सत्ता की चकाचौंध और उसके खेल इतने निराले हैं कि उसी में राजनेताओं के तमाम उम्र गुजर जाते हैं. अपने और बच्चों को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश में उनके पास इतना समय ही नहीं बचता कि वे सामाजिक कुरीतियों पर ध्यान दें.

सूबे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस लिहाज से देश के विरले राजनेताओं में हैं, जो न केवल सफल सियासी पारी खेल रहे हैं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी जंग छेड़े हैं. पिछले साल जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी का ऐलान किया था, तब लोग इसे उनका सियासी कदम बता रहे थे. हद तो तब हो गई कि जब शासन से लेकर प्रशासन तक में बैठे कई सूरमा भी अंदरखाने नीतीश कुमार के इस फैसले का मजाक उड़ाने लगे. लेकिन अपने फैसले पर अडिग नीतीश कुमार को जब आमलोगों खासकर महिलाओं का जोरदार समर्थन मिलने लगा, तब उनके विरोधी भी दंग रह गए. नीतीश कुमार ने इसके बाद साफ कर दिया कि उनकी सरकार रहे या जाए वे किसी भी हाल में शराबबंदी वापस नहीं लेंगे. सियासी व कानूनी सभी मोर्चों पर नीतीश कुमार अपनी जंग जीतते चले गए. आज हाल यह है कि देश के दूसरे सूबे भी बिहार के शराबबंदी को एक मॉडल के तौर पर पेश कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रकाशपर्व के मौके पर खुले मंच से यह कहना पड़ा कि शराबबंदी लागू कर नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक काम किया है. यह नीतीश कुमार के ही फैसले का असर है कि अब बिहार के ज्यादातर लोगों ने यह समझ लिया है कि अब यहां रहना है तो बिना शराब के ही जीना सीखना होगा. घर की महिलाएं काफी खुश हैं और यह बता रही हैं कि उनके जीवन स्तर में शराबबंदी के बाद काफी सुधार आया है. आंकड़े बताते हैं कि शराबबंदी के बाद बिहार में सड़क दुर्घटना और अपराध में भी कमी आई है. कहा जा रहा है कि शराबबंदी एक ऐसा कदम है जिसने नीतीश कुमार के कद को एक राजनेता से कहीं आगे लाकर लाकर खड़ा कर दिया है. आम चर्चा में लोग कहने भी लगे हैं कि इन सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का बीड़ा अब नीतीश ने उठा लिया है. पहले शराबबंदी और अब दहेजबंदी. सचमुच यह नीतीश कुमार का नया अवतार है. नीतीश कुमार और उनकी पार्टी 2 अक्टूबर से बिहार में दहेज के खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ने वाली है. नीतीश कुमार कहते हैं कि जिस तरह शराबबंदी लागू की गई, उसी तरह लोगों के सहयोग से अब दहेजबंदी भी लागू होगी. इन दिनों नीतीश कुमार हर मंच से लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि आप उन शादियों में नहीं जाएं, जहां दहेज का लेन-देन हुआ है. दहेज वाली शादियों का बहिष्कार होना चाहिए. नीतीश कुमार कह रहे हैं कि दहेज और बाल विवाह को खत्म करना जरूरी है, नहीं तो यह समाज खोखला हो जाएगा. हम इन कुरीतियों के रहते एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं. नीतीश कुमार कहते हैं कि 2 अक्टूबर से हम जो अभियान छेड़ रहे हैं वह जरूर सफल होगा. वे लोगों से खासकर महिलाओं से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने शराबबंदी अभियान में बढ़-चढ़ कर सहयोग किया उसी तरह दहेजबंदी के लिए भी अपने घरों से बाहर निकलें.

क्या कहती हैं महिलाएं

एक निजी कंपनी में एचआर मैनेजर श्वेता राय कहती हैं कि बिहार में दहेज खत्म होना मुश्किल है. यह कोई शराबबंदी नहीं है, जिसे पूरे राज्य में सख्त नियम के साथ लागू कर दिया जाए. बिहार में पोस्ट के साथ दहेज की रकम भी तय है. हालांकि नीतीश कुमार की पहल सराहनीय है, लेकिन दहेज बन्द कराना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है. इसके लिए जरूरी है कि पहले समाज को इस कुप्रथा के प्रति जागरूक किया जाए. जबतक आम लोगों के दिल में दहेज के प्रति घृणा नहीं होगी, तब तक दहेज का लेन-देन खत्म होने वाला नहीं है.

शिक्षिका सीमा कुमारी का कहना है कि सबसे पहले वर को ही अभिभावक का विरोध करना चाहिए. युवाओं को आगे बढ़कर दहेज नहीं लेने की कसम खानी चाहिए. हमसब मिलकर यह प्रण लें कि न दहेज लेंगे और न ही देंगे. गांवों और शहरों में जगह-जगह दहेज प्रथा खत्म करने के लिए नुक्कड़ नाटक, विचार विमर्श और गीत आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं. नीतीश जी ने जो निर्णय लिए हैं, उसमें हम सभी को मिलकर सहयोग करना चाहिए.

वंदना तिवारी जो एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका हैं, कहती हैं कि एक महिला होने के नाते मैं चाहती हूं कि राज्य में दहेज जैसी बीमारी का खात्मा हो. अगर बिहार में शराबबंदी की तरह दहेज बंदी भी लागू हो जाए तो फिर क्या कहना. यह एक सामाजिक कुरीति है जो हमारे समाज को दीमक की तरह खा रही है. यह सोच युवाओं को रखनी होगी और इस पहल में नीतीश जी का साथ देना होगा.

एक निजी कंपनी में सह-प्रबंधक नीलू मिश्रा का कहना है कि दहेज प्रथा को आज पूरे समाज ने स्वीकार कर लिया है. दहेज मुक्त विवाह के लिए सरकारी स्तर पर बहुत कार्य करने होंगे. नीतीश जी की इस मुहिम की मैं सराहना करती हूं कि उन्होंने शराबबंदी की तरह दहेज बंदी पर भी अंकुश लगाने की सोची. हमसब युवाओं को उनका साथ देना चाहिए.

आस्था फाउंडेशन की निदेशक निवेदी सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार द्वारा दहेजबंदी की मुहिम का आस्था फाउन्डेशन स्वागत करती है. आज पूरे समाज में यह एक बीमारी की तरह फैल गई है. किसी भी घर में बेटी पैदा होते ही दहेज के कारण परिवार का मनोबल गिर जाता है. हर रोज कहीं न कहीं लड़कियां जलाई या मार दी जा रही हैं. सभी का एकमात्र कारण दहेज है. नीतीश कुमार के इस अभियान का प्रतिफल बाद में दिखेगा और दहेज बंदी से एक सभ्य समाज की स्थापना होगी.

प्रस्तुति- सुरभि/खुशबू

हर घंटे दहेज के लिए चढ़ती है एक बलि

नूतन मिश्रा

feedback@chauthiduniya.com

दहेज हमारे समाज को एक बीमारी की तरह जकड़े है और फिलहाल उसका समाधान भी नहीं दिख रहा है. देश में औसतन हर एक घंटे में एक महिला दहेज संबंधी कारणों से मौत की शिकार होती है. वर्ष 2007 से 2011 के बीच इस प्रकार के मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आकड़े बताते हैं कि विभिन्न राज्यों से वर्ष 2012 में दहेज हत्या के 8233 मामले सामने आए. आंकड़े बताते हैं कि प्रत्येक घंटे में एक महिला दहेज की बलि चढ़ रही है. दहेज लेने और देने की प्रथा का चलन हमारे यहां प्राचीन काल से ही है. इसके कारण ही समाज में बाल विवाह तथा विवाह विच्छेद जैसी प्रथाएं अस्तित्व में आ गई हैं. इसके कारण कितनी समस्याएं बढ़ रही हैं, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है. सबसे पहले तो यह कि मां के गर्भ में जांच के बाद लड़कियों को मारने के कारण लड़के-लड़कियों की संख्या का अनुपात बिगड़ गया है. दूसरा, दहेज देने की होड़ में लड़की के माता-पिता कर्जदार होकर अपनी परेशानियां बढ़ा रहे हैं. वहीं लड़के वाले लोभ में आकर अधिक दहेज के लिए नवविवाहिता को तंग करते हैं अथवा जलाकर मारने जैसा घृणित कर्म भी करते हैं. कई बार लड़की ससुराल वालों के तानों और अत्याचारों से आजिज आकर आत्महत्या कर लेती है या फिर तलाक के लिए मजबूर होती है. ■

दहेज के विरुद्ध कानून

– दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है.

– दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए जो पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, के अन्तर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है.

– धारा 406 के अन्तर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल कैद अथवा जुर्माना या दोनों हो सकता है, यदि वे लड़की के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं.

– यदि किसी लड़की की विवाह के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित हो जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के अन्तर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.

बाल विवाह में बिहार नंबर वन

भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस उम्र में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, उसी उम्र में मां-बाप उन्हें शादी के बंधन में बांध देते हैं. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, भारत बाल-विवाह के मामले में दूसरे स्थान पर है. दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में उभरते हुए राष्ट्र के लिए यह चिंता की बात है. ऐसे में, बाल विवाह का होना एक अनुचित रिवाज माना जाता है.

राष्ट्रीय परिवार सैंपल सर्वे के मुताबिक देश में 22 से 24 साल तक की 47.4 फीसदी लड़कियां ऐसी हैं, जिनकी शादी 18 साल से भी कम उम्र में कर दी गई. इसमें 56 फीसदी लड़कियां गांव और 29 फीसदी शहरी हैं. देशभर में बाल विवाह के मामलों में बिहार नंबर वन है. यहां 69 फीसदी लड़कियों की 18 साल से कम उम्र में शादी कर दी जाती है.

कहने के लिए बाल विवाह को रोकने और इसे बढ़ावा देने वालों पर कड़ी कार्रवाई के लिए कई कानून हैं, पर इस परंपरा का आज तक जारी रहना ही इस व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है. इस मामले में भारत बहुत ज्यादा पिछड़े अफ्रीकी देशों इथियोपिया व लीबिया के साथ खड़ा है. भारत के तमाम राज्यों में बाल विवाह के मामलों में बिहार सबसे आगे है. यह हैरानी की बात है कि राज्य की 69 फीसदी लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है. बिहार के पश्चिम चंपारण, कैमूर, रोहतास, मधेपुरा, गया, नवादा, जमुई, समस्तीपुर और वैशाली जिले में कानून को ठेंगा दिखाते हुए सबसे ज्यादा बाल विवाह हो रहे हैं. पश्चिम चंपारण में 80 फीसदी लड़कियों की शादी पढ़ने और खेलने की उम्र में कर दी जाती है. नवादा में 73 फीसदी, रोहतास और कैमूर में 70 फीसदी, मधेपुरा में 66 फीसदी व वैशाली में 62 फीसदी लड़कियों को 18 साल से कम उम्र में ही ब्याह दिया जाता है. पटना जिला में 40 फीसदी लड़कियां बाल विवाह की शिकार बनती हैं. बाल विवाह बालिकाओं की सेहत और उनके व्यक्तिगत विकास के लिहाज से भी खतरनाक है. शिक्षा से वंचित रहने के कारण वे अपने बच्चों की उचित परवरिश भी नहीं कर पाती हैं. शादी के बाद कच्ची उम्र में गर्भ धारण करने से उनकी जान पर भी खतरा बना रहता है.

बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम 2006 की धारा-2 ए के तहत 21 साल से कम उम्र के लड़कों और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को नाबालिग माना गया है. इस कानून के तहत बाल विवाह को गैरकानूनी करार दिया गया है. बाल विवाह की इजाजत देने, शादी तय करने, शादी करवाने या शादी समारोह में हिस्सा लेने वालों का सजा दिए जाने का नियम है. कानून की धारा 10 के मुताबिक बाल विवाह करने वालों को दो साल तक साधारण कारावास या एक लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकती है. धारा-11 (1) कहती है कि बाल विवाह को बढ़ावा देने या उसकी इजाजत देने वालों को दो साल तक कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है. देश में बाल विवाह के खिलाफ भले ही कानून बन गया हो, लेकिन ये सारे बंधन परिणय सूत्र में बंधने वालों के लिए बेमानी हैं. दरअसल बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है, जिसका निदान ग्रासरूकता से ही सम्भव है.■

feedback@chauthiduniya.com

पर्यावरण की पहरेदार हैं मुंगेर की ग्रीन लेडी

जोश और जुनून से हासिल किया मुकाम

कुमार कृष्णन

कहते हैं हिम्मत वालों की कभी हार नहीं होती. कुछ कर गुजरने का जोश और जुनून हो तो हर राह आसान हो जाती है. मुंगेर जिले में घरहरा प्रखंड का बंगलवा पंचायत नक्सलियों का गढ़ रहा है. अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा जाति बहुल यह इलाका मुख्यत: एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो नक्सलियों के छिपने का आसान अड्डा है. इसी इलाके की चौथी कक्षा तक पढ़ी एक महिला जया देवी आज दूसरों के लिए मिसाल है. उन्हें लोग पर्यावरण की पहरेदार और ग्रीन लेडी कहते हैं.

हाल में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में जया देवी को वर्ष 2016-17 का नेशनल लीडरशिप अवार्ड दिया. लक्ष्मीपत सिंघानिया भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ की ओर से सामुदायिक विकास में अहम योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है. पुरस्कार पाने वाली जया देवी बिहार की पहली शख्सियत हैं. वे मानती हैं कि समाज की बेहतरी के लिए अच्छी सोच और नीयत की जरूरत होती है. महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्होंने एक स्वयं सहायता समूह की स्थापना की है. इस वजह से जो महिलाएं वर्षों पहले कर्जदारों के चंगुल में फंसी रहती थीं, वे आज बचत कर आत्मनिर्भर बन रही हैं.

34 साल की जया को बचपन से ही पढ़ाई का शौक था. उस समय गांव में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था. उनकी शादी भी जल्द कर दी जाती थी. बात 90 के दशक की है. सरादि गांव में लड़कियां 10-12 साल की उम्र में ब्याह दी जाती थीं. जया बताती हैं कि बड़ी बहन मुझसे ज्यादा सुंदर थी. दबंगों के डर से उसे कोलकाता नाना के पास भेज दिया गया था. तब स्कूल जाने के बारे में सोचना भी पाप था. साथ वाले गांव में मैं और मेरी एक सहेली छिपकर स्कूल देखने जाते थे. मेरे पिता सातवीं पास थे, लेकिन वे शिक्षा के महत्व को समझते थे. उन्होंने मुझे छिप-छिप कर स्कूल जाते देखा, तब गांव में ही स्कूल खुलवाने के लिए अपनी जमीन दान में दे दी. दबंगों ने उसपर भी कब्जा कर लिया, विरोध किया तो खूब पिटाई की.

1990 में 12 की उम्र में ही उनके दोगुने उम्र के व्यक्ति से शादी कर दी गई. उनकी शादी के तीन साल बाद ही पिता का देहांत हो गया. इसके बाद जया अपनी तीन और डेढ़ साल की दो बच्ची के साथ सरादि गांव रहने आ गईं. पति मुंबई में मजदूरी करते थे. उन्होंने तय किया कि अपने घर का खर्चा चलाने के लिए वे गांव में ही कुछ काम करेंगी, लेकिन यहां के हालात पूर्ववत थे. लड़कियों को अब भी पढ़ने नहीं दिया जाता था. यह एक नक्सल प्रभावित इलाका था, इस कारण लोग अन्याय के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाते थे. तब जया ने सोचा कि किसी ना किसी को तो आवाज उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आवाज नहीं उठाई गई तो लड़कियों और महिलाओं का इसी तरह से शोषण होता रहेगा. उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए सिस्टर आजिया से सम्पर्क किया. उन्होंने उनके साथ मिलकर महिलाओं और लड़कियों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई. शुरू में जया को समाजसेवा का कोई अनुभव नहीं था. उन्होंने स्वयं सहायता समूह के तौर-तरीके सीखने के लिए 15 दिनों की ट्रेनिंग ली. उन्होंने महिलाओं को यह समझाया कि वे रोज जितना खाना बनाती हैं, उसमें से एक मुट्ठी अनाज अलग निकाल कर रख दें.

इस तरह हफ्ते में एक दिन उनको अनाज नहीं खरीदना पड़ेगा और इस तरह वो कुछ पैसे बचा सकेंगी. इसी तरह जया देवी ने महिलाओं को सब्जी और दूसरे सामान खरीदने पर भी कैसे पैसे बचाए जा सकते हैं, इसके बारे में बताया. इस तरह जया देवी के साथ जुड़ीं ये महिलाएं हर हफ्ते 5 रुपए बचाकर उनको दे देती थीं. धीरे-धीरे जब उनके काम का विस्तार होता गया तो आसपास के दूसरे गांवों की महिलाएं भी उनसे जुड़ने लगीं. जया बताती हैं कि शुरू में जब मैं दूसरी महिलाओं को अपने काम के बारे में बताने जाती थी, तो वे घर का दरवाजा भी नहीं खोलती थीं. तब मैं घंटों उनके घर के बाहर बैठी रहती थी. फिर जब वो महिला घर से बाहर निकलती तो उनको समझाती थी कि क्यों मैं तुम लोगों को स्वयं सहायता समूह में शामिल होने के लिए कह रहीं हूं.

जब पहली बार उनके स्वयं सहायता समूह में बीस हजार रुपए जमा हो गए तो उन्होंने उस राशि का 10 प्रतिशत निकालकर अपने पास रख लिया और शेष राशि को बैंक में जमा कर दिया. स्वयं सहायता समूह बनने के बाद जो भी महिलाएं इसकी सदस्य बनीं, उनको अपने जरूरी खर्चों के लिए समूह से ही कम ब्याज पर पैसा मिलने लगा. इस कारण वो साहूकारों से मिलने वाले कर्ज के चंगुल में फंसने से बच गईं. जया देवी भले ही पढ़ाई नहीं कर पाई हों, लेकिन उन्हें शिक्षा का महत्व पता था. उन्होंने अपने गांव में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के लिए साक्षरता अभियान चलाया. इसके लिए उन्होंने अखबारों और प्रचार के दूसरे तरीकों के जरिये लोगों से बच्चों की पुरानी किताबें मांगी और उन किताबों को सरादि गांव के बच्चों के बीच बांटना शुरू कर दिया. यह उन्ही की कोशिशों का असर है कि आज न सिर्फ सरादि गांव, बल्कि आसपास के दूसरे गांव के बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं. उन्होंने महिलाओं को भी स्वयं सहायता समूहों के जरिए शिक्षित करना शुरू किया. यही वजह है कि कल तक जो महिलाएं अंगूठा लगाती थीं, वे आज हस्ताक्षर करने लगी हैं.

सरादि गांव में सूखे से अक्सर फसलें बर्बाद हो जाती थीं. ऐसे में जया देवी ने इस समस्या का तोड़ निकालने का फैसला लिया. एक दिन वे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के गवर्निंग सदस्य किशोर जायसवाल से मिलीं. उन्होंने जया को बारिश के पानी के संरक्षण के बार में बताया. किशोर जायसवाल ने उनको बंजर जमीन पर पेड़ लगाने और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की ट्रेनिंग दी. उनकी लगन के कारण ही 500 हेक्टेयर जमीन पर वाटरशेड बनाया गया, जिससे भूगर्भ का पानी बेहतर हुआ ही, साथ ही बंजर जमीन भी लहलहा उठी. इस से करीब पचास हजार किसानों को फायदा पहुंचा. यह काम दो-चार दिनों में नहीं हुआ, बल्कि जया

> 34 साल की जया को बचपन से ही पढ़ाई का शौक था. उस समय गांव में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था. उनकी शादी भी जल्द कर दी जाती थी. बात 90 के दशक की है. सरादि गांव में लड़कियां 10-12 साल की उम्र में ब्याह दी जाती थीं. जया बताती हैं कि बड़ी बहन मुझसे ज्यादा सुंदर थी. दबंगों के डर से उसे कोलकाता नाना के पास भेज दिया गया था. तब स्कूल जाने के बारे में सोचना भी पाप था.

और उनकी टीम को 10 साल लग गए. उन्होंने विलेज वाटरशेड के सर्वे का काम साल 2002 में शुरू किया था. 2005 में इसकी बुनियाद रखी और साल 2012 में जाकर काम मुकम्मल हुआ. जया देवी ने नाबार्ड द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के द्वारा करेली, कोयलो, अमरासनी, सखौल, गौंरैया, लकड़कोला व बरमसिया विलोखर में वाटरशेड बनवाए हैं. पानी बचाने के लिहाज से इन इलाकों में तालाब, चेक डैम व पत्थरमिट्टी के अवरोध बांध वगैरह बनाए गए हैं. इसके बाद जया देवी ने गांव वालों की मदद से छह तालाब बनवाए और पुराने तालाबों की मरम्मत की. इसके अलावा उन्होंने बंजर जमीन में फलदार आम, लीची, अमरूद और जामुन के पेड़ लगाए. पहले जिस जमीन में साल भर में एक फसल लेना भी मुश्किल था, वहां आज किसान दो-दो फसलें ले रहे हैं. जया देवी की कोशिशों के कारण ही आस-पास के गांवों में पानी का स्तर ऊपर आ गया है. साथ ही जो जमीन कल तक उसर थी, वो आज उपजाऊ हो गई है. धीरे-धीरे उन्होंने अपने इस अभियान को दूसरे गांवों के अलावा बिहार के कई जिलों तक पहुंचाया. इस कारण दूसरे गांव भी हरे भरे हो गए.

ग्रीन लेडी ऑफ मुंगेर के नाम से चर्चित जया देवी को भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से भी नवाजा है. दक्षिण कोरिया में आयोजित युवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है. वे रियल हीरो अवॉर्ड से भी सम्मानित हो चुकी हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार में प्रशिक्षित शिक्षकों का होगा टोटा

सुनील सौरभ feedback@chauthiduniya.com

बिहार में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में संसाधन की कमी के साथ-साथ शिक्षकों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठते रहे हैं. अब आलम यह है कि यहां प्रशिक्षित शिक्षकों का ही टोटा हो जाएगा. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने एक ऐसा फरमान जारी किया है, जिससे बिहार के सभी सरकारी-गैर सरकारी बीएड कॉलेजों में ताला लग जाना तय है. एनसीटीई के इस आदेश से शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन करने वाली भारत सरकार की संस्था 'नैक' पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है. एनसीटीई ने नैक को छोड़कर एक दूसरे संस्थान क्यूसीआई से मूल्यांकन कराने का आदेश बिहार के सभी सरकारी व गैर सरकारी बीएड कॉलेजों को दिया है. सवाल यह है कि एनसीटीई ने देश के करीब बीस हजार टीचर ट्रेनिंग व बीएड कॉलेजों को मूल्यांकन कराना अनिवार्य बताया है. इसकी शुरुआत बिहार से की जा रही है.

29 जून 2017 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के चेयरपर्सन संतोष मैथ्यू ने बिहार के सभी सरकारी-गैर सरकारी टीचर ट्रेनिंग व बीएड कॉलेजों की एक बैठक पटना के श्रीकृष्णा मेमोरियल हॉल में बुलाई है. बैठक में बीएड कॉलेजों की समस्याओं पर चर्चा होगी. चेयरपर्सन ने बिहार के सभी सरकारी व गैर सरकारी टीचर ट्रेनिंग व बीएड कॉलेजों को यह निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर एनसीटीई के वेबसाइट से लिंक लेकर क्यूसीआई नामक संस्था से अपने कॉलेजों का मूल्यांकन डेढ़ लाख रुपए जमा कर करा लें. ऐसा नहीं कराने पर एनसीटीई कॉलेज को असंबद्ध कर सकती है. इतना कम समय दिए जाने पर निजी कॉलेजों के संचालकों ने आपत्ति जताई. इसके बावजूद चेयरपर्सन ने कहा कि यह कराना अनिवार्य और नियमानुसार है. प्रत्येक पांच वर्ष में शिक्षण संस्थानों को भारत सरकार की संस्था नैक से एक्रेडिएशन कराना होता है, लेकिन इसके लिए मात्र एक सप्ताह का समय दिया जाना आश्चर्यजनक है. बताया जाता है कि इससे पूर्व क्यूसीआई को आईटीआई के मूल्यांकन का काम दिया गया था. इस संबंध में गत दिनों संसद में सवाल उठा था कि आईटीआई खोलने की अनुमति में क्यों विलंब हो रहा है. इस पर केन्द्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने बताया कि देश में खुलने वाली आईटीआई की जांच के लिए क्यूसीआई को जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन यह कार्य तय समय पर नहीं हुआ. इसी से क्यूसीआई की कार्यप्रणाली को समझा जा सकता है. बिहार निजी बीएड कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री ही जिस संस्था पर सवाल उठा रहे हों तो फिर ऐसी संस्था को बिहार के टीचर ट्रेनिंग व बीएड कॉलेजों के मूल्यांकन का काम कैसे सौंपा जा सकता है? ऐसे में बिहार के निजी बीएड कॉलेजों के संचालकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है.■

सीतामढ़ी में भाजपा-रालोसपा में तकरार

वाल्मीकि कुमार

साल 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने सीतामढ़ी संसदीय सीट को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पाले में डाल दिया था. तब पार्टी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम जातीय व राजनीतिक धुरंधरों को नकारते हुए स्वजातीय राम कुमार शर्मा को चुनावी समर में उतारा था. जानकारों का मानना है कि अगर मोदी लहर नहीं होती तो रामकुमार शर्मा के लिए चुनाव जीतना मुश्किल था. अब जिला की राजनीति पर लंबे अर्से से कब्जा जमाए कुछ राजनेताओं को सांसद रामकुमार शर्मा रास नहीं आ रहे हैं.

केंद्र सरकार की पहल पर आयोजित सबका साथ-सबका विकास कार्यक्रम में आमंत्रित रालोसपा सांसद का विरोध राजनीतिक चक्रव्यूह का हिस्सा नहीं था. सांसद श्री शर्मा के मुताबिक भाजपा जिलाध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने उन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन कार्यक्रम प्रभारी मिथिलेश प्रसाद के कहने पर उन्हें कार्यक्रम में आने से रोक दिया गया. उनसे यह कहा गया कि सांसद के कार्यक्रम में आने पर कोई कार्यकर्ता भागीदारी के लिए तैयार नहीं है. परंतु वे पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के कहने पर कार्यक्रम में भागीदारी के लिए पहुंचे थे. जिला भाजपा संगठन के तमाम पदाधिकारी कार्यक्रम से अनुपस्थित रहे. हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कार्रवाई की बात कही थी. शिवहर जिला भाजपा प्रभारी सह सीतामढ़ी कार्यक्रम प्रभारी मिथिलेश प्रसाद का कहना था कि सीतामढ़ी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को गिराने में लगे हैं. वे जनता व कार्यकर्ता का कोई काम नही करते. सांसद कहते हैं कि वोट हमें नहीं, नरेंद्र मोदी को दिया. जनता और कार्यकर्ता की बात भी सांसद नही सुनते, इसलिए किसी ने भी कार्यक्रम में सांसद की मौजूदगी को स्वीकार नहीं किया. वैसे किसी भी जिले में आयोजित इस कार्यक्रम में गठबंधन के अन्य दल के नेताओं को नहीं बुलाया गया. वहीं सीतामढ़ी जिला भाजपा अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह का कहना है कि पार्टी नेतृत्व ने कार्यक्रम प्रभारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई को लेकर जिला संगठन को सूचित नहीं किया है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि उक्त कार्यक्रम के बाद गठबंधन के दोनों दलों के बीच दूरियां बढ़ी हैं. इससे पूर्व एक बैठक में सांसद की कार्यपद्धति को लेकर सवाल उठा था, इसके बावजूद उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया. हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि कार्यक्रम में भाजपा संगठन के विरोध का तरीका गलत था. इसका कारण यह है कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन, शिवहर सांसद रमा देवी, विधान पार्षद देवेशचंद्र ठाकुर, विधायक गायत्री देवी समेत कई वरीय नेता मंच पर मौजूद थे. वहीं, रालोसपा जिलाध्यक्ष राम लक्ष्मण सिंह कुशवाहा ने कहा कि कुछ लोग निजी स्वार्थ की खातिर सांसद का विरोध कर रहे हैं.

मिथिलेश प्रसाद

कुल मिलाकर कहें तो सीतामढ़ी में एनडीए का हाल ठीक नहीं है. जिले की राजनीति में सक्रिय कुछ वरीय नेता ऐसे अवसर की तलाश में हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहते हैं. फिलहाल देखना यह है कि भाजपा का प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व गठबंधन दल के सांसद की मौजूदगी को लेकर उत्पन्न इस विवाद का निपटारा कैसे करती है? दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर पार्टी में अनुशासन बहाल रखा जाता है या फिर कद्दावर नेताओं को ही तरजीह दी जाती है.■

feedback@chauthiduniya.com

महिलाओं में एनिमिया

ariskon Pharma Pvt. Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

गेटवेल हॉस्पीटल राजा रोड, मौर्या होटल के नीचे, सासाराम

डॉ. नीतू कुमारी, एमबीबीएस
M. S. in Obstetrics & Gynaecology

डॉ नीतू कुमारी जो कि सासाराम में गेटवेल हॉस्पीटल में प्रसूती रोग विशेषज्ञ हैं उनसे हुई बातचीत के दौरान महिलाओं में हो रहे एनिमिया रोग पर चर्चा हुई और बताया कि यह केस महिलाओं में 19-20 की उम्र से लेकर गर्भावस्था के दौरान तक देखा गया है इसके प्रति उन्होंने सजग रहने को कहा और इस स्थिति में पौष्टिक भोजन के अलावे आयरन और कैलिशियम लेने के अलावा कहा कि तुरंत गायनोकोलॉजिस्ट के सम्पर्क में रहें। उन्होंने बताया कि पेट में कीड़े के अलावा मासिक के दिनों में अधिक रक्तस्राव भी एक कारण हो सकता है। डॉ नीतू ने बताया कि:- एनीमिया, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होने के कारण होता है। और गर्भावस्था में यह रोग और खतरनाक हो जाता है। इस हालत में शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे थकान महसूस होती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में कमी होती है और उनकी हानि होने की गति तेज हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में एनिमिया के लक्षण- थकान सबसे आम लक्षण है। यहां तक कि रोजमर्रा के काम करने में भी परेशानी होती है। कमजोरी- अगर गर्भावस्था के दौरान आप कमजोरी महसूस करती हैं और हर समय आपको थकान महसूस होती है तो यह एनीमिया के लक्षण हैं। पीलापन-गर्भावस्था के दौरान पीले रंग का मतलब है कि आप एनीमिक हैं। इसमें होंठ, नाखूनों, मसूड़ों, हाथ की हथेलियों और आंखों की परत पर पीलापन आ जाता है, जिसे कोई भी आसानी से नोटिस कर सकता हैं। चक्कर आना-चक्कर आना और सांस की तकलीफ होना भी एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं में आम लक्षण हैं। सिरदर्द और सीने में दर्द भी इनके लक्षण हैं। अन्य लक्षण में चिड़चिड़ापन, बेहोशी श्वास की गति में अअन्त व शरीर का कम तापमान हैं इन परिस्थितियों में तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लें - ■ भारती

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.

A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil

Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus

Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg

Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

उपराष्ट्रपति ने किया कमल मोरारका के अभिनंदन ग्रंथ का लोकार्पण

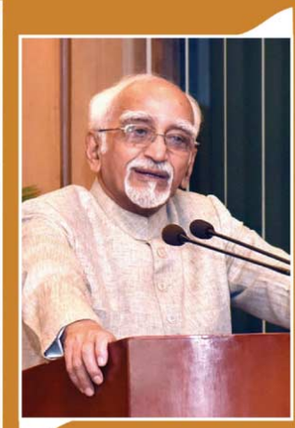

चौथी दुनिया ब्यूरो

उपराष्ट्रपति भवन में बीते 4 जुलाई को हामिद अंसारी ने राजनेता, उद्योगपति और समाजसेवी कमल मोरारका के अभिनंदन ग्रंथ 'कमल मोरारका-70' को लोकार्पित किया. इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, जदयू नेता केसी त्यागी, पूर्व विदेश सचिव मुचकुंद दुबे, पत्रकार अरविंद मोहन, विनीत नारायण और विनोद अग्निहोत्री आदि मौजूद रहे. प्रो. एलपी सिंह द्वारा संपादित इस अभिनंदन ग्रंथ में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने कमल मोरारका के साथ के अपनी यादों और अनुभवों को बयां किया है.

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, डॉ मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व लोकसभाध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी, वर्तमान लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन, आरएसएस के थिंक टैंक गोविंदाचार्य, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर, रामबहादुर राय, जगदीश चंद्रा जैसी शख्सियतों ने इस किताब में कमल मोरारका जी के साथ के अपनी यादों को बयां किया है. देश के प्रमुख राजनेताओं जैसे, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, अरुण जेटली, प्रकाश करात, फारुक अब्दुल्ला, नजमा हेपतुल्ला, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, शीला दीक्षित, उद्धव ठाकरे, अमर सिंह, शाहनवाज हुसैन, सैफुद्दीन सोज, शब्बीर शाह, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव महमूद मदनी ने भी इस किताब में कमल मोरारका जी के बारे में अपने अनुभवों को साझा किया है. वरिष्ठ साहित्यकार नामवर सिंह, अभिनेता अनुपम खेर, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी, क्रिकेटर सुनील गावस्कर, मो. अजहरुद्दीन, उद्योगपति मुकेश अंबानी, रमेश चौहान, वेणुगोपाल धूत, जाने-माने वकील राम जेठमलानी और मशहूर नृत्यांगना शोभना नारायण ने भी कमल मोरारका जी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

'पुरस्कार वापसी' के पुरस्कार से परहेज कहां?

अनंत विजय

हाल ही में बिहार सरकार के कला, संस्कृति और युवा विभाग के सांस्कृतिक कार्य निदेशालय ने 2017-18 के लिए अपना सांस्कृतिक कैलेंडर जारी किया. इस कैलेंडर में विभाग द्वारा आयोजित तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम, उसको आवंटित राशि, संभावित बजट, स्थान, माह के अलावा नोडल एजेंसी के नाम का उल्लेख है. इस कैलेंडर में क्रमांक 37 पर लिखा है, सत्याग्रह विश्व कविता समारोह. आयोजन स्थल पटना. संभावित बजट 3 करोड़ 60 लाख रुपए और नोडल एजेंसी के तौर पर विभाग और बिहार संगीत नाटक अकादमी का नाम उल्लिखित है. ऐसा प्रतीत होता है कि भूलवश आयोजन का माह जनवरी 2017 छप गया है. दरअसल, इस आयोजन को होना जनवरी 2018 में है. इस पूरे कैलेंडर में इस आयोजन का संभावित बजट सबसे अधिक है. अगर जोड़ा जाए, तो पूरे बजट का करीब पांचवां हिस्सा सिर्फ एक आयोजन के लिए आवंटित किया गया है. बिहार सरकार के इस सांस्कृतिक कैलेंडर के जारी होते ही विश्व कविता समारोह को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई. पाठकों को यह याद होगा कि इस स्तंभ में ही सबसे पहले इस बात की चर्चा की गई थी कि हिंदी के वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी बिहार सरकार के सहयोग से विश्व कविता सम्मेलन करना चाहते हैं. उस वक्त यह बात सामने आई थी कि अशोक जी ये आयोजन दिल्ली में करवाना चाहते हैं, आयोजन को कॉर्डिनेट करने के लिए अशोक वाजपेयी को दिल्ली में स्टाफ और दफ्तर बिहार सरकार की तरफ से मुहैया करवाया जाएगा आदि आदि. पहली बैठक में इन विषयों पर बातचीत हुई भी थी.

अब बिहार सरकार ने इस विश्व कविता समारोह को पटना में सत्याग्रह विश्व कविता के नाम से आयोजित करने का फैसला लिया है. जाहिर सी बात है कि अशोक वाजपेयी इस योजना से शुरू से जुड़े रहे हैं, लिहाजा इस बात की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है कि अशोक वाजपेयी को ही पटना में आयोजित होने वाले विश्व कविता समारोह का जिम्मा सौंपा जा रहा है. बिहार के वरिष्ठ रचनाकार उषा किरण खान और कर्मेन्दु शिशिर ने फेसबुक पर ये लिखा भी है कि अशोक वाजपेयी को ही ये जिम्मा दिया जा रहा है. उषा किरण खान जी ने तो साफ तौर पर लिखा कि बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग ने अशोक वाजपेयी जी को जिम्मा सौंपा है, विश्व कविता सम्मेलन करने के लिए. कर्मेन्दु शिशिर जी ने लिखा कि नीतीश जी जब दिल्ली गए थे, तो अशोक वाजपेयी और मंगलेश डबराल वगैरह उनसे मिलने गए थे. पहले तो वो नहीं मिले. ये मुलाकात के सी त्यागी जी तक ही रही. मगर बाद में मिले. पवन वर्मा जी की भी इसमें भूमिका रही. बाद में उन्होंने लिखा कि ऐसा उनको किसी ने बताया. इस मुलाकात के बारे में कितनी सच्चाई है, ये तो पता नहीं, लेकिन इन टिप्पणियों से ये हुआ कि विश्व कविता सम्मेलन के संयोजक के तौर पर अशोक वाजपेयी का नाम खुल गया.

दरअसल, अशोक वाजपेयी ने भारत सरकार को 2014 में भी विश्व कविता सम्मेलन के आयोजन का प्रस्ताव दिया था, जो परवान नहीं चढ़ सका था. उस वक्त की सरकार ने अशोक वाजपेयी के उस प्रस्ताव को साहित्य अकादमी के पास भेज दिया था, जिसे साहित्य अकादमी ने ठुकरा दिया था. साहित्य अकादमी ने अशोक वाजपेयी के प्रस्ताव को नकारते हुए साफ कर दिया था कि वो किसी से साथ साझीदारी में इतना बड़ा आयोजन करने के बजाए खुद इस तरह का आयोजन कर सकती है. साहित्य अकादमी ने विश्व कविता समारोह का आयोजन किया भी था. उसके बाद केंद्र में सरकार बदली. बिहार में विधानसभा चुनाव हुए. चुनाव के दौरान असहिष्णुता को लेकर देश में माहौल बनाया गया. पुरस्कार वापसी अभियान को संगठित तरीके से चलाया गया. बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के गठबंधन की जीत हुई. उसके बाद अशोक वाजपेयी ने बिहार सरकार को विश्व कविता समारोह का प्रस्ताव दिया. लंबे समय तक सरकारी प्रक्रिया और बैठकों के बाद बिहार सरकार ने विश्व कविता समारोह के लिए 3 करोड़ 60 लाख का बजट आवंटित कर दिया है. आयोजन का जिम्मा बिहार संगीत नाटक अकादमी को सौंपा गया है, लेकिन समिति में अशोक वाजपेयी हैं.

अशोक वाजपेयी ने विश्व कविता सम्मेलन के बारे में कहा था कि उन्होंने एक समारोह में मुख्यमंत्री को इस आयोजन का सुझाव दिया था. संभव है कि बिहार के मुख्यमंत्री समारोह में दिए गए सुझावों पर अमल करवा देते हों. लेकिन बाद में इस आयोजन को लेकर बैठक हुई, तो वहां अशोक वाजपेयी की तरफ से औपचारिक प्रस्ताव पर विचार किया गया. वाजपेयी उस बैठक में शामिल होने पटना गए. बैठक में उनके अलावा आलोक धन्वा, अरुण कमल और आरजेडी के नेता दीवाना भी शामिल हुए थे.

अशोक वाजपेयी ने विश्व कविता सम्मेलन के बारे में कहा था कि उन्होंने एक समारोह में मुख्यमंत्री को इस आयोजन का सुझाव दिया था. संभव है कि बिहार के मुख्यमंत्री समारोह में दिए गए सुझावों पर अमल करवा देते हों. लेकिन बाद में इस आयोजन को लेकर बैठक हुई, तो वहां अशोक वाजपेयी की तरफ से औपचारिक प्रस्ताव पर विचार किया गया. वाजपेयी उस बैठक में शामिल होने पटना गए. बैठक में उनके अलावा आलोक धन्वा, अरुण कमल और आरजेडी के नेता दीवाना भी शामिल हुए थे. उस बैठक में तय हुआ था कि समारोह पटना और बिहार के किसी एक और शहर में आयोजित किया जाएगा.

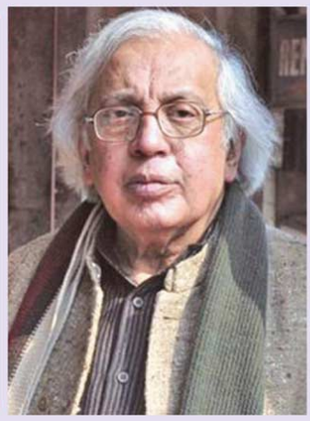

उस बैठक में तय हुआ था कि समारोह पटना और बिहार के किसी एक और शहर में आयोजित किया जाएगा. उस बैठक के बाद विश्व कविता समारोह के आयोजन में अशोक वाजपेयी की भूमिका को पुरस्कार वापसी के पुरस्कार के तौर पर देखा गया था. अशोक वाजपेयी ने भी लेख लिखकर इसका खंडन किया था और कहा था कि इस समारोह का पुरस्कार वापसी से कोई लेना देना नहीं है.

संभव है अशोक जी की बातें सही हों, लेकिन अगर कर्मेन्दु शिशिर की उपरोक्त बातों में सच्चाई है, तो अशोक वाजपेयी के साथ मंगलेश डबराल भी इस आयोजन को सुनिश्चित करवाने के लिए नीतीश कुमार से मिले थे. गौरतलब है कि मंगलेश डबराल भी पुरस्कार वापसी समूह में शामिल थे. यह अलहदा बात है कि इन दिनों मंगलेश डबराल साहित्य अकादमी के कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आ रहे हैं. विरोध का ये वामपंथी तरीका है, जहां आप प्रचार और लाभ हासिल करने के लिए नैतिकता आदि की आड़ लेते हैं. लेकिन जैसे ही आपको किसी लाभ का प्रस्ताव मिलता है, तो आप अपना विरोध त्यागकर उसे स्वीकार कर लेते हैं. पुरस्कार वापसी करने वाले लेखकों के साथ यही हो रहा है. अगर बिहार सरकार का सत्याग्रह विश्व कविता सम्मेलन पुरस्कार वापसी का पुरस्कार नहीं है, तो फिर क्या है? अशोक वाजपेयी चाहे लाख सफाई दें, लेकिन यह सच्चाई है. फेसबुक और सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा इस बात को पुष्ट भी करती हैं. जब संस्कृति विभाग का कैलेंडर जारी हुआ, तो यह बात भी प्रकारांतर से सामने आने लगी कि अशोक वाजपेयी ने विश्व कविता समारोह को लेकर उनपर हो रहे हमलों से आहत होकर इससे अलग होने का मन बना लिया है. इस तरह की बात भी सामने आई कि उन्होंने महीने भर पहले इस आयोजन को खुद से अलग कर लिया है. बिहार सरकार के संस्कृति विभाग के आला अफसरों से बात करने पर पता चला कि उन्हें अशोक वाजपेयी के इस समारोह से अलग होने की अबतक कोई जानकारी नहीं है. बल्कि विभागीय अफसरों ने इस बात को स्पष्ट किया कि विश्व कविता समारोह का मूल प्रस्ताव अशोक वाजपेयी का ही था और विभाग चाहता है कि अशोक वाजपेयी को ही इस आयोजन का जिम्मा मिले. सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, बस शासन के सर्वोच्च स्तर से उसपर अप्रूवल मिलना शेष है. अशोक वाजपेयी के इस समारोह से अलग होने की बात अबतक बिहार सरकार के संस्कृति मंत्रालय तक पहुंची नहीं है. ना ही उनका कोई पत्र पहुंचा है.

पुरस्कार वापसी के पुरस्कार से भी बड़ा मुद्दा है, विभाग के अन्य आयोजनों को पर्याप्त धनराशि का नहीं दिया जाना. इसके अलावा, जो दूसरी बात है वो कि बिहार में तमाम सांस्कृतिक, साहित्यक संस्थाएं बदहाल हैं, उनके कर्मचारियों के सामने बहुधा वेतन तक का संकट पैदा हो जाता है. विश्व कविता सम्मेलन के आयोजन का जिम्मा जिस संगीत नाटक अकादमी को मिला है, उसके अध्यक्ष तक नहीं हैं. इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि जबतक कला और संस्कृति के लिए इंफ्रास्ट्रक्टर नहीं विकसित किया जाएगा, स्थानीय प्रतिभाओं को अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा, तबतक इस तरह के महंगे आयोजनों का कोई अर्थ नहीं है. साहित्य अकादमी ने दिल्ली में विश्व कविता समारोह का आयोजन किया था, उसमें साहित्यिक लोगों की भी भागीदारी नगण्य थी. वैश्विक स्तर पर अलग-अलग भाषाओं के कवियों ने अपनी भाषा में कविताएं पढ़ीं थीं, जिसको लेकर किसी तरह का उत्साह नहीं दिखा था. बिहार का संस्कृति विभाग अगर सच में साहित्य, कला संस्कृति के विकास और अंतराष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो उसको इस तरह के व्यक्तिगत महात्वाकांक्षी प्रस्तावों पर विचार करने के पहले स्थानीय स्तर पर उसकी स्वीकार्यता और आयोजन से स्थानीय प्रतिभाओं को होने वाले लाभ का आकलन भी करना चाहिए. अन्यथा होगा ये कि इस तरह के आयोजन एक साल होकर, व्यक्ति या संस्था विशेष को लाभ पहुंचाकर बंद हो जाएंगे.■

anant.ibn@gmail.com

जन्मदिन विशेष

जन्मदिन- 23 जुलाई 1906
पुण्यतिथि- 27 फरवरी 1931

एक 'आज़ाद' क्रांतिकारी

जब चंद्रशेखर को अदालत में ले जाया गया और अदालत की कार्यवाही आरम्भ हुई, तो मजिस्ट्रेट ने सवाल पूछने शुरू किए. चंद्रशेखर से उनका नाम पूछा गया, तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर जेलखाना बताया. अल्पायु के कारण उन्हें कारागार का दंड न देकर मजिस्ट्रेट ने 15 कोड़े लगाने की सजा सुनाई. हर कोड़े की मार पर वे वन्दे मातरम् और महात्मा गांधी की जय का उच्च उद्घोष कर रहे थे. इस घटना के बाद ही बालक चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाने लगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो

भारत की आजादी की लड़ाई में जब-जब क्रांतिकारी आंदोलन की बात होगी, चंद्रशेखर आजाद का नाम अदब से लिया जाएगा. स्वतंत्रता संघर्ष के लिए क्रांतिकारियों को एकजुट करने का श्रेय चंद्रशेखर आजाद को ही जाता है. वे उन चंद क्रांतिकारियों में शामिल थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए घर-परिवार, माता-पिता सबको छोड़ दिया. जब वे क्रांतिकारी जीवन जी रहे थे, उस समय उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी. ये पता चलने पर उनके कुछ साथियों ने उनके घर कुछ सहायता भेजने की सोची, क्योंकि अंग्रेजी सरकार के खजाने लूटने के अलावा क्रांतिकारियों के पास चंदे का पैसा भी आता था. लेकिन साथियों के इस प्रस्ताव से चंद्रशेखर आजाद भड़क गए. उन्होंने कहा कि 'इस स्थिति में मेरे अकेले के मां बाप तो हैं नहीं. बाकी सबके भी हैं. अगर मेरे मां-बाप आजादी के सपने की राह में आते हैं और सचमुच तुम उनकी सेवा करना चाहते हो, तो लो पिस्टल, उनको गोली मार दो. उनकी सेवा हो जाएगी.' ऐसा था चंद्रशेखर आजाद का क्रांतिकारी जज्बा.

23 जुलाई, 1906 को मध्य प्रदेश के एक आदिवासी ग्राम भावरा में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था. उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के बदर गांव के रहने वाले थे. लेकिन भीषण अकाल के चलते वे भाबरा जाकर बस गए. चंद्रशेखर आज़ाद का प्रारंभिक जीवन भाबरा में ही व्यतीत हुआ. वहां अपने भील सखाओं के साथ उन्होंने धनुष-बाण चलाना सीख लिया था. पिता पंडित सीताराम तिवारी अलिरापुर रियासत के एक छोटे से कर्मचारी थे, वहीं माता जगरानी देवी गृहिणी थीं. चंद्रशेखर संस्कृत सीखने के लिए काशी जाना चाहते थे, लेकिन उनके माता-पिता उन्हें अपने से दूर नहीं भेजना चाहते थे. परिवार के साफ़ इंकार करने के बाद भी चंद्रशेखर बिना किसी को बताए घर छोड़कर काशी के लिए निकल पड़े.

चंद्रशेखर आजाद जब पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान देश में अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन चल रहे थे. उसी समय अंग्रेजों ने भारतीयों के मूल अधिकारों के हनन के लिए रोल्ट एक्ट लागू कर दिया. इसके बारे में जानकर चंद्रशेखर को अंग्रेजी शासन से घृणा हो गई. तभी जनरल डायर ने जलियांवाला बाग़ में बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलवाकर कई बेगुनाहों को मार डाला और कई लोगों को अंगहीन कर दिया. ये सब देख कर चंद्रशेखर को बेचैनी सी होने लगती थी. वे उस छोटी से उम्र में ही अंग्रेजों को सबक सिखाने का मौका खोजते थे. दिसंबर 1921 गांधी जी के असहयोग आंदोलन का आरम्भिक दौर था, उस समय मात्र चौदह वर्ष की आयु में बालक चंद्रशेखर ने इस आंदोलन में भाग लिया. कहा जाता है कि एक बार वे बाजार से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ पुलिसवाले आंदोलनकारियों को बड़ी बेरहमी से पीट रहे थे. चंद्रशेखर से ये देखा नहीं गया. उन्होंने एक पत्थर उठाया और एक पुलिस वाले को मार दिया. बाकी पुलिस वाले जब तक कुछ समझ पाते, चंद्रशेखर वहां से जा चुके थे. इस घटना के बाद पुलिस चंद्रशेखर के पीछे पड़ गई. वे पकड़े गए और उन्हें जेल ले जाया गया. वो सर्दी के दिन थे, पुलिसवाले ने उन्हें सबक सिखाने के लिए बिना किसी गर्म कपड़े के, केवल धोती कुरते में जेल में बंद कर दिया गया. तकरीबन आधी रात को जब वो पुलिसवाला ये देखने के लिए

जब वे क्रांतिकारी जीवन जी रहे थे, उस समय उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी. वे पता चलने पर उनके कुछ साथियों ने उनके घर कुछ सहायता भेजने की सोची, क्योंकि अंग्रेजी सरकार के खजाने लूटने के अलावा क्रांतिकारियों के पास चंदे का पैसा भी आता था. लेकिन साथियों के इस प्रस्ताव से चंद्रशेखर आजाद भड़क गए. उन्होंने कहा कि 'इस स्थिति में मेरे अकेले के मां बाप तो हैं नहीं. बाकी सबके भी हैं. अगर मेरे मां-बाप आजादी के सपने की राह में आते हैं और सचमुच तुम उनकी सेवा करना चाहते हो, तो लो पिस्टल, उनको गोली मार दो. उनकी सेवा हो जाएगी.' ऐसा था चंद्रशेखर आजाद का क्रांतिकारी जज्बा.

उठा कि उनकी हालत क्या है, तो वो अवाक रह गया ये देख कर कि चंद्रशेखर बिना धोती कुरते के लंगोट में ही कसरत कर रहे हैं और उनके शरीर से पसीना ही पसीना बह रहा है. अगले दिन जब चंद्रशेखर को अदालत में ले जाया गया और अदालत की कार्यवाही आरम्भ हुई, तो मजिस्ट्रेट ने सवाल पूछने शुरू किए. चंद्रशेखर से उनका नाम पूछा गया, तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर जेलखाना बताया. अल्पायु के कारण उन्हें कारागार का दंड न देकर मजिस्ट्रेट ने 15 कोड़े लगाने की सजा सुनाई. हर कोड़े की मार पर वे वन्दे मातरम् और महात्मा गांधी की जय का उच्च उद्घोष कर रहे थे. इस घटना के बाद ही बालक चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाने लगा.

1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की, तो इससे चंद्रशेखर आजाद बहुत आहत हुए. उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि वे देश को आजाद कराएंगे. एक क्रांतिकारी साथी ने उनका परिचय राम प्रसाद बिस्मिल से कराया. बिस्मिल से मिलकर वे बहुत प्रभावित हुए. चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों के साथ मिलकर संस्था के लिए धन एकत्रित करते थे. अधिकतर यह धन अंग्रेजी सरकार से लूट कर एकत्रित किया जाता था. इसी दौरान 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रतुल गांगुली ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की. ये सभी क्रांतिकारी भी उसमें शामिल हो गए. इसी संगठन के सदस्यों ने अगस्त 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया. काकोरी कांड में शामिल अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल सहित कई अन्य मुख्य क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा हुई. इसके बाद चंद्रशेखर ने इस संस्था का पुनर्गठन किया. वे भगवतीचरण वोहरा के संपर्क में आने के पश्चात भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के भी संपर्क में आए. भगत सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत को भयभीत करने और भारत से खदेड़ने का हर संभव प्रयास किया.

बचपन में आदिवासी बच्चों के साथ रहने के कारण चंद्रशेखर आजाद एक अच्छे निशानेबाज थे. झांसी से पंद्रह किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वे अपने क्रांतिकारी साथियों को निशानेबाजी का प्रशिक्षण देते थे. साथ ही वे पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्म नाम से बच्चों के अध्यापन का कार्य भी करते थे. फरवरी 1931 में जब चंद्रशेखर आज़ाद गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने सीतापुर जेल गए, तो विद्यार्थी जी ने उन्हें इलाहाबाद जाकर जवाहर लाल नेहरू से मिलने को कहा. चंद्रशेखर आजाद जब नेहरू से मिलने आनंद भवन गए, तो उन्होंने चंद्रशेखर की बात सुनने से भी इनकार कर दिया. उसके बाद वे गुस्से में वहां से निकलकर अपने साथी सुखदेव के साथ एल्फ्रेड पार्क चले गए. वो 27 फरवरी 1931 का दिन था. एल्फ्रेड पार्क में वे सुखदेव के साथ आगामी योजनाओं के विषय पर विचार-विमर्श कर ही रहे थे कि पुलिस ने उन्हें घेर लिया. आज़ाद ने सुखदेव को वहां से भगा दिया और अकेले ही अपनी पिस्तौल से अंग्रेजी पुलिस का सामना करते रहे. दोनों ओर से गोलीबारी हुई, लेकिन जब चंद्रशेखर के पास मात्र एक ही गोली शेष रह गई, तो उन्होंने वो बची हुई गोली खुद को मारकर आत्म बलिदान कर लिया. चंद्रशेखर आज़ाद ने ये प्रण लिया हुआ था कि जीवित रहते हुए कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आएंगे. आजादी के बाद एल्फ्रेड पार्क का नाम बदल कर चंद्रशेखर आजाद पार्क और उनके गांव का नाम बदलकर आजादपुरा रखा गया. चंद्रशेखर आजाद ने जीते जी अंग्रेजों के हाथ न आने का तो प्रण पूरा किया ही, अपने इस शब्दों को भी सार्थक किया कि

दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे,
आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे.

feedback@chauthiduniya.com

जल संग्राम

चौथी दुनिया ब्यूरो

वर्तमान की जरूरत है वर्षा जल संग्रहण

वर्षा के पानी को उत्पादक कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है. आपकी छत पर गिर रहे बारिश के पानी को सामान्य तरीके से इकट्ठा कर उसे शुद्ध बनाने का काम किया जा सकता है. अच्छी गुणवत्ता वाले पानी की कमी आज चिंता का एक बड़ा कारण बन गई है. इसलिए ये वर्षा जल भूजल या नगरपालिका के जल कनेक्शन से होने वाले पानी की सप्लाई जैसे स्रोतों का पूरक हो सकता है. जिन क्षेत्रों में पानी का अन्य कोई स्रोत न हो, वहां निर्माण या खेती कार्य किया जा सकता है.

वर्षा जल संग्रहण उस जगह के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है, जहां भूजल का स्तर बहुत नीचे हो, भूजल दूषित हो, पर्वतीय क्षेत्र हो, वहां लवण युक्त पानी की आवाजाही हो या फिर वहां भूकम्प या बाढ़ सम्बंधी घटनाएं आम हों. वर्षा जल का इस्तेमाल पीने, खाना पकाने, शौच के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए और मवेशियों की जरूरतों इत्यादि के लिए किया जा सकता है.

आज देश के विभिन्न शहरों में पानी का संकट खड़ा हो रहा है. ये संकट सतही और भूजल दोनों के अभाव से उपजा है. इस संकट से निपटने के लिए हमें गांव के साथ-साथ शहरों में भी जल संग्रहण के विभिन्न तरीकों का उपयोग करना होगा. लेकिन अब सवाल उठता है कि शहरों में इसे कैसे क्रियान्वित किया जाए. दरअसल, ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में वर्षा जल संग्रहण का समान अर्थ है. फर्क बस इतना है कि ग्रामीण इलाकों में जल पंडाल प्रबर्धन कार्यक्रम के जरिए मिट्टी संरक्षण के साथ-साथ जल संग्रहण किया जाता है. वहीं दूसरी ओर शहरी इलाकों में जगह की कमी के कारण छत पर जल संग्रहण करना ज्यादा मुनासिब होता है. शहरों में पहले से निर्मित भवनों में भी जल संग्रहण करना संभव है. पानी का तुरंत उपयोग करने के लिए जमीन पर अथवा जमीन के अंदर टंकी में पानी का भण्डारण किया जाता है. वहीं, बाद में उपयोग करने के लिए बारिश के पानी

को जमीन के अंदर छोड़ा जाता है, जिससे भूजल भण्डारण का पुनर्भरण होता है.

वर्षा जल संग्रहण के लिए जल ग्रहण क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है. ये वो क्षेत्र होता है, जिस पर वर्षा का पानी सीधे गिरता है. ये एक पक्की सतह या फिर फर्शयुक्त जगह हो सकता है, जैसे, घर की छत, आंगन, खुला मैदान या बगीचा, वगैरह. तम्बूनुमा ढालू छत अथवा शेड की झुकी हुई छत जैसे अस्थाई ढांचों का भी प्रयोग जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में किया जा सकता है. ऐसी जगहों पर वर्षा जल एकत्र करने के बाद इसके संग्रहण के लिए इसे पाइप द्वारा पानी टंकी तक पहुंचाया जा सकता है. बारिश के पानी का संग्रहण करने के लिए आरसीसी, ईंट अथवा प्लास्टिक की टंकियों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

यद्यपि वर्षा जल का पानी फ्लोराइड तथा कैल्शियम जैसे खनिज प्रदूषकों से मुक्त होता है, लेकिन इसमें वायुमंडलीय प्रदूषक तथा सतही प्रदूषक तत्व (जैसे महीन रेत, धूल इत्यादि) मौजूद रहते हैं. अत: वायुमंडलीय प्रदूषण से बचने के लिए पहले दस-बीस मिनट की वर्षा से प्राप्त पानी को बहा दिया जाना चाहिए. ऐसा करने से वायुमंडलीय प्रदूषण से बचने के साथ-साथ छत की गंदगी भी साफ हो जाएगी. इसके अलावा, प्रत्येक बारिश से पहले और बाद में सम्पूर्ण जल संग्रहण व्यवस्था के घटकों (छत, पाइप, जाली, पहले बारिश को अन्य स्थान पर ले जाने की व्यवस्था, वगैरह) का पूरा परीक्षण किया जाना चाहिए.

खुद के इस्तेमाल के लिए वर्षा जल संग्रहण के अलावा इसका प्रयोग पुनर्भरण व्यवस्था के तहत कुओं, नलकूपों, खाइयों तथा गड्ढों के जरिए भूमिगत जल भंडारण के लिए किया जा सकता है. बरसात के पानी को भूजल भण्डारण में भरने की कई संरचनाएं होती हैं, जो वर्षा जल को अन्य स्थानों पर बहने से रोकती हैं, जैसे पुनर्भरण करने वाले गड्ढे, रिसने वाली सतह, इत्यादि. जबकि कई अन्य ढांचे पानी को अधिक गहराई तक रिसने में मदद करते हैं, जिससे यह भूगर्भीय जल में मिल जाता है, जैसे सोख्ता कूप, पुनर्भरण के कुए वगैरह. कुएं का पुनर्भरण करने के लिए इसके अस्तर में समान दूरी पर छेद किए जाते हैं, जिससे इसमें बेहतर ढंग से पानी प्रवेश करे. मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए इसे ढक कर रखना चाहिए. इसी प्रकार इसमें रेत या तैरने वाली वस्तु को रोकने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, नहीं तो इस पुनर्भरण ढांचे के अवरुद्ध होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

गोल्ड में होगा अक्षय का ये शानदार लुक

अक्षय कुमार बॉलीवुड में सबसे तेजी से काम करने के लिए मशहूर हैं और हो भी क्यों ना! अच्छे से अच्छे अभिनेता भी एक फिल्म को पूरा करने में एक साल से ज्यादा का समय लगा देते हैं. वहीं अक्षय इतनी तेजी से काम करते हैं कि वे साल में दो से तीन फिल्में अपने फैंस को दे ही देते हैं.

इस समय अक्षय कुमार अपनी आगामी फिल्म *गोल्ड* की शूटिंग शुरू कर चुके हैं. *गोल्ड* खेल पर आधारित फिल्म है. इसकी कहानी 1948 की है जब भारत ने स्वतंत्र होने के बाद हॉकी में पहला ओलिम्पिक गोल्ड मैडल जीता था. यह कारनामा भारत की हॉकी टीम ने किया था. स्पष्ट है कि यह फिल्म हॉकी टीम के प्रदर्शन पर आधारित है. अक्षय इस समय अपनी आने वाली फिल्म *टॉयलेट एक प्रेम कथा* के प्रचार में व्यस्त हैं.■

आलिया भट्ट ने बताया अपनी फिटनेस का राज़

"आलिया की पिछली फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया मार्च में रिलीज हुई थी, जो सुपरहिट साबित हुई. इसके बाद तीन महीने तक वे ब्रेक पर थीं. वे कई प्रकार के डांस सीख रही हैं और बीच-बीच में यात्रा भी कर रही हैं."

आलिया ने चुस्त-दुरुस्त रहने के बारे में बताया कि सुबह 3:00 बजे उठने के बावजूद दिन भर उनके चेहरे पर चमक बनी रहती है. इसका कारण उनका सही समय पर नाश्ता करना, भोजन के बीच ज्यादा अंतर न होने देना, पैदल चलने के साथ ही नियमित व्यायाम करना और सप्ताह में तीन बार साइकिल चलाने की आदत है. उन्होंने बताया कि सभी लोग ग्लूटेन-रहित पिज्जा, ब्राउन ब्रेड, रेड राइस और चर्बी युक्त भोजन कम करने की बात करते हैं, वहीं मैं सुबह 4 बजे वाइट ब्रेड और बटर खाती हूं. फिर मुझे डायटीशियन ने समझाया कि संतुलित तरीके से खाया जाने वाला स्थानीय भोजन भी स्वास्थ्यप्रद हो सकता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

बॉलीवुड में बेहद कम उम्र में अपनी करियर की शुरुआत करने वाली आलिया भट्ट कुछ महीनों के ब्रेक के बाद तीन फिल्मों के साथ वापसी करने जा रही हैं. आलिया जितनी मेहनत अपनी फिल्मों के लिए करती हैं, उतनी ही मेहनत अपने आपको फिट रखने के लिए भी करती हैं. इसलिए आलिया की फिटनेस का हर कोई दीवाना है और यही कारण है कि उनके फीमेल फैन्स उन्हें फॉलो भी करते हैं.

आलिया नींबू-पानी, खिचड़ी के साथ देर रात तक शूटिंग के लिए तैयारी करती हैं. आलिया भट्ट काफी सहजता से यह स्वीकार करती हैं कि वे दो साल पहले जैसी दिखती थीं, अब उससे एकदम अलग हैं. वे स्वस्थ और हमेशा खुश रहती हैं तथा अब भी चीनी और नमक उचित मात्रा में लेती हैं. मोटापे और कब्ज के अनुभव को वर्षों पीछे छोड़ते हुए 24 वर्षीय यह स्टाइलिश आइकन अपने खाने की आदतों को सुधारकर बहुत खुश है. वे कहती हैं, *मेरा भरोसा करो, ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जिसके लिए मैं पागल हो जाऊं!*

वे दो साल पहले जैसी दिखती थीं, अब उससे एकदम अलग हैं. वे स्वस्थ और खुश रहती हैं तथा अब भी उचित मात्रा में चीनी और नमक लेती हैं. मोटापे और कब्ज के अनुभव को वर्षों पीछे छोड़ते हुए यह 24 वर्षीय स्टाइलिश आइकन अब अपने खाने की आदतों को सुधारकर बहुत खुश है.

आलिया ने चुस्त-दुरुस्त रहने के बारे में बताया कि सुबह 3:00 बजे उठने के बावजूद उनके चेहरे पर चमक रहती है और इसका कारण उनका सही समय पर नाश्ता करना, भोजन के बीच ज्यादा अंतर न होने देना, पैदल चलने के साथ ही नियमित व्यायाम करना और सप्ताह में तीन बार साइकिल चलाने की आदत है. उन्होंने बताया कि सभी लोग ग्लूटेन-रहित पिज्जा, ब्राउन ब्रेड, रेड राइस और चर्बी युक्त भोजन कम करने की बात करते हैं. इसके बावजूद मैं सुबह 4 बजे वाइट ब्रेड और बटर खाती हूं. फिर मुझे डायटीशियन ने समझाया कि संतुलित तरीके से खाया जाने वाला स्थानीय भोजन भी स्वास्थ्यप्रद हो सकता है.

डायटीशिन ने आलिया को यह भी बताया कि वे रोजाना नींबू पानी में शहद के बजाय एक चम्मच चीनी और केसर मिलाएं. आलिया ने बताया, जब से डायटीशियन ने मुझसे कहा कि यह पेय मेरे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, तब से मैं इसे लेना नहीं भूलती. शक्कर या नमक नहीं लेने से मुझे ऐंठन होती है. इसे पूरी तरह से छोड़ना हानिकारक होता है. आलिया ने यह भी बताया कि उनकी बहन शाहीन अन्दिा और निम्न रक्तचाप से पीड़ित है. वह अपने खाने में ऊपर से नमक लेती है.

आलिया जोर देते हुए कहती हैं कि एक्ट्रेस कोई संत नहीं हैं और एक बिकीनी में फिट होने के लिए भूखी नहीं रहती हैं. उन्होंने बताया कि वास्तव में जब वे छुट्टी पर होती हैं, तो बर्गर खाती हैं. शादियों में रसमलाई खाना उन्हें बहुत पसंद है. लेकिन जब मैं घर पर होती हूं, तो रात को 8:30 बजे तक खाना खा लेती हूं और 8-10 घंटे तक सोती हूं. जब मैं यात्रा करती हूं या रात में शूटिंग करती हूं, तो मेरा खाना अलग रहता है.

आलिया की पिछली फिल्म *बद्रीनाथ की दुल्हनिया* मार्च में रिलीज हुई थी, जो सुपरहिट साबित हुई. इसके बाद वह तीन महीनों तक ब्रेक पर थीं. वे कई प्रकार के डांस सीख रही हैं और बीच-बीच में यात्रा कर रही हैं. वे अब जल्द मेघना गुलज़ार की फिल्म *राज़ी* में विक्की कौशल के साथ, जोया अख्तर की फिल्म *गली बॉयज़* में रणवीर कपूर के साथ और रणवीर कपूर के साथ ही अयान मुखर्जी की फिल्म *ड्रैगन* के साथ ताबड़तोड़ तीन फिल्मों में काम करेंगी.■

feedback@chauthiduniya.com

फ्लैश बैक

हामिद अली से अजीत खान बनने की कहानी

प्रवीण कुमार

गुज़रे ज़माने की बात अगर हम करें तो एक समय बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक विलेन हुआ करते थे. कुछ इस दुनिया में आज भी जीवित हैं, तो कुछ अभिनेता अब इस दुनिया में नहीं रहे. फिल्मी दुनिया में अगर 70 के दशक में बेस्ट विलेन की बात की जाए तो अमज़द खान, शक्ति कपूर, प्राण, अमरीश पुरी, रंजीत, मदन पुरी, प्रेम नाथ, प्रेम चोपड़ा, कुलभूषण खरबंदा, अनुपम खेर, गुलशन ग्रोवर आदि जैसे अभिनेताओं ने कई फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों को डराया है. इन्हीं विलेन अभिनेताओं में से एक थे अजीत खान. कुछ याद आया आपको!

जी हां, ये वही अभिनेता है जिन्हें 70 के दशक में सारा शहर *लॉयन* के नाम से जानता था और इनको मोना डार्लिंग से भी ख़ासा लगाव था. बेशक इनको सारा शहर लॉयन के नाम से जानता हो, लेकिन इनका असली नाम अजीत खान है. जो शायद आज के दौर में कम ही लोगों को पता होगा. दर्शकों में अपनी विशिष्ट अदाकारी और संवाद अदायगी के लिए मशहूर अभिनेता अजीत को बॉलीवुड में एक अलग मुकाम हासिल करने के लिए प्रारंभिक दौर में कड़ा संघर्ष करना पड़ा था. 27 जनवरी, 1922 को गोलकुंडा में जन्मे हामिद अली खान उर्फ अजीत को बचपन से ही अभिनय का शौक था. उनके पिता बशीर अली खान हैदराबाद में निज़ाम की सेना में काम करते थे. अजीत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आंध्र प्रदेश के वारांगल जिले से पूरी की. चालीस के दशक में उन्होंने नायक बनने के लिए फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया. उन्होंने अपने अभिनय जीवन की शुरुआत वर्ष 1946 में प्रदर्शित फिल्म *शाहे मिस्त्र* से की. इसके बाद अजीत की 1946 से 1956 तक कई फिल्में प्रदर्शित हुईं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली. उन्होंने हार नहीं मानी और इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे.

1950 में फिल्म निर्देशक के अमरनाथ ने उन्हें सलाह दी कि वे अपना फिल्मी नाम छोटा कर लें. इसके बाद उन्होंने अपना फिल्मी नाम हामिद अली खान की जगह पर अजीत रखा और अमरनाथ के निर्देशन में बनी फिल्म बेकसूर में बतौर नायक काम किया. बीरआर चोपड़ा की फिल्म नया दौर में वे ग्रामीण की भूमिका में दिखाई दिए. यह फिल्म पूरी तरह अभिनेता दिलीप कुमार पर केन्द्रित थी, फिर भी वे इतने बड़े अभिनेता की मौजूदगी के बावजूद अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे. इस फिल्म के बाद अजीत ने यह निश्चय किया कि वे ख़लनायकी

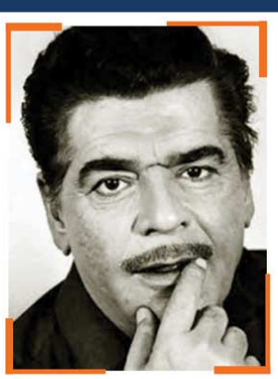

में ही अपने अभिनय का जलवा दिखाएंगे. इसके बाद वे बतौर ख़लनायक फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करने लगे. 1960 में प्रदर्शित फिल्म मुगले आज़म में एक बार फिर उनके सामने अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन अजीत ने अपनी छोटी सी भूमिका के जरिए दर्शकों की वाह-वाही लूट ली. इसके बाद तो अजीत की किस्मत करवट लेने लगी. उन्होंने *जिंदगी और ख्वाब, शिकारी, हिमालय की गोद में, सूरज, प्रिंस, आदमी और इंसान* जैसी फिल्मों से मिली कामयाबी के जरिए दर्शकों के बीच अपने अभिनय की धाक जमा दी. देखते-देखते वे एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए, जहां फिल्म में अपनी भूमिका का चयन स्वयं कर सकते थे.

1973 अजीत के सिने करियर का अहम पड़ाव साबित हुआ. उस वर्ष उनकी जंजीर, यादों की बारात, समझौता, कहानी किस्मत की और जुगनू जैसी फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए. इन फिल्मों की सफलता के बाद अजीत ने उन ऊंचाइयों को छू लिया, जिसके लिए वे अपने सपनों के शहर मुंबई आए थे. उन्होंने अपना मनपसंद किरदार सुभाष घई की 1976 में प्रदर्शित फिल्म कालीचरण में निभाया था. फिल्म कालीचरण में उनका निभाया किरदार लॉयन तो उनके नाम का पर्याय ही बन गया था. फिल्म में उनका संवाद *सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है*, आज भी बहुत लोकप्रिय है. इसके अलावा उनके *लिली डॉट बी सिली* और *मोना डार्लिंग* जैसे संवाद भी सिनेप्रेमियों के बीच आज भी काफी लोकप्रिय हैं. फिल्म कालीचरण की कामयाबी के बाद अजीत के सिने कैरियर में जबरदस्त बदलाव आया और वह ख़लनायकी की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नही देखा और अपने दमदार अभिनय से दर्शकों की वाह-वाही लूटते रहे. ख़लनायक की प्रतिभा को निखारने में नायक की प्रतिभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसी कारण अभिनेता धर्मेन्द्र के साथ अजीत के निभाए किरदार अधिक प्रभावी रहे. उन्होंने धर्मेन्द्र के साथ *यादों की बारात, जुगनू, प्रतिज्ञा, चरस, आजाद, राम बलराम, रजिया सुल्तान* और *राज तिलक* जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया.

यह बात जगजाहिर है कि जहां फिल्मी पर्दे पर ख़लनायक क्रूर हुआ करते हैं, वहीं वास्तविक जीवन में बहुत सज्जन होते हैं. निजी जीवन में अत्यंत कोमल हृदय वाले अजीत ने 90 के दशक में स्वास्थ्य ख़राब रहने के कारण फिल्मों में काम करना कम कर दिया था. इस दौरान उन्होंने *जिगर, शक्तिमान, आदमी, आतिश, आ गले लग जा* और *बेताज बादशाह* जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. संवाद अदायगी के बेताज बादशाह अजीत ने करीब चार दशक के फिल्मी करियर में लगभग 200 फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाया और 22 अक्टूबर 1998 को इस दुनिया से रुखसत हो गए.■

feedback@chauthiduniya.com